सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सामग्री

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	मिशन और संगठनात्मक संरचना	3-9
2.	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन	10-38
3.	मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन और संवर्धन	39-42
4.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) के तहत समर्थित किसान उत्पादक संगठन	43-48
5.	राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)	49-73
6.	**अनुलग्नक–I** एसएफएसी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य	74-75
7.	एस.एफ.ए.सी. का वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक खाता	76-108

मिशन और संगठनात्मक संरचना

1.1 परिचय

भारत का कृषि क्षेत्र हाल के वर्षों में उल्लेखनीय स्थिरता और निरंतर विकास दर के साथ उभरा है। स्थिरता का मुख्य कारण विभिन्न सरकारी पहल हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक मौसम की स्थिति है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चितता कई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं; हालांकि, जिन किसानों के पास आय के विविध स्रोत हैं, वे इन अनिश्चितताओं का सामना करने में बेहतर स्थिति में हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन या कृषि-वानिकी जैसी संबद्ध गतिविधियाँ किसानों को जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने में सक्षम बना सकती हैं। विभिन्न सरकारी पहल विशेष रूप से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार की गई हैं।

कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ' सेक्टर लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय आय और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16 प्रतिशत (अनुमानित) का योगदान दिया है और लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी का रोजगार समर्थन प्रदान करता है। इसका प्रदर्शन न केवल खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, आजीविका को बनाए रखता है और आर्थिक विकास को समर्थन देता है।

हाल के वर्षों में, भारत के कृषि क्षेत्र काफी अच्छा विकास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक औसतन 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो चुनौतियों के बावजूद इसकी मजबूती को दर्शाता है। सुनिश्चित लाभकारी मूल्य, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच, फसलों का विविधीकरण, सतत कृषि प्रणालियों के लिए समर्थन, और उत्पादकता में सुधार ने इस निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले दशक में कृषि आय 5.23 प्रतिशत वार्षि क बढ़ी है, जबकि गैर कृषि आय में, 6.24 प्रतिशत और समग्र अर्थव्यवस्था में 5.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

***आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, पृष्ठ —245 (पैरा 9.1)*

भारत की कृषि विविधताओं से भरी हुई है। विभिन्न खंडों और राज्यों में प्रदर्शन में काफी भिन्नता मिलती है। वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में, भारत विश्व के कुल उत्पादन का 11.6 प्रतिशत हिस्सा रखता है। हालांकि, देश में फसल उपज अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में काफी कम है, जो उत्पादकता सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। फसल क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक औसतन 2.1 प्रतिशत की मामूली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। इस वृद्धि में मुख्य रूप से फल, सब्जियों, और दलहनों के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का योगदान है।

उच्च मूल्य वाले क्षेत्र जैसे बागवानी, पशुपालन, और मत्स्य पालन ने कृषि के समग्र विकास में प्रमुख योगदान दिया है। इनमें मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक वर्तमान कीमतों पर सबसे अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 13.67 प्रतिशत दर्ज की है, जिसके बाद पशुधन क्षेत्र का स्थान है, जिसकी सीएजीआर 12.99 प्रतिशत रही है।

जैसे हम जैसे-भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि बढ़ती आय के कारण बदलती खाद्य आदतें कृषि क्षेत्र की विकास गति को कैसे प्रभावित करेंगी। गैरअनाज खाद्य-, विशेषकर बागवानी उत्पादों, पशुपालन और मत्स्य पालन की बढ़ती खपत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की खराब होने वाली प्रकृति को देखते हुए, कटाई के बाद प्रभावी प्रबंधन और मजबूत विपणन बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है। इस प्रयास को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सक्रिय भागीदारी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल कर रही है, जो 2016 की "किसानों की आय दोगुनी करना" (डीएफआई) रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुरूप हैं। इस रिपोर्ट में फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार, फसल तीव्रता बढ़ाने और उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सरकार अधिक इनपुट क्षमता को बढ़ावा देने और स्थायी उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत "हर बूंद अधिक फसल" (पीडीएमसी) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत विभिन्न पहल की जा रही हैं। इन उपायों में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों का उपयोग करना शामिल है। इसके अलावा, नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने और मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी डिजिटल पहल शुरू की गई हैं।

भारतीय कृषि में छोटे भूमिधारक है। लगभग 89.4 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। किसानों की अपनी कृषि भूमि में निवेश करने की क्षमता सीधे तौर पर किफायती ऋण की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार की प्राथमिकता समय पर, लागत प्रभावी और पर्याप्त ऋण प्रदान करना है ताकि जो गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता को कम कर निवेश को बढ़ाया जा सकें। ***

लघु एवं सीमांत किसानों का एकत्रीकरण/सामूहिकीकरण उन्हें अच्छे मूल्यों पर अपनी उपज बेचने की शक्ति प्रदान करता है और उन्हें एक व्यवहार्य आर्थिक इकाई बनाने सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि

मशीनीकरण, कम परिचालन लागत, कस्टम सेवा, सस्ती इनपुट आपूर्ति, उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। . यह भूमि संसाधनों के एकत्रीकरण, पश्चगामी एवं अग्रगामी संपर्कों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण, तथा ऋण तक पहुंच के लिए बाजार सूचना तक आसान पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना - "10000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को शुरू किया गया था, यह किसानों के एकत्रीकरण/सामूहीकरण के लिए एक ऐसी योजना है जिसमें देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया था।

***. *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, पृष्ठ —325 (पैरा 9.13)*

1.2 एस.एफ.ए.सी. की स्थापना

ग्रामीण रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की मौजूदा आवश्यकता को महसूस करते हुए, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1992-93 के अपने बजट भाषण में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की स्थापना के लिए भारत की नई पहल के निर्णय की घोषणा निम्नलिखित शब्दों में की थी: "ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के कृ षि व्यवसाय को समर्थन प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव विचारों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।" 1994 में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) की स्थापना, कृषि आधारित उद्योगों में नए उद्यमों के माध्यम से कृषि-केंद्रित विकास लाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपरोक्त घोषणा का परिणाम थी। एसएफएसी एक विकासात्मक संस्थान के रूप में उभरा है, जिसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच कुशल संपर्क सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। एसएफएसी मत्स्य पालन और बागवानी सहित कृषि के व्यापक पहलुओं से संबंधित है।

1.3 एसएफएसी का लाभ और उद्देश्य

I. आय और ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करके कृषि व्यवसाय परियोजनाओं को बढ़ावा देना; और
II. कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए अग्रिम और पश्चवर्ती संपर्कों के साथ उत्पादक संगठनों के रूप में किसानों के एकत्रीकरण को बढ़ावा देना।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

एसएफएसी की परिकल्पना कृषि-व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक उत्प्रेरक/सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में की गई है। इस संगठन के कानूनी स्वरूप के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, योजना आयोग ने निर्णय लिया कि एसएफएसी का उपयुक्त संगठनात्मक स्वरूप एक सोसायटी होगी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होगी। तदनुसार, भारत सरकार ने इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करना उचित समझा, जिसे प्रारंभ में भारत सरकार और बैंकों द्वारा प्रवर्तित किया गया। तत्पश्चात, एसएफएसी को 18 जनवरी, 1994 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में एक विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में, एसएफएसी की कुल सदस्यता निधि 11.45 करोड़ रुपये है। उपरोक्त निधि में प्रमोटर सदस्यों, प्राथमिक 6 सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों (मतदान अधिकार रहित) द्वारा योगदान दिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

	सदस्यों के प्रकार	सदस्यता शुल्क (करोड़ में रुपये)
I	**प्रमोटर सदस्य**	
i)	भारत सरकार	0.75
ii)	भारतीय रिजर्व बैंक	1.50
iii)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1.50
iv)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1.50
v)	भारतीय स्टेट बैंक	1.50
vi)	पंजाब नेशनल बैंक	1.50
II	**प्राथमिक सदस्य**	
i)	केनरा बैंक	0.50
ii)	एग्रीनेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, मुंबई	0.50
iii)	नेफेड, नई दिल्ली	0.20
iv)	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.50
III	**स्थायी आमंत्रित सदस्य**	
i)	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1.50
	कुल	**11.45**

1.5 प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था

सोसाइटी के संस्था-नियमों में 23 सदस्यों वाले एक प्रबंध मंडल का प्रावधान है। एसएफएसी के प्रबंध मंडल की अध्यक्षता, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री करते हैं, वे इसके पदेन अध्यक्ष हैं और सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), भारत सरकार, पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। एसएफएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे। सोसायटी के अन्य प्रवर्तक सदस्यों में से प्रत्येक को सोसायटी के प्रबंधन बोर्ड में गैर-निर्वाचित स्थायी सीट प्राप्त होगी। शेष सदस्यों में से सात को केन्द्रीय या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अर्ध-सरकारी संगठनों तथा अन्य सक्षम व्यक्तियों से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा तथा आठ को सोसायटी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। प्रमोटर सदस्य स्थायी होते हैं और कोई भी प्रमोटर सदस्य सोसाइटी के कार्यों और व्यवसायों से अलग होने का अधिकार नहीं रखता, जैसा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के प्रावधानों के अनुसार है। प्रबंधन बोर्ड ने तीन समितियों का गठन किया है। सोसायटी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति, जो प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों के साथ-साथ अन्य कार्यकारी मामलों पर विचार-विमर्श करेगी; प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निवेश समिति, जो उद्यम पूंजी सहायता की मंजूरी के लिए कृषि-व्यवसाय प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेगी; तथा प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षा समिति, जो एसएफएसी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी। सोसायटी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है, तथा उन्हें उचित स्तर पर अन्य कार्मिकों की सहायता प्राप्त होती है।

वर्ष 2024-25 के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम)/शासी निकाय के सदस्यों की सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

1.6 एस.एफ.ए.सी. द्वारा कार्यान्वित की गई सरकार योजनाएँ

1. 10,000 किसान उत्पादक संगठन संवर्धन और गठन का (एफपीओ)
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछली एफपीओ का गठन और संवर्धन।
3. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)।

4. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)।
5. प्रधान मंत्री - मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)।
6. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)।

1.7 एस.एफ.ए.सी. के संसाधन

सोसायटी विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि और धन का रखरखाव करती है और उसे संबंधित मदों में जमा किया जाता है जैसे:-

क) एसएफएसी द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों से प्राप्त धनराशि।
ख) सोसायटी की स्थापना से अब तक सदस्यों से एकत्र की गई सदस्यता और शुल्क
ग) सोसायटी द्वारा प्राप्त उपहारों से उत्पन्न आय।
घ) सोसायटी को प्रदान की गई अनुदान एवं दान राशि।
ङ) अन्य स्रोतों आदि से प्राप्त निधियाँ।

स्थापना और अन्य पूंजी या राजस्व व्यय सेवा शुल्क के माध्यम से कवर किए जाते हैं जो विभिन्न केंद्र सरकार/राज्य सरकार या एजेंसी योजनाओं के प्रबंधन के लिए एकत्र/प्राप्त किए जाते हैं, साथ ही सोसाइटी के अपने संसाधनों से उत्पन्न राजस्व, जिसमें ब्याज आय और किराया आदि शामिल हैं।

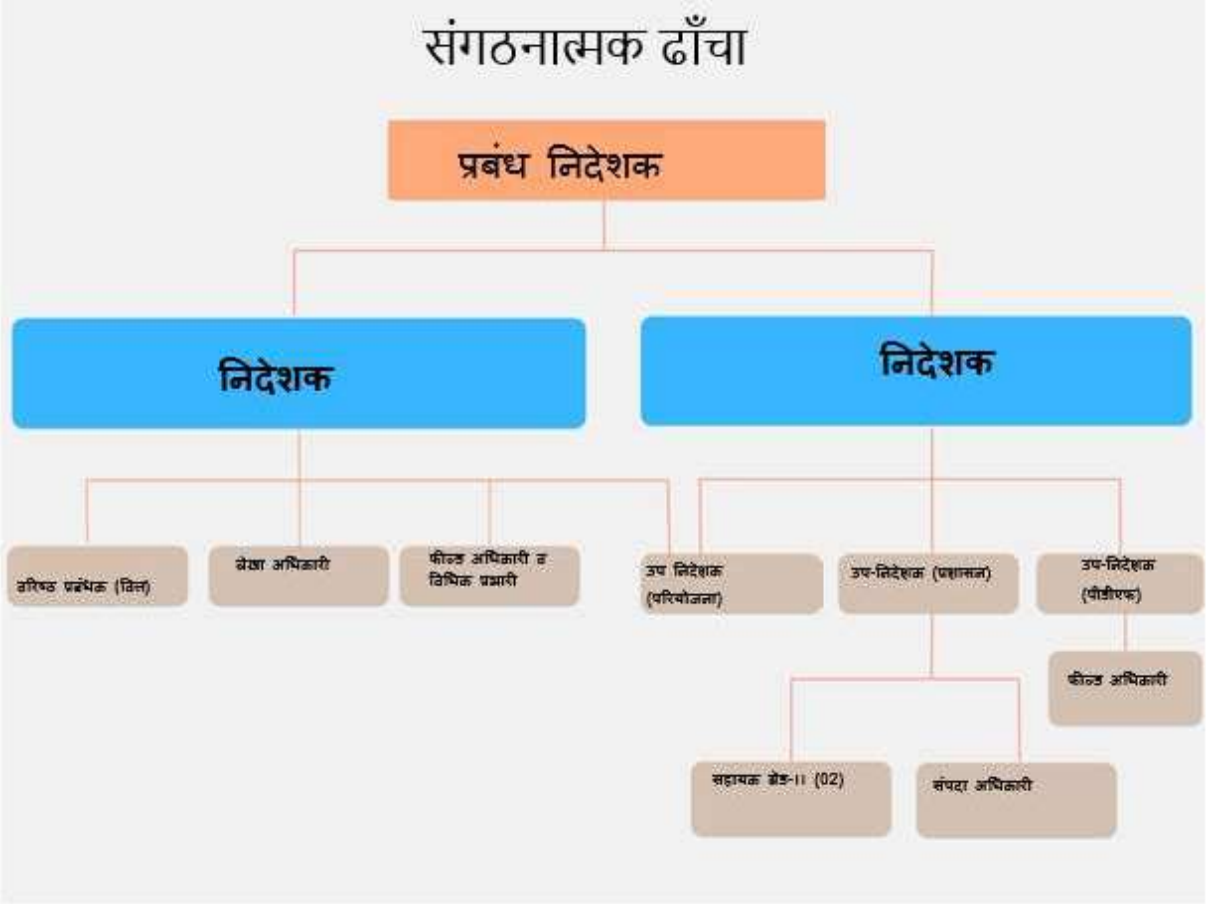
संगठनात्मक ढाँचा
प्रबंध निदेशक
निदेशक
निदेशक
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
लेखा अधिकारी
फील्ड अधिकारी व विधिक प्रभारी
उप निदेशक (परियोजना)
उप-निदेशक (प्रशासन)
उप-निदेशक (पीडीएफ)
फील्ड अधिकारी
सहायक ग्रेड-II (02)
संपदा अधिकारी

अध्याय-2

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

2.1 लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में विभिन्न सरकारों को सहयोग प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है । एफपीओ पहल की शुरुआत वर्ष 2011-12 में दो केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं अर्थात एक शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल (वीआईयूसी) और दूसरी वर्षा आधारित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों के एकीकृत विकास के अंतर्गत हुई थी। अपने दायरे को बढ़ाते हुए सरकारों द्वारा हाथ में ली जा रही विशेष एफपीओ परियोजनाओं सहित सामान्यत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अधीन एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी-एनईआर) और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के माध्यम में कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.2 केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

2.2.1 योजना अवलोकन

कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत कृषि विकास के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। हालांकि, देश में 89% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत हैं। ऐसे किसानों को उन्नत तकनीक, ऋण, बेहतर इनपुट और अधिक बाज़ारों तक पहुँच प्रदान कराने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली उपज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

चूँकि छोटे और सीमांत किसानों के पास उत्पादन तकनीकों, सेवाओं और मूल्य संवर्धन सहित विपणन को लागू करने की आर्थिक क्षमता नहीं है, इसलिए उनकी आय में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट, ऋण और विपणन तक बेहतर पहुँच के लिए सामूहिक शक्ति का लाभ उठाने हेतु उन्हें एकजुट करना आवश्यक है। किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन एक प्रमुख हस्तक्षेप रणनीति के रूप में माना जाता है जो किसानों की उपज और आय में वृद्धि को सुगम बना सकता है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के महत्व को समझते हुए अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 29.09.2020 को चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत की। इस योजना का स्पष्ट उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को सुविधा और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित की जा रही है और इसे केन्द्र और राज्य सरकार की 14 क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
(ii) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)
(iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

(iv) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)
(v) जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)
(vi) ग्रामीण मूल्य श्रृंखला विकास फाउंडेशन (एफडीआरवीसी)
(vii) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)
(viii) एसएफएसी–तमिलनाडु
(ix) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी)
(x) पश्चिम बंगाल कृषि विपणन निगम लिमिटेड (पीएएमसीएल)
(xi) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) –मणिपुर
(xii) उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना (यूपीडीएएसपी)
(xiii) गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएनएफएसयू)
(xiv) वाटरशेड विकास विभाग (डब्ल्यूडीडी), कर्नाटक।

इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को 10,000 एफपीओ आवंटित किए गए हैं, इनमें से 31.03.2025 तक 10,000 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत, क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) और मूल्य श्रृंखला संगठनों (वीसीओ) को क्रियान्वयन में सहायता के लिए शामिल किया गया है। इनका कार्य क्लस्टर की पहचान करना, समुदाय का सशक्तिकरण, एफपीओ की क्षमता विकास, एफपीओ का इन्क्यूबेशन/हैंडहोल्डिंग, सामान्य पूल उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण अवसंरचना की सुविधा प्रदान करना है। भारत के 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के तहत कुल 494 कलस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) और 9 मूल्य श्रृखंला (वीसीओ) को शामिल किया गया है।

2.2.2 योजना की मुख्य विशेषताएं:

(i) एफपीओ का गठन क्लस्टर आधारित व्यपार संगठनों (सीबीबीओ) और मूल्य श्रृखंला संगठनों (वीसीओ) के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि एफपीओ को 5 वर्षों की अवधि के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जा सके।
(ii) प्रत्येक एफपीओ के लिए 18 लाख रुपए की एफपीओ प्रबंधन लागत प्रदान की जा रही है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन, एफपीओ के पंजीकरण, कार्यालय किराया और उपयोगिता शुल्क, छोटे उपकरणों की लागत, यात्रा एवं विविध खर्चों आदि के लिए किया जाएगा।
(iii) एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को अधिकतम रुपए 2000 तक की राशि समान अनुदान (मैचिंग ग्रांट) है रही जा की प्रदान में रूप के, जो कि प्रति एफपीओ अधिकतम 15.00 लाख रुपए की सीमा तक सीमित है।
(iv) प्रत्येक एफपीओ के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक की परियोजना ऋण राशि पर क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जा रहा है। यदि परियोजना ऋण 1.00 करोड़ रुपए तक है, तो क्रेडिट गारंटी कवर बैंक योग्य परियोजना ऋण का 85% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 85.00 लाख रुपए है। वहीं, यदि परियोजना ऋण 1.00 रुपए करोड़ से अधिक और 2.00 करोड़ रुपए तक है, तो क्रेडिट गारंटी कवर बैंक योग्य परियोजना ऋण का 75% होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 150.00 लाख रुपए है।
(v) नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित, बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ को कंपनी अधिनियम के भाग IX क के अंतर्गत निगमित अथवा सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफपीओ के लिए राष्ट्रीय स्तर

पर नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है। यह संस्थान अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे, एनआईआरडी, मैनेज, एनआईएएम, निफ्टेम, वैमनिकॉम और आईआरएमए, आनंद और एएससीआई, हैदराबाद जैसे अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्थानों तथा राज्य एवं केंद्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास विश्वविद्यालयों, केवीके और अन्य राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन एवं कौशल विकास संस्थानों आदि के साथ साझेदारी में कार्य करेगा।

2.2.2 योजना के तहत एफपीओ का गठन

(i) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में कार्य कर रही है और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) में से एक है।

(ii) क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के चयन हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा 494 क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों (सीबीबीओ) और 09 वैल्यू चेन संगठनों (वीसीओ) को एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए नियुक्त किया गया है।

(iii) केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओं) के गठन एवं संवर्धन हेतु 31.03.2025 तक विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा पंजीकृत एफपीओ की संख्या तालिका 2 क में दर्शाई गई है।

तालिका 2क: क्रियान्वयन एजेंसियों (आईए) के अनुसार एफपीओ का आवंटन और पंजीकरण

क्र.सं.	एआई का नाम	31 मार्च 2025 तक क्रियान्वयन एजेंसियों (एआई) को आवंटन	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत एफपीओ	31 मार्च 2025 तक कुल पंजीकरण
1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर	60	-	60
2.	एफडीआरवीसी (एमओआरडी-एनआरएलएम)	800	134	800
3.	जीएनएफएसयू (पूर्व में जीएआईसीएल	97	-	97
4.	नाबार्ड	1,694	8	1,694
5.	नेफेड	1,191	98	1,191
6.	एनसीडीसी	1,863	1,085	1,863
7.	एनडीडीबी	126	9	126
8.	एनआईआरएएमएसी	220	10	220
9.	पीएएमसीएल, पश्चिम बंगाल	25	-	25
10.	एसएफएसी	3,711	228	3,711
11.	एसएफएसी- तमिलनाडु	50	-	50

12.	ट्राइफेड	13	-	13
13.	यूपीडीएएसपी	50	-	50
14.	डब्ल्यूडीडी कर्नाटक	100	-	100
	कुल योग	**10,000**	**1,591**	**10,000**

(iv) केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओं) के गठन एवं संवर्धन हेतु 31.03.2025 तक राज्यों के अनुसार पंजीकृत एफपीओ की संख्या तालिका 2 ख में दर्शाई गई है।

तालिका 2 ख: राज्यों के अनुसार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पंजीकरण।

10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत राज्यवार एफपीओ की संख्या		
क्र. सं.	**राज्य**	**पंजीकृत एफपीओ की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	7
2	आन्ध्र प्रदेश	714
3	अरूणाचल प्रदेश	171
4	असम	429
5	बिहार	696
6	छत्तीसगढ़	232
7	दादर एवं नगर हवेली	2
8	गोआ	8
9	गुजरात	426
10	हरियाणा	179
11	हिमाचल प्रदेश	180
12	जम्मू और कश्मीर	330
13	झारखंड	367
14	कर्नाटक	351
15	केरल	176
16	लद्दाख	23
17	लक्षद्वीप	2
18	मध्य प्रदेश	642
19	महाराष्ट्र	589
20	मणिपुर	78
21	मेघालय	67
22	मिज़ोरम	49
23	नागालैंड	88
24	ओडिशा	471
25	पुंडुचेरी	6
26	पंजाब	152
27	राजस्थान	589

28	सिक्किम	15
29	तमिलनाडु	465
30	तेलंगाना	617
31	त्रिपुरा	59
32	उत्तर प्रदेश	1275
33	उत्तराखंड	162
34	पश्चिम बंगाल	383
कुल योग		**10000**

2.3 एसएफएसी द्वारा 10,000 एफपीओ योजना का कार्यान्वयन

सएफएसी द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन योजना हेतु 494 क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों (सीबीबीओ) और 09 वैल्यू चेन संगठनों (वीसीओ) को नियुक्त किया गया है।

एसएफएसी द्वारा कार्यान्वित "10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना" के अंतर्गत 31.03.2025 तक राज्यवार पंजीकृत एफपीओ की नीचे विवरणी **तालिका 2 ग** में दर्शाया गया है।

तालिका 2 ग

क्रम.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 24-25 के दौरान पंजीकृत एफपीओ**	**कुल पंजीकृत एफपीओ 31.03.2025 तक**
1.	आन्ध्र प्रदेश	35	232
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	39
3.	असम	13	176
4.	बिहार	26	305
5.	छत्तीसगढ़	3	68
6.	गुजरात	8	137
7.	हरियाणा	13	119
8.	हिमाचल प्रदेश	3	60
9.	जम्मू और कश्मीर	30	141
10.	झारखंड	5	93
11.	कर्नाटक	3	52
12.	केरल	2	44
13.	मध्य प्रदेश	18	348
14.	महाराष्ट्र	8	213
15.	मणिपुर	–	9
16.	मेघालय	1	13
17.	मिज़ोरम	1	14
18.	नागालैंड	–	8
19.	ओडिशा	3	153
20.	पंजाब	2	77

21.	राजस्थान	10	225
22.	तमिलनाडू	4	90
23.	तेलंगाना	8	116
24.	त्रिपुरा	3	22
25.	उत्तर प्रदेश	22	758
26.	उत्तराखंड	-	43
27.	पश्चिम बंगाल	5	156
	कुल	**228**	**3711**

2.3.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसएफएसी से संबंधित योजना की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2 घ

क्र.सं.	मुख्य निष्पादन संकेतक	वित्त वर्ष 24-25 में उपलब्धियां	संचयी उपलब्धि (31 मार्च 2025 तक)
1	पंजीकृत एफपीओ की संख्या	228	3711
2	कुल समतुल्य इक्विटी अनुदान जारी (रुपए करोड़ में)	49.1	124.8
3	कुल एफपीओ प्रबंधन लागत जारी (रुपए करोड़ में)	66.0	270.7
4	कुल सीबीबीओ प्रबंधन लागत जारी (रुपए करोड़ में)	32.3	146.1
5	क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत कवर किए गए एफपीओ की संख्या	126	283
6	क्रेडिट गारंटी फंड के तहत स्वीकृत ऋण (रुपए करोड़ में)	159	327
7	एलएमएस उपयोगकर्ता	47057	59261

2.3.2. एफपीओ प्रबंधन लागत

इस योजना के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उनके गठन के वर्ष से अगले 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न चरणों में अधिकतम 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एफपीओ प्रबंधन लागत एफपीओ के पंजीकरण शुल्क, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लेखाकार के वेतन, कार्यालय किराया और उपयोगिता शुल्क जिसमें, एफपीओ कार्यालय के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर सहित स्टेशनरी शुल्क और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एसएफएसी द्वारा एफपीओ प्रबंधन लागत के लिए 66 करोड़ रुपये जारी किए गए।

तालिका 2 ड.

एफपीओ प्रबंधन लागत किस्त	लाभान्वित एफपीओ की संख्या	31.03.2025 तक वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
पहली	3669	144.91
दूसरी	2466	61.90
तीसरी	1470	36.78
चौथी	763	19.03
पांचवी	285	6.95
छठी	47	1.08

2.3.3. कलस्टर आधारित व्यपार संगठन प्रबंधन लागत

क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) के गठन और सहायता खर्च के लिए प्रति एफपीओ अधिकतम रुपए 25 लाख की सीमा तक वित्तीय सहायता पांच वर्षों की अवधि में प्रदान की जाती है। इस सहायता में बेसलाइन सर्वेक्षण, किसानों का संगठित करना, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, एक्सपोजर विज़िट, पेशेवर मार्गदर्शन, विपणन एवं प्रचार गतिविधियां, तथा अन्य ऊपरी खर्च शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीबीबीओ प्रबंधन लागत के रूप में **32.3** करोड़ रुपए जारी किए गए।

2.3.4 इक्विटी अनुदान जारी

एफपीओ को इक्विटी अनुदान प्रति किसान सदस्य अधिकतम रुपए 2,000 रुपए के समान अनुदान (मैचिंग ग्रांट) के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एफपीओ रुपए 15.00 लाख निर्धारित है। यह इक्विटी अनुदान सरकार की इक्विटी में भागीदारी के रूप में नहीं है, बल्कि केवल किसान सदस्यों द्वारा प्रदान की गई इक्विटी के अनुरूप एफपीओ को दिया जाने वाला समान अनुदान है। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 300 किसान सदस्यों वाले एफपीओ पात्र हैं, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों सहित) में न्यूनतम 100 सदस्यों वाले एफपीओ पात्र होंगे। एफपीओ को यह समान अनुदान अधिकतम तीन (3) किश्तों में प्राप्त करने की अनुमति होगी, जो कि पहले आवेदन तिथि से 4 वर्षों की अवधि के साथ सीबीबीओ की सहायता एवं समर्थन दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 892 एफपीओ को 49.1 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान जारी किया गया।

2.3.5 ऋण गारंटी निधि

एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए इस योजना में एक "ऋण गारंटी कोष" (सीजीएफ) बनाया गया है। इस कोष के माध्यम से एफपीओ को ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम हो जाता है, इससे एफपीओ की वित्तीय क्षमता में सुधार होता है और वे बेहतर व्यवसाय योजनाएं लागू कर सकते हैं, जिससे लाभ में वृद्धि हो सके। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत कुल 283 एफपीओ ऋण गारंटी कोष के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिनमें से 126 एफपीओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसका लाभ उठाया।

2.4 एकीकृत एमआईएस पोर्टल का विकास

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजना के प्रभावी संचालन और निगरानी के लिए 10kfpomis.dac.gov.in नामक एक केन्द्रीकृत और डिजिटल एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, डेटा संग्रहण को सुव्यवस्थित करना, समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सभी हितधारकों को सहायता प्रदान करना है। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, सीबीबीओ और एफपीओ, एमआईएस पोर्टल पर डेटा को लगातार अपडेट कर रहे हैं। एमआईएस पोर्टल पर एफपीओ का आवंटन और पंजीकरण, किसान शेयरधारकों के आकड़े, एफपीओ को जारी की गई धनराशि और लेन-देन से संबंधित जानकारी जैसे क्रेडिट लिंकज, मार्केट लिंकज, इनपुट लाइसेंस तथा अन्य वित्तीय विवरण दर्ज किए जाते हैं।

मुखपृष्ठ

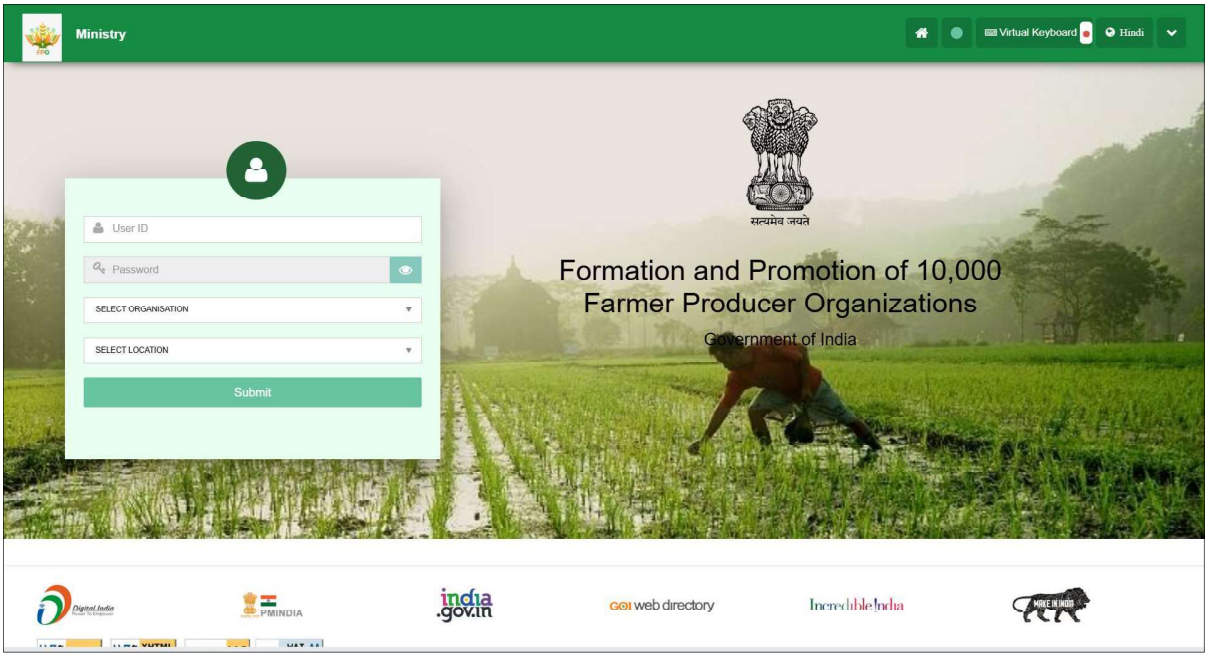

इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना था, जो एफपीओ की गतिविधियों को आसानी से, सुरक्षित तरीके से और रीयल-टाइम में ट्रैक और मॉनिटर कर सके।

उपयोगकर्ता डैशबोर्ड

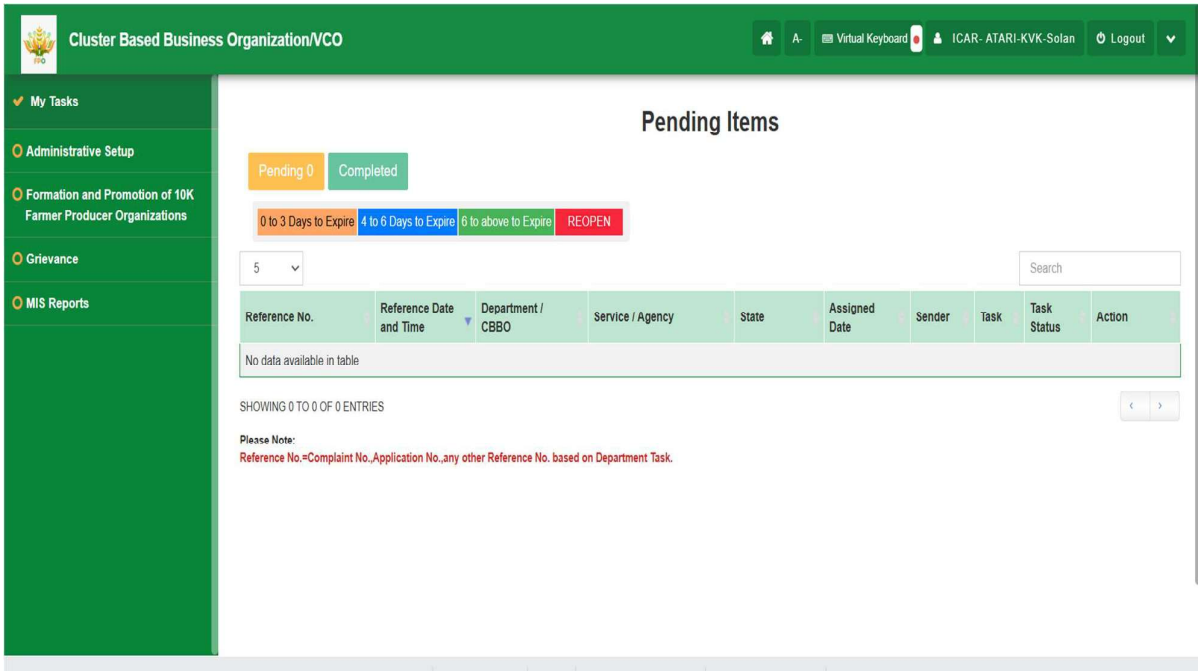

2.5 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)

कृषि मंत्रालय एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा 10,000 एफपीओ के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) उपलब्ध कराने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) को नियुक्त किया गया है। एलएमएस को योजना के प्रावधानों, फसल-विशिष्ट प्रशिक्षणों, संगठन प्रशासन, वित्त तक पहुंच, मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण, विपणन, लेखा, अनुपालन आवश्यकताओं और एफपीओ के प्रचार हेतु एमआईएस जैसे विषयों को शामिल करने के लिए किया गया है। सर्वोत्तम पद्धति पर आधारित केस स्टडीज़ भी एलएमएस में शामिल की गई। एलएमएस पोर्टल का लिंक है: http://10kfpo.lms.gov.in

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डैशबोर्ड विकसित किया गया है ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने सीबीबीओ/एफपीओ/किसान सदस्यों के उपयोग के आंकड़ों की समीक्षा करने में सक्षम बनाया जा सके।

2024-25 के दौरान, कुल 47057 सदस्यों ने एलएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया, जिनमें निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखाकार और एसएफएसी द्वारा प्रवर्तित एफपीओ के शेयरधारक शामिल है।

2.6 एसआईडीएच लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)

कृषि मंत्रालय एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) ने एसआईडीएच के साथ मिलकर 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्रदान करने की पहल की है। अनिवार्य 6 मॉड्यूल को एक ही पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है और यह हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है।

2.7 बाज़ार तक पहुंच

एफपीओ को पारंपरिक मंडी प्रणाली या स्थानीय बाजारों से बाहर विभिन्न विपणन प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच सकें और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। वर्तमान में, एफपीओ और किसानों के लिए तीन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अर्थात ई-नाम, ओएनडीसी और जीईएम उपलब्ध हैं। 31 मार्च 2025 के प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं:

#	ऑनलाइन प्लेटफार्म	10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत एफपीओ की संख्या
1	ओएनडीसी में शामिल एफपीओ	4,761
2	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) में शामिल एफपीओ	216

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत गठित एफपीओ सहित कुल 4404 एफपीओ ई-नाम पर पंजीकृत हो चुके हैं।

2.7.1 एफपीओ प्रदर्शनियाँ (एसएफएसी)

उद्योग और कृषि व्यापार संगठनों को एफपीओ के साथ बेहतर सौदेबाजी और उन्नत बाजार पहुँच के लिए मेलों/प्रदर्शनियों को आयोजित किया जा रहा है, जहाँ उद्योगों को एफपीओ के साथ बी2बी लिंकेज के लिए आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एसएफएसी के 1000 से अधिक एफपीओ ने एसएफएसी

और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 64 एफपीओ मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन 64 मेलों/प्रदर्शनी में से 22 मेलों/प्रदर्शनी सीधे एसएफएसी द्वारा 21 राज्यों में आयोजित की गईं।

क्रमांक	दिनांक	राज्य	शहर
1.	17 से 19 फरवरी, 2025	त्रिपुरा	अगरतला
2.	21 से 23 फरवरी, 2025	केरल	कोझिकोड
3.	28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक	कर्नाटक	बेंगलुरु
4.	07 मार्च से 09 मार्च, 2025	बिहार	पटना
5.	07 से 09 मार्च, 2025	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
6.	07 से 09 मार्च, 2025	महाराष्ट्र	पुणे
7.	17 से 19 मार्च, 2025	असम	गुवाहाटी
8.	25 से 27 मार्च, 2025	तेलंगाना	वारंगल
9.	26 से 28 मार्च, 2025	छत्तीसगढ	रायपुर
10.	26 से 28 मार्च, 2025	राजस्थान	जयपुर
11	06 से 08 जुलाई 2024	दिल्ली	दिल्ली हॉट
12	26 से 28 जुलाई 2024	हरियाणा	अंबाला
13	16 से 18 अगस्त 2024	झारखंड	रांची
14	16 से 18 अगस्त 2024	पंजाब	संगरुर
15	24 से 26 अगस्त 2024.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
16	21 से 23 सितंबर 2024	ओडिशा	भुवनेश्वर
17	5 से 7 अक्टूबर 2024	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
18	25 से 27 अक्टूबर – 2024	उत्तराखंड	हरिद्वार
19	30 नवंबर 2024 से 02 दिसंबर 2024 तक	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
20	14 से 16 दिसंबर 2024	मध्य प्रदेश	इंदौर
21	17 से 19 दिसंबर – 2024	गुजरात	अमरेली
22	27 से 29 दिसंबर 2024	गुजरात	अहमदाबाद

दिल्ली हाट-आईएनए 6-8 जुलाई, 2024

हरिद्वार एफपीओ मेला, 25-27 अक्टूबर, 2024

अमरेली एफपीओ मेला 17 से 19 दिसंबर - 2024,

2.7.2 डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी)

ओएनडीसी भारत सरकार द्वारा डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु एक पहल है, जो बड़े और छोटे उद्यमों को इस क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करती है। ओएनडीसी उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों और सुविधा को बढ़ाते हुए, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करके, और लेन-देन की लागत को काफी कम करके डिजिटल मार्केटप्लेस में बड़े पैमाने पर खरीदारों और विक्रेताओं की भागीदारी के साथ एक नवाचारी वातावरण का निर्माण कर रहा है। यह ओपन नेटवर्क छोटे व्यापारियों, किराना स्टोरों और एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स का लाभ उठाने में एक प्रमुख प्रवर्तक होगा, इस प्रकार यह डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाएगा। ओएनडीसी के लाभों को विभिन्न क्षेत्रों, डोमेन, सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न भौगोलिक स्थानों तक जाने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कारोबारी माहौल और आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

इस संदर्भ में एसएफएसी और ओएनडीसी कृषि और किसान समूह के डिजिटलीकरण को सक्षम/बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं, जिससे इन उद्यमों के लिए बाजार पहुंच में पर्याप्त वृद्धि होगी और उनके संचालन की दक्षता में सुधार होगा।

31.03.2025 तक, 5,000 से अधिक उत्पादों के साथ 4,761 एफपीओ ओएनडीसी पोर्टल पर शामिल हो चुके हैं। पोर्टल पर विभिन्न एफपीओ द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन किए जा चुके हैं।

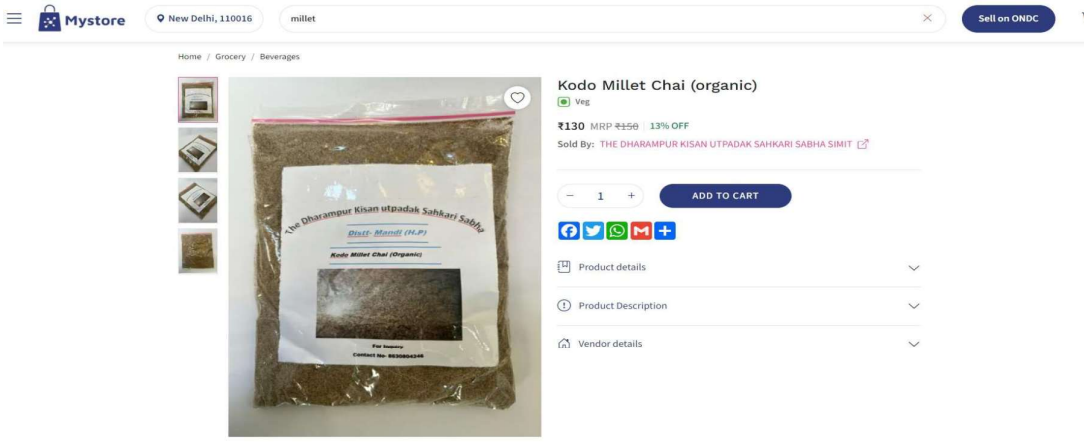

2.7.3 ई-नाम

एफपीओ को ई-नाम के माध्यम से विभिन्न कृषि उत्पादों के अंतर-मंडी और अंतर-राज्य व्यापार तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो बेहतर बाजार संपर्क के लिए ऑनलाइन व्यापार तक पहुंच प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान 719 एफपीओ ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया। दिनांक 31 मार्च 2025 तक कुल 4,404 एफपीओ ई-नाम पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 1,158 एफपीओ ने सक्रिय रूप से व्यापार किया है, जिसकी मात्रा 1,77,183 मीट्रिक टन तथा व्यापार मूल्य 277.07 करोड़ रुपये था।

2.8 अन्य विपणन गतिविधियाँ:

एफ़पीओ (किसान उत्पादक संगठन) को उद्योग संघों, केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों आदि द्वारा आयोजित विभिन्न एक्सपो/प्रदर्शनों में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एफपीओ के लिए वेबिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां उद्योग विशेषज्ञ एफपीओ को उनके संगठनों के साथ व्यापार करने के बारे में मार्गदर्शन देते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई एफपीओ ने बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सदस्य किसानों की उपज के एकत्रीकरण पर गेहूं, मक्का, दालों आदि की बिक्री के लिए एनसीसीएफ, एफसीआई, आईटीसी आदि के साथ समझौता किया है।

2.9 सोशल मीडिया पर एफ़पीओ

एसएफएसी ने सोशल मीडिया पर अपनी पहुँच बढ़ाई है, जहाँ एफपीओ उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। एसएफएसी ने अपने ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने एफपीओ उत्पादों की व्यापक पहुँच बनाई है और एफपीओ की दृश्यता बढ़ाई है। सोशल मीडिया हैंडल के लिए लिंक इस प्रकार हैं:

- https://twitter.com/sfacindia
- https://www.facebook.com/sfacindia/
- https://www.instagram.com/sfacindia/
- https://www.linkedin.com/company/sfacindia/

रणनीतिक सूचना और डिजिटल प्रचार के माध्यम से, एसएफएसी किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) को प्रमुखता दिलाने, अपने उत्पादों और यात्राओं को प्रदर्शित करने और व्यापाक दर्शकों को प्रभावित करने में सहायता करता है। .

2.9.1 ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एफपीओ उत्पादों के दैनिक प्रचार पोस्ट

एसएफएसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एफपीओ उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक और प्रभावशाली क्रिएटिव तैयार किए गए हैं।

https://x.com/sfacindia

प्रत्येक पोस्ट में एफपीओ की शक्ति और उनके उत्पादों की गुणवत्ता का ब्यौरा दिया जाता है, जो ग्रामीण किसानों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करती है।.

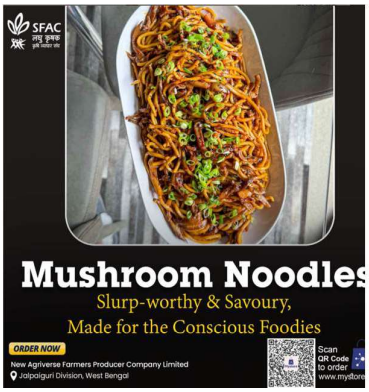

https://www.instagram.com/sfacindia/

यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स

एफपीओ उत्पादों के बारे में लघु रील नियमित रूप से पोस्ट की जाती हैं, जिसका उद्देश्य बढ़ती दृश्यता और उपभोक्ता जुड़ाव है, तथा पौष्टिक भोजन से लेकर हस्तनिर्मित वस्तुओं तक सब कुछ उनकी उंगलियों पर उपलब्ध कराया जाता है।

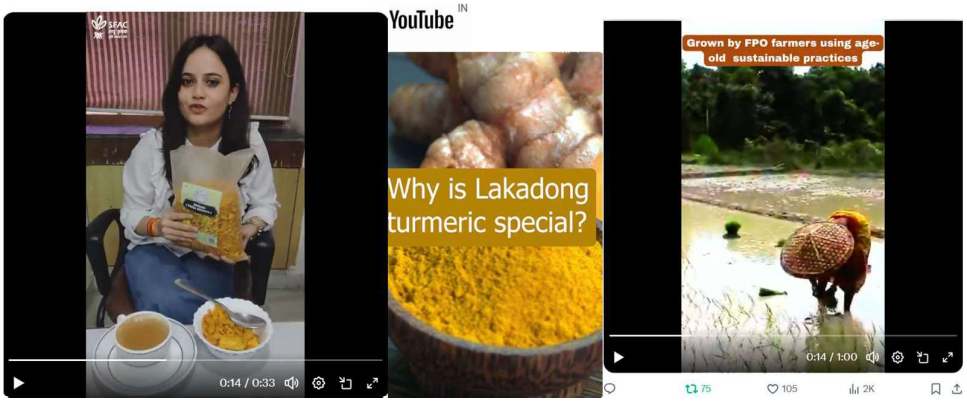

2.9.2 एफपीओ सफलता की कहानियों पर आधारित वीडियो

सोशल मीडिया टीम एफपीओ केंद्रों का दौरा करती है, किसानों का साक्षात्कार लेती है, उनकी गतिविधियों की शूटिंग करती है और उनकी प्रेरणादायक यात्रा को एफपीओ सफलता की कहानी को वीडियो के रूप में तैयार कर सोशल मीडिया चैनलों पर साझा करती है।

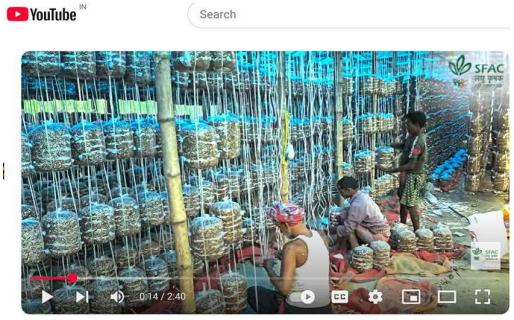

https://www.youtube.com/results?search_query=sfac

2.10 समाचार/मीडिया में एफपीओ

बिहार दिनरात

23 नवंबर 2024

दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर में बिहार के मखाने की धूम मची

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (ट्रेड फेयर) में बिहार के मखाने की धूम मची हुई है। मेला के भारत मंडपम के हाल नंबर एक और चार में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगे इस मेले में बिहार के मखाना उद्योग को वैश्विक स्तर पर उचाई पर पहुचाने वाले राजीव रंजन के पास मखाने की कई किस्मो को देखकर लोग हतप्रभ है। जी–20 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनो में अपने मखाने से धूम मचाने वाले रंजन ने कहा कि कोविड के दौरान उनके मन में इस व्यवसाय के प्रति उत्सुकता जगी और फिर उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की ठान ली। बिहार के दरभंगा जिला से आए राजीव रंजन का

स्टाल हाल नंबर– 4 पर 7 सी और हाल नंबर एक पर 1 जी, 21 बी पर ग्राहको की भीड देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि उनके कहने पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी 20 सम्मलेन के दौरान काजू को हटाकर मखाना को रखवाया गया था। इससे भारतीय किसान से लेकर व्यापारी को फायदा हो रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्टाल पर हम कई स्वाद में मखाना पेश कर रहे है इसमे टैंगी, चीज, पैरी–पैरी, पुदीना, चाट मसाला, टैंगी टोमेटो सहित मखाना की फुलझी, चाकलेट व खीर भी है। किसान की नई फसल होने की वजह से इस बार ट्रेड फेयर में हम बाजार दामो से 20 फीसद सस्ते में मखाने से बनी वस्तुए बेच रहे है।

हिंदी दैनिक

सम्पूर्ण भारत

www:sampurnbharat.com

vijaymishrababa2211@gmail.com

पटना से प्रकाशित एवं पुरे बिहार में प्रसारित

10 मार्च 2025

राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेला/प्रदर्शनी तथा कार्यशाला-2025 का सफल आयोजन

कृषि भवन, मैठापुर परिसर, पटना में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) मेला/प्रदर्शनी तथा कार्यशाला-2025 (07 से 09 मार्च 2025) का समापन निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सचिव, कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं कुशल निर्देशन में इस प्रदर्शनी तथा कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। लगभग एक हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु सभी किसान उत्पादक संगठनों के बीच प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया। निदेशक ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा आधुनिक कृषि तकनीकों एवं विपणन व्यवस्था की जानकारी प्रदान करना था। इस तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर एवं राज्य के अन्य जिलों से लगभग एक हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया । कार्यशाला में कुल 44 स्टॉल लगाये गये, जिसमें एफ0पी0ओ0 द्वारा कृषि से संबंधित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। स्टॉलों में मखाना, गेहूँ, चावल, महाला, दलहन, मक्का, तेलहन, मोटे अनाज तथा बागवानी आधारित किसान

उत्पादक संगठनों द्वारा अपने-अपने उत्पादों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। किसानों एवं आगन्तुकों ने इन स्टॉलों में सहरी रूची दिखायी और विभिन्न संगठनों के कार्यों को सराहा । यह मेला किसानों के लिए ऐसा मंच बना जहाँ उन्होंने एक दूसरे के अनुभवों से सिखने का अवसर पाया तथा उन्हें राज्य के सफल एफ0पी0ओ0 मॉडलों को निकट से देखने का अवसर मिला । कार्यशाला में विभिन्न एफ0पी0ओ0 के 44 स्टॉल लगाये गये इस कार्यशाला के दौरान कृषि अवसंरचना निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पर कृषि उपज का विपणन, दाल, मक्का और प्याज की खरीद प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन, निर्यात के प्रति जागरूकता, फसलोत्तर प्रबंधन, बीज डीलरशिप और विपणन नीति, बीज उत्पादन कार्यक्रम, कीटनाशकों का सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, क्रेडिट जागरूकता, एफ0पी0ओ0 के लिए डीलरशिप, बीज एवं उर्वरक लाईसेंस तथा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर एफ0पी0ओ0 के किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस0एफ0ए0सी0), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड के विशेषज्ञों एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । इस तीन दिवसीय राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेला/प्रदर्शनी तथा कार्यशाला में 44 स्टॉलों से लगभग तीन लाख से अधिक राशि की कृषि उत्पादों की बिक्री हुई । मेला का मुख्य आकर्षण कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में फसल उत्पादों की प्रदर्शनी लगायी गयी, जिसमें विभिन्न एफ0पी0ओ0 द्वारा उत्पादित अगरबत्ती, शहद, मखाना, दलहन, तेलहन, बीज, सब्जी, मोटा अनाज एवं बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। किसान प्रतिनिधियों के संवाद के सत्र में किसानों ने अपने अनुभव साझा किये, सफलताओं की कहानियाँ सुनाई तथा चुनौतियों पर चर्चा की। यह संवाद कार्यक्रम किसानों के बीच आपसी सीख एवं प्रेरणा का माध्यम बना। प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु क्षमता संवर्द्धन विषय पर विशेषज्ञों द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग तकनीक, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार की आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। इस अवसर पर उप सचिव श्री संजय कुमार झा, संयुक्त निदेशक श्री विनय कुमार चण्डेल, नोडल पदाधिकारी (एफ0पी0ओ0) श्री धर्मवीर सिंह, एस0एफ0ए0सी0 के प्रतिनिधि श्री अनुज अरोड़ा, एपीडा के प्रतिनिधि श्री देवानन्द त्रिपाठी तथा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं किसान भाई-बहन उपस्थित थे

दैनिक भास्कर

2025-04-05
समस्तीपुर भास्कर (4)

राजस्थान में विकसित सरसों की नई किस्म से किसानों की आमदनी बढ़ी

130 टन बीज डीआरपीसीएयू पूसा को सौंपा, इसकी बिक्री 73 रुपए में हुई

भास्कर न्यूज | समस्तीपुर

समथु फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत सरसों की उन्नत किस्म डीआरएमआर-150-35 का 130 टन बीज राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को सौंपा। यह किस्म भरतपुर, राजस्थान में विकसित की गई है। परंपरागत सरसो की कीमत 45 से 50 रुपये प्रति किलो होती है, जबकि इस किस्म की बिक्री 73 रुपये प्रति किलो में हुई। इससे किसानों की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।इस सरसो की खेती समस्तीपुर के छह अलग-अलग प्रखंडों के किसानों ने की थी। उजियारपुर से स्वराज सिंह और संतोष सिंह, सरायरंजन से रणजीत निर्गुणी, विभूतिपुर से राजीव कुमार सिंह और जितवारपुर से फुलेंद्र भगत शामिल रहे। कंपनी के सीईओ अमरदीप कुमार ने बताया कि आने वाले समय में गेहूं, धान, सरसो जैसी परंपरागत फसलों के साथ सब्जी और फल उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा।

सरसों की उन्नत किस्म को रवाना करते किसान।

BUSINESS LINE MUMBAI, 06 JUNE 2025

Corporates bypass *mandis*, begin procuring products directly from FPOs

Prabhudatta Mishra
New Delhi

In an initiative aimed at streamlining agricultural trade and increasing farmer incomes, corporates have begun directly procuring agricultural produce from farmer producer organisations (FPOs).

This development follows the government's recent strategy of hosting weekly webinars to connect FPOs with major companies. Many FPOs were previously unaware of the possibility of selling their produce directly to companies. The government is optimistic that if these linkages are successfully established, positive results will be seen within a year or two.

According to a senior official, FPOs achieved better prices for crops, such as wheat, in the recently concluded marketing season by selling directly to companies as some transaction costs were saved by the corporates.

The official also mentioned that the States would be encouraged to waive *mandi* fees for FPOs to make market yards more competitive and facilitate better infrastructure.

KEY PLAYERS

Olam India emerged as a key player in this direct procurement model, reportedly purchasing over 800 tonnes of maize and more than 3,000 tonnes of wheat from FPOs in Uttar Pradesh and Bihar.

While its officials could not be reached for comment, sources indicate that other major companies, including Britannia, Mother Dairy and HIL (formerly Hindustan Insecticides), have also agreed to partner with FPOs.

The weekly webinars, organised by the Agriculture Ministry under the initiative of Secretary Devesh Chaturvedi for over two months, allow FPO representatives to directly interact with and question company officials.

Despite companies showing eagerness to partner with FPOs in States where direct procurement is permitted under a licensing system, many FPOs advocate for the elimination of *mandi* taxes on their produce.

The government is also encouraging them to brand their produce and sell them online through the Open Network for Digital Commerce (ONDC) platform.

FCI has taken steps to support farmers at wheat procurement centres: Dr. Ajit Sinha

Special Correspondent

Sasaram / Buxar: Executive Director of the Food Corporation of India (FCI), Dr. Ajit Kumar Sinha, said that there is tremendous enthusiasm among farmers due to proper weighing system and payment within 48 hours at the FCI centres for rabi marketing year 2025-26. He highlighted that FCI is also providing bags for wheat, which ensures that farmers do not have to bear additional costs.

Dr. Sinha visited the wheat procurement center located in Kochas, Rohtas district, and interacted with the farmers. Bihar's Regional Deputy General Manager (Procurement), Sushil Kumar Singh, Buxar Division Manager Rajesh Singh Pangti, and Assistant General Manager (Quality Control) Ajay Kumar were also present during the visit.

Dr. Sinha informed the farmers that the Indian government has increased the minimum support price (MSP) for wheat by ₹150 per quintal this year, meaning that wheat is now being procured at ₹2,425 per quintal. He further mentioned that FCI has opened a total of 151 wheat procurement centers across Bihar, including 7 in Buxar, 10 in Rohtas, and 13 in Kaimur.

During the meeting, Dr. Sinha also engaged with representatives from Farmer Producer Organizations (FPOs) and encouraged them to motivate their farmer members to sell wheat at MSP through government procurement centers. He explained that farmers registered on the Bihar Government's DBT portal could easily sell their wheat at the nearest procurement center and receive direct payments to their bank accounts.

Dr. Sinha assured the farmers that the procurement process has been made simpler, transparent, and farmer-friendly. Several positive suggestions were shared by the farmer representatives regarding the procurement process, which the officials promised to seriously consider. Dr. Sinha emphasized that strengthening this system through farmer participation would ensure the effective implementation of government policies at the grassroots level.

Daringbadi's organic coffee catches PM's fancy at Delhi fest, he picks up 2 packets

Hrusikesh Mohanty | TNN

Berhampur: Prime Minister Narendra Modi has picked up at least two packets of organic coffee of Daringbadi in Kandhamal district from a stall put up by the Daringbadi Farmers Producers' Company Limited, at the ongoing Aadi Mahotsav, a tribal festival in New Delhi.

Apart from the coffee, he also asked about the organic turmeric, known as Kandhamal haladi, also displayed in the stall.

"Before he went to the dais to inaugurate the festival along with other Union ministers on February 16, the Prime Minister came to our stall and picked up a 100 gm coffee packet. He asked if it was organic. When we said yes, he picked it up," said Malaya Ranjan Pradhan, chief executive officer of the company.

Apart from the coffee, the PM also asked about the organic turmeric, known as Kandhamal haladi

He again came to the stall after delivering his speech and also took another packet of 100 gm coffee, he said. At the same time, he also asked about the Kandhmal haladi, which was tagged with geographical indication (GI), he said. "The Prime Minister spent nearly 10 to 15 seconds in our stall," he said.

"We are so happy that the Prime Minister took the products of Kandhamal," said Suresh Pradhan, secretary of the company. He said they have displayed around 25 different products of tribal farmers in Kandhamal like ginger, mustard, ragi, green coffee, finger turmeric and so on. The Prime Minister's attention, however, was drawn to the powder coffee and turmeric, he said. "In Kandhamal, there is a coffee garden spread over 20 hectares in Daringbadi, which is a major attraction for the visitors to the hill town of the district. The plantation was set up in 1974 by the social conservation department," said PK Tripathy, project director of watershed development. "The products are purely organic, as we did not use any chemical fertiliser," he added.

"After procuring the raw coffee from the farmers, the producer groups processed it manually by drying in open sunlight and then frying the beans. After this they ground the dried coffee into powder, which has a nice flavour," he said.

ONDC, GeM come in handy; Amazon, Flipkart, too, being roped in

FPO scheme takes big strides, 340 units cross ₹10-cr sales

SANDIP DAS
New Delhi, July 20

MORE THAN 340 farmer producer organisations (FPOs), out of over 10,000 FPOs formed under a special incentive scheme launched in FY21, have grown to clock annual sales turnover of over ₹10 crore.

Among them, nearly 1,100 have businesses in excess of ₹1 crore, according to data gathered by the Union agriculture ministry.

High-growth FPOs have boosted their profiles making good use of government platforms like Open Network for Digital Commerce (ONDC), electronic national agriculture market (e-NAM) and the government e-marketplace (GeM).

GROWING IN SIZE

Top FPOs in terms of sales turnover (₹/crore) in FY25

102	Babra Khedut Utpadak & Rupantar Sahakari Mandli, Amreli, Gujarat
89	Primary Agricultural Cooperative Society (PACS), Dulapally, Medak, Telangana
79	Shree Dhari Khedut Krushi Utpadak & Processing Sahakari Mandali, Amreli, Gujarat
75	PACS Paidimadugu, Jagtial, Telangana
70	Large Size Cooperative Society, Metpally, Jagtial, Telangana

Several farmers' collectives formed in the last five years through the central sector scheme have also carried out procurement of oilseeds, pulses and grain under minimum support price to boost their businesses.

"We are discussing ways to reward high-performing FPOs so that other such organisations, too, get encouraged to grow their business prospect," an official said.

Continued on Page 11

2.11. एफपीओ के उत्पाद की सूची

डिजिटल कैटलॉग के माध्यम से एफपीओ और उनकी उपज का प्रदर्शन

एफपीओ उत्पाद कैटलॉग का एक विशेष संग्रह बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक उत्पाद भूमि, लोगों, त्योहारों और सामूहिक खेती की शक्ति को दर्शाता गया है।

चाहे वह आदिवासी उत्पाद हों, भोजन, चाय, कॉफी, स्नैक्स या त्यौहार की जरूरतें हों, ये डिजिटल कैटलॉग उपभोक्ताओं को किसानों से सीधे बेहतरीन क्षेत्रीय उत्पाद, हस्तनिर्मित सामान और प्राकृतिक विशेषताओं वाली वस्तुएं खरीदने की सुविधा देते हैं।

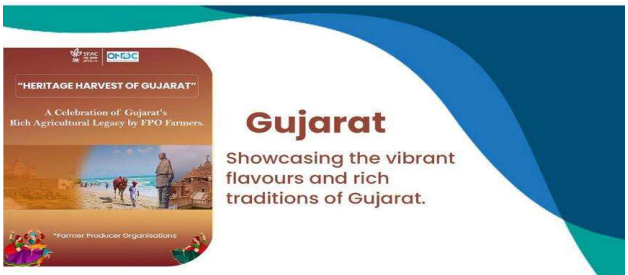

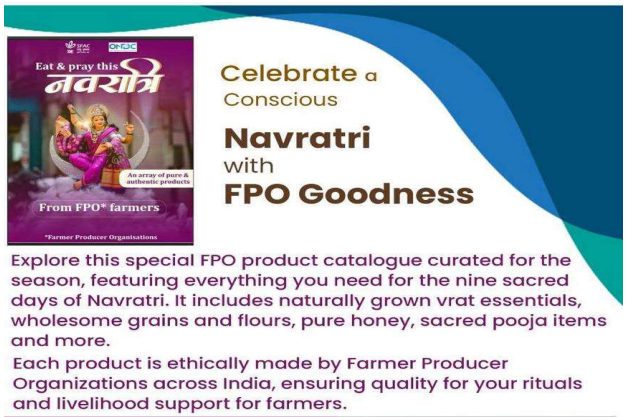

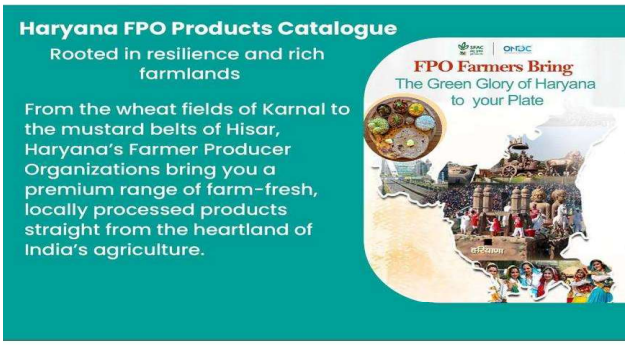

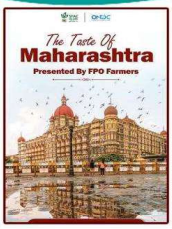

Direct from the
Land of Sahyadri

Maharashtra
FPO Products
Catalogue

From the rich black soils of Vidarbha to the lush green valleys of Konkan, this catalogue brings you the finest agri-produce and value-added products crafted by Farmer Producer Organisations across Maharashtra. Each product reflects the dedication of local farmers, sustainable practices, and the spirit of rural entrepreneurship. Explore a curated range of grains, pulses, spices, oils and processed foods straight from farm to your home.

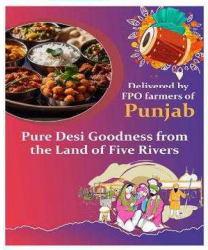

Punjab
FPO Products
Catalogue

From golden fields to your table, explore the rich legacy of Punjab through authentic, farmer-grown products. Curated with care by Punjab's Farmer Producer Organizations, this catalogue is a celebration of purity, tradition and empowerment.

Rooted in Tradition,
Grown with Purpose

Discover Chhattisgarh's Finest"

From the lush forests to the fertile plains, Chhattisgarh's FPOs bring you a curated selection of authentic, farmer-grown products that reflect the region's rich tribal heritage and natural abundance. Every grain, spice, oil, and handcrafted item in this catalogue is a testament to sustainable farming, community strength, and traditional knowledge passed down through generations.

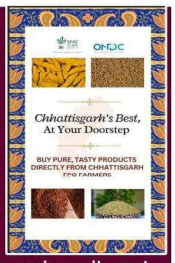

Ethically Grown and proudly presented

West Bengal
FPO Products Catalogue

Discover the rich bounty of West Bengal through this specially curated FPO Products Catalogue — a vibrant showcase of the region's finest produce, handcrafted goods and farmer-driven innovation.

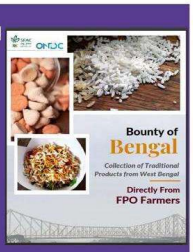

From aromatic rice and traditional spices to forest treasures and organic delights, each product tells a story of soil, sweat, and sustainability.

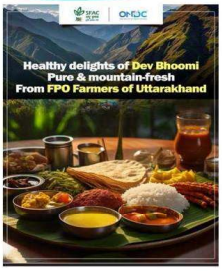

From the Hills of
Devbhumito your Home

Uttarakhand
FPO Products
Catalogue

Sourced from the pristine Himalayan region, this catalogue features the purest local treasures, red rice, pulses, honey, herbs, and traditional hill grains, grown and prepared by Farmer Producer Organizations across Uttarakhand. Each product reflects the natural richness, clean farming practices, and cultural heritage of the mountains, while empowering local communities and sustainable hill agriculture.

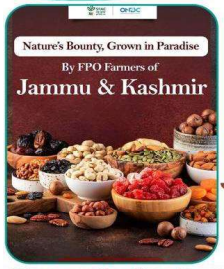

From the
snow-kissed
valleys to your
doorstep

Jammu & Kashmir
FPO Products
Catalogue

Discover the finest produce from the region's Farmer Producer Organizations, authentic saffron, juicy apples, rajma, walnuts, honey, spices, and handcrafted wellness products, all grown and made with care in the lap of the Himalayas. Each product reflects the heritage, flavour, and natural abundance of J&K, while supporting local farmers and sustainable rural livelihoods.

Madhya Pradesh
FPO Products Catalogue

Known as the agricultural powerhouse, Madhya Pradesh brings you a vibrant selection of farm-fresh and naturally processed products through its Farmer Producer Organizations. Explore a rich range of wheat, pulses, millets, cold-pressed oils, spices and tribal forest produce. Each product reflects purity, sustainability, and the spirit of self-reliant rural communities.

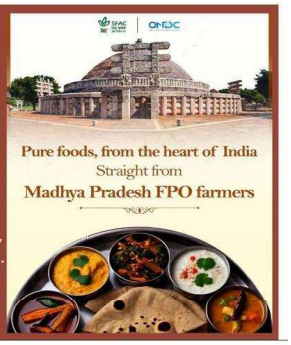

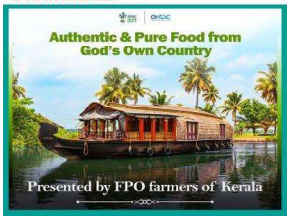

From God's Own Country to
your kitchen

Kerala FPO Products Catalogue

Bringing together the best of Kerala's natural bounty; aromatic spices, virgin coconut oil, jackfruit products, black pepper, banana chips, rice varieties, and herbal wellness items, this catalogue features authentic products grown and crafted by Farmer Producer Organizations across the state. Every item reflects Kerala's rich agro-diversity and cultural heritage, while supporting ocal farmers and sustainable livelihoods.

2.12 10 हजार किसान उत्पादक संगठन योजना के अंतर्गत गठित एफपीओ की सफलता की कहानियां

2.12.1 मोयाखेड़ा फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

महीदपुर ब्लॉक, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश

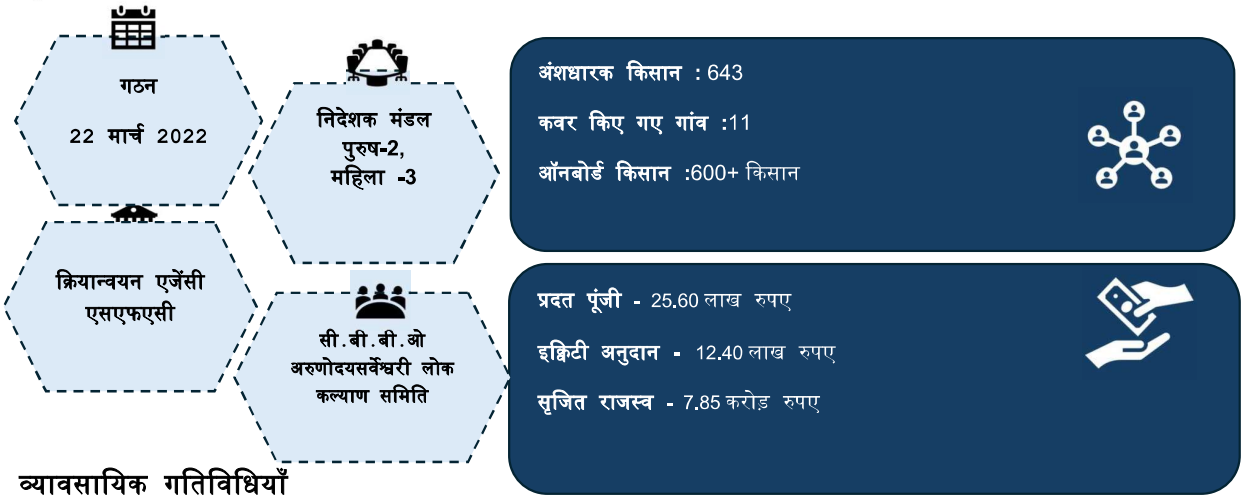

व्यावसायिक गतिविधियाँ

- मधुमक्खी पालन तथा शहद उत्पादन की व्यावसायिक गतिविधि पर विशेष ध्यान
- उर्वरक, कीटनाशक, बीज, जैविक खादों इत्यादि सहित इनपुट व्यापार इत्यादि
- गेंहू, सोयाबीन, मक्का तथा चना के व्यापार तथा खरीद सहित आउटपुट व्यापार.

व्यावसाय मॉडल -

मूल्य की स्थिति	मार्केटिंग चैनल	बाज़ार पहुँच	प्रशिक्षण और प्रदर्शन
प्रमुख फसलों के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, जिससे उनका बाजार मूल्य बढ़ जाए। शहद उत्पादन सुविधाएँ जो प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती माँग को पूरा करती हैं। भंडारण समाधान जो कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करते है।	स्थानीय और क्षेत्रीय बाज़ारों में पारंपरिक ऑफ़लाइन मार्केटिंग। अधिक दर्शकों तक पहुँचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति का विस्तार।	स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों बाज़ारों में मज़बूत पकड़, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की योजना। इसके शहद उत्पादों ने अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए पहचान बनाई है।	नियमित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्र किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों से लैस करते हैं। सदस्य किसानों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक्सपोज़र दौरे किए जाते है।

उत्पाद पोर्टफोलियो-

इनपुट उत्पाद	गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशक थोक दरों पर उपलब्ध हैं।
मूल्यवर्धित फसलें	• प्राथमिक फसलें :गेहूं, सोयाबीन और चना • मूल्यवर्धित उत्पाद: उच्च गुणवत्ता वाला, प्रसंस्कृत शहद और ब्रांडेड कृषि उत्पाद
वित्तीय पहुँच	एमएफपीसीएल ने अपने परिचालन को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए इक्विटी अनुदान और सरकार समर्थित ऋण सुविधाओं का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

साझेदारियां- (खरीदार, कंपनियां और संस्थान)- शहद उत्पादन में वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ सहयोग। वित्तपोषण और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निकायों के साथ साझेदारी। निरंतर माँग और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निजी खरीदारों के साथ सहयोग।

मान्यता- सफलता का मंत्र -

समावेशी विकास: समानता और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी बढ़ाना

विशेषज्ञता: सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार।

किसानों को लाभ: किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, सोयाबीन और चना के संग्रहण और बिक्री को सुव्यवस्थित करना।

विपणन लिंकेज : इनपुट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई तथा पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती लिंकेज पर ध्यान दिया गया।

राजस्व वृद्धि: राजस्व बढ़कर 2.91 करोड़ रुपए गया, जो 600 से अधिक किसानों के जुड़ने से दस गुना वृद्धि दर्शाता है।

रणनीतिक पहल:

- इनपुट तक बेहतर पहुँच
- बाज़ार तक बेहतर पहुँच
- सरकारी समर्थित योजनाओं और ऋण सुविधाओं तक वित्तीय पहुँच को सुगम बनाना
- फसल चक्र और जैविक विधियों जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना

प्रभाव और भविष्य की योजनाएँ:

- मधुमक्खी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में विविधता लाना
- सुदृढ़ प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता
- अन्य फसलों के लिए प्रसंस्करण सुविधाएँ शुरू करना विपणन चैनल को मज़बूत बनाना।

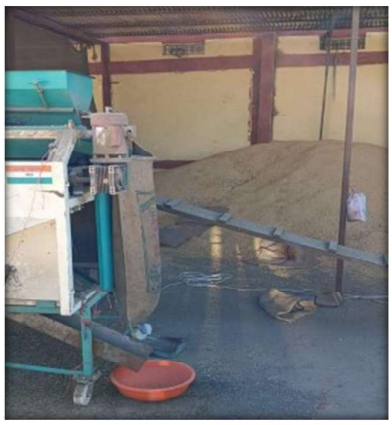

2.12.2 ग्राम समृद्धि किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड

परसाला ब्लॉक, जिला तिरुवनंतपुरम, केरल

गठन
20 जुलाई
2021

निदेशक मंडल
पुरुष -9, महिला
-1

क्रियान्वयन एजेंसी
एसएफएसी

सीबीबीओ-
सीआईएसएसए

अंशधारक किसान: 552

कवर किए गए गांव: 6

ऑनबोर्ड किसान: 552

प्रदत पूंजी - 21.18 लाख रुपए

इक्विटी अनुदान - 10.18 लाख रुपए

सृजित राजस्व -. 2.99 करोड़ रुपए

व्यावसायिक गतिविधियाँ –

- इपवुट शॉप (बीज, उर्वरक, जैविक खाद, कीटनाशक)
- पशु आहार शॉप (मुर्गी, बकरी, मछली का चारा)
- कस्टम हायरिंग सेंटर (आधुनिक कृषि मशीनरी)
- एकत्रीकरण और बिक्री केन्द्र (केला, टैपिओका, सब्जियाँ)
- नट्टुपीडिका (स्थानीय उपज बाज़ार)
- नर्सरी (सब्ज़ियों के पौधे, फलों के पौधे)
- सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए कृषि ड्रोन

व्यावसाय मॉडल -

मार्केटिंग चैनल
ई-कॉमर्स और ऑफलाइन बिक्री

बाज़ार पहुँच – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर (ONDC के माध्यम से)

प्रौद्योगिकी सहायता – जलवायु-लचीली पद्धतियाँ, जीपीएस, एआई-आधारित उपकरण

प्रशिक्षण और प्रदर्शन
तकनीकी प्रशिक्षण : 25
औद्योगिक अनुभव दौरे : 20
ड्रोन प्रदर्शन : 240 हेक्टेयर में परिशुद्ध कृषि से 1,000 से अधिक किसानों को लाभ

उत्पाद पोर्टफोलियो -

इनपुट उत्पाद	बीज, उर्वरक, जैव-खाद, कीटनाशक
मूल्य वर्धित उत्पाद	टैपिओका पापड़, सूखा टैपिओका, ऑयस्टर मशरूम, केला-आधारित उत्पाद
प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग	जैम, अचार और मसाला मिश्रण

साझेदारियां– (खरीदार, कंपनियां और संस्थान)–

- **अनुसंधान एवं विकास** :सीटीसीआरआई
- **वित्तीय संस्थान** :एसबीआई, यूको बैंक, केनरा बैंक
- **सरकारी सहायता** :एफएटीसी, एपीडा, एसएमएएम

मान्यताएं -

- **पुरस्कार**: जीएएफ पुरस्कार (2023), ईकेएल एग्रो पुरस्कार (2023), सर्वश्रेष्ठ एफपीओ (उद्यमता पुरस्कार, 2024)
- **मीडिया सुविधाएँ** : राष्ट्रीय और स्थानीय मान्यता

सफलता का मंत्र -

नवाचार, साझेदारी और किसान–केंद्रित समाधानों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना।

रणनीतिक पहल:

- **केन्द्र** : मूल्यवर्धित उत्पादों के पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए, पैकेजिंग में सुधार करना।
- **आधुनिकीकरण** : सटीक खेती के लिए एआई, जीपीएस और आईओडी का क्रियान्वयन
- **प्रशिक्षण**: जलवायु अनुकूलन और उन्नत कृषि पद्धतियाँ

सामाजिक प्रभाव और उपलब्धियाँ

- **रोज़गार सृजन**: विभिन्न उद्यमों से 30 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार
- **महिला सशक्तिकरण** : महिला नेतृत्व वाली 20 उद्यम
- **किसान आय सुधार**: अतिरिक्त13,000 रुपए से 23,000 रुपए प्रति माह प्रति यूनिट
- **सतत व्यवसाय** : जैविक खाद उत्पादन, जलवायु–प्रतिरोधी खेती

प्रमुख पहल:

- **सहस्रदलम** : 360 शेयरधारक उद्यमियों को समर्थन
- **मुट्टा ग्राम परियोजना** : पोल्ट्री इकाइयों से 100 से अधिक शेयरधारकों को लाभ
- **वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन**: जैविक अपशिष्ट उपयोग से 300 किसानों को लाभ
- **एकत्रीकरण और बिक्री**: 500 खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति, 0.5 टन की दैनिक खरीद

2.12.3 मीनापुर किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

मीनापुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार

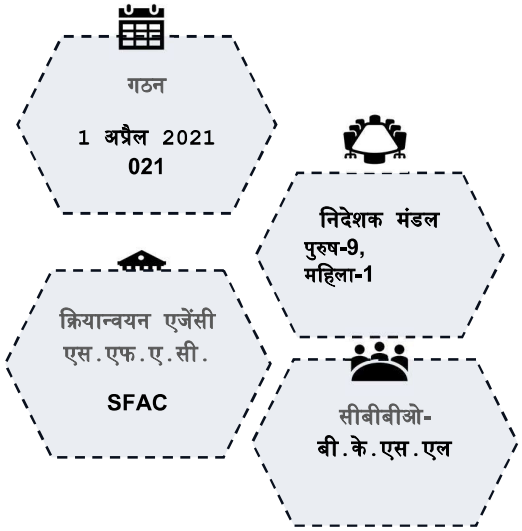

शेयर धारक किसान : 812

कवर किए गए गांव: 20

किसान ऑनबोर्ड : 812

प्रदत्त पूंजी - 15 लाख रुपए

इक्विटी अनुदान - 15 लाख रुपए

सृजित राजस्व - 4.41 करोड़ रुपए

व्यावसायिक गतिविधियाँ –

- इनपुट आपूर्ति :बीज, उर्वरक, पशु आहार, कीटनाशक।
- आउटपुट मार्केटिंग :मक्का, गेहूँ और धान का एकत्रीकरण और प्रत्यक्ष बिक्री।
- मूल्यवर्धित उत्पाद :गेहूँ दलिया, साफ़ और पैक किया हुआ गेहूँ।
- ओएनडीस, ई-नाम, एनसीसीएफ और संस्थागत खरीदारों के माध्यम से बाज़ार संपर्क।
- कस्टम हायरिंग सेवाएँ :कृषि उपकरण किराये पर।

व्यवसाय मॉडल-

मूल्य प्रस्ताव	मार्केटिंग चैनल्स	बाजार पहुंच	लाइसेंस	प्रशिक्षण और प्रदर्शन
कम इनपुट लागत, बेहतर मूल्य प्राप्ति और प्रत्यक्ष बाजार पहुँच	ओएनडीसी, ईएनएएम, आईईसी और खुदरा दुकानें।	बिहार और आसपास के राज्यों.	पंजीकृत ओएनडीसी, ई-नाम, एनसीसीएफ	वैज्ञानिक फसल पद्धतियाँ, इनपुट उपयोग, और बाजार बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण

उत्पाद पोर्टफोलिओ -

इनपुट उत्पाद	बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैव-उत्पाद।
मूल्य वर्धित उत्पाद	गेहूँ का दलिया, पैकेज्ड अनाज।
प्राथमिक उत्पाद	मक्का, गेहूँ, धान, सब्जियाँ।

साझेदारिया– (खरीदार, कंपनियां और सस्थान)–

- **संस्थागत खरीदार:** एनसीसीएफ, एचआईएल, एनएससी
- **वित्तीय सहायता:** सरकारी ऋण योजनाएं और अभिसरण मॉडल।

मान्यताएं -

उपलब्धियां: लाल किले में राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनियों और आजादी का अमृत महोत्सव में भागीदारी।
सामुदायिक पहल: क्षमता निर्माण, बाजार आसूचना, और कृषि उत्पादकता वृद्धि।

सफलता का मंत्र -

बाजार पहुंच और प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाना

प्रभाव एवं लाभ :

- बेहतर बाज़ार संपर्कों के माध्यम से आय में वृद्धि।
- थोक ख़रीद के कारण इनपुट लागत में कमी।
- वैज्ञानिक कषि विधियों के बारे में जागरूकता और उन्हें अपनानाा।
- भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना को मज़बूत किया गया।

भविष्य की योजनाएं:

- गेहूँ प्रसंस्करण इकाई और गोदाम स्थापित करना।
- किसानों की भागीदारी बढ़ाएँ और शेयरधारक आधार बढ़ाना।
- मूल्यवर्धित उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री को मज़बूत करना।

2.12.4 स्वपन किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड

डीघ ब्लॉक, भदोही जिला, उत्तर प्रदेश

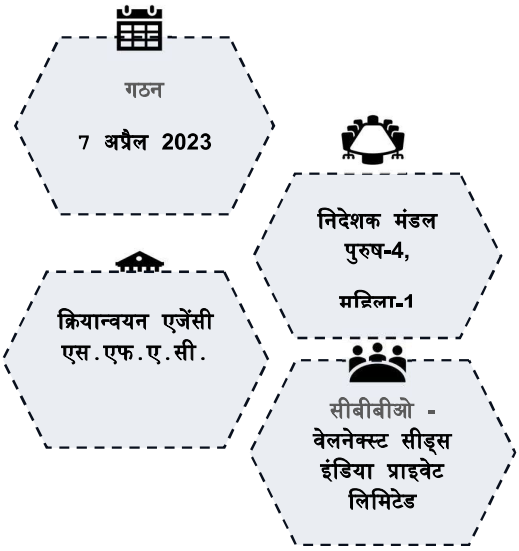

शेयर धारक किसान : 1012
कवर किए गए गांव: 18
किसान ऑनबोर्ड: 1012

प्रदत्त पूंजी - 30.00 लाख रुपए
इक्विटी अनुदान- 15.00 लाख रुपए
सृजित राजस्व- 1.23 करोड़ रुपए

व्यावसायिक गतिविधियां –

- बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने वाला इनपुट व्यवसाय।
- गेहूँ, चावल, मिश्रित सब्ज़ियाँ और सुपर सीड्स) अलसी, क्विनोआ, ज्वार (का संग्रह और विपणन करने वाला आउटपुट व्यवसाय।
- रागी कुकीज़, ज्वार कुकीज़, बाजरा कुकीज़ और दलिया जैसे उत्पादों के साथ मूल्य संवर्धन।
- बेहतर प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए एक एकीकृत पैक हाउस इकाई की स्थापना।

व्यवसाय मॉडल -

मूल्य प्रस्ताव	विपणन चैनल	बाजार पहुंच	लाइसेंस	प्रशिक्षण और प्रदर्शन
सामूहिक विपणन, मूल्य संवर्धन और प्रत्यक्ष बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना।	ओएनडीसी, स्थानीय खुदरा, प्रत्यक्ष विपणन, सामुदायिक कार्यक्रम।	उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य।	खाद्य बिक्री और प्रसंस्करण के लिए एफएसएसएआई और कृषि इनपुट लाइसेंस।	उत्तम कृषि पद्धतियों, मूल्य संवर्धन और डिजिटल विपणन पर क्षमता निर्माण.

उत्पाद पोर्टफोलिओ –

इनपुट उत्पाद	बीज, उर्वरक और कीटनाशक.
प्राथमिक उत्पाद	गेहूं, चावल, मिश्रित सब्जियां, सुपर बीज (अलसी, क्विनोआ, सोरघम)).
मल्य वर्धित उत्पाद	रागी कुकीज़, ज्वार कुकीज़, बाजरा कुकीज़, दलिया, बाजरा बिस्कुट.

साझेदारियां- (खरीदार, कंपनियां और संस्थान) –

- इनपुट वितरकों, सरकारी संस्थानों और स्थानीय बाज़ारों के साथ सहयोग।
- ई-कॉमर्स विकास के लिए ओएनडीसी पर डिजिटल उपस्थिति

मान्यताएं -

जिला, राज्य और राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया।

क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए मान्यता प्राप्त।

सफलता का मंत्र -

बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए सामूहिक विपणन और मूल्य संवर्धन।

बिचौलियों को खत्म करना तथा प्रत्यक्ष बाजार पहुंच के माध्यम से लाभ बढ़ाना।

रणनीतिक पहल:

- मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के लिए एक एकीकृत पैक हाउस की स्थापना।
- प्रत्यक्ष बाजार संबंधों को सुदृढ़ करना और बिचौलियों को समाप्त करना।
- डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स उपस्थिति का विस्तार।

प्रभाव एवं लाभ:

- 1000 किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि।
- सामूहिक खरीद के माध्यम से इनपुट लागत में कमी।
- सामाजिक-आर्थिक उत्थान और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ।
- भविष्य की योजनाएं :
- निर्यात और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाज़ार पहुँच का विस्तार करें।
- उत्पाद पोर्टफोलियो और मूल्यवर्धित पेशकशों में विविधता लाएँ।
- किसानों की भागीदारी बढ़ाएँ और ब्रांडिंग को मज़बूत बनाएँ।

अतिरिक्त गतिविधियां:

- जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- प्रदर्शन भ्रमण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

2.12.5 बिलारा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

बिलारा ब्लॉक, जोधपुर जिला, राजस्थान

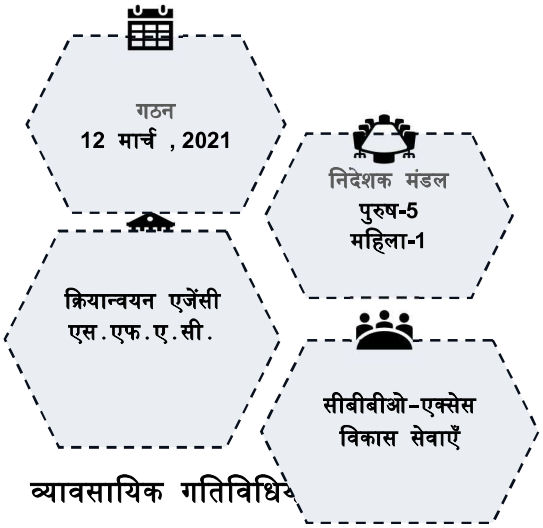

शेयर धारक किसान : 750

कवर किए गए गांव: 08

किसान ऑनबोर्ड : 750

प्रदत्त पूंजी - 10.44 लाख रुपए

इक्विटी अनुदान - 5.22 लाख रुपए

सृजित राजस्व - 3.59 करोड़ रुपए

व्यावसायिक गतिविधि

सौंफ और जीरे के उत्पादन विपणन की सुविधा प्रदान करना, अग्रणी कीटनाशक और उर्वरक कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करना, प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएं, मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग।

व्यवसाय मॉडल -

मूल्य प्रस्ताव

मुखवास (माउथ फ्रेशनर) जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए उन्नत ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियाँ, ताकि विशिष्ट बाजारों तक पहुंच बनाई जा सके।

विपणन चैनल

कच्चे माल और इनपुट के लिए स्थानीय बाज़ार और थोक विक्रेता, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म

बाज़ार पहुँच

उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए बेहतर बाज़ार संपर्क औ माल और इनपुट र किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने हेतु बिचौलियों पर निर्भरता कम करना

प्रशिक्षण और प्रदर्शन

शासन और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विपणन और नेतृत्व कौशल पर ध्यान केंद्रित करना

मान्यताएं -

मेला/प्रदर्शनियों में एफपीओ की भागीदारी

- भारतीय मसाला बोर्ड ने स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने में असाधारण प्रगति के लिए एफपीओ की सराहना की है

सफलता के मंत्र और प्रभाव

- रणनीतिक योजना, किसान-केंद्रित हस्तक्षेप, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता, अंतर-फसल पद्धतियाँ और भूमि उपयोग का अनुकूलन तथा उपज में वृद्धि
- 8 गाँवों के 750 सदस्य किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
- 20-30% बेहतर मूल्य प्राप्ति और किसानों की आय में वृद्धि

रणनीतिक पहल:

- उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक, कीटनाशक और बीज प्रदान करने वाले गुणवत्तापूर्ण इनपुट आपूर्ति व्यवसाय तक पहुँच
- वित्त पोषण और एफपीओ तक पहुँच ने इनपुट और आउटपुट दोनों व्यवसायों को मज़बूत करने के लिए नबकिसान से 5 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया
- आईपीएम सौंफ और जीरे की खेती को बढ़ावा देना, उपज की निरंतरता में सुधार
- दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विपणन और संचालन के लिए विशेष टीमें

अध्याय-3

क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना के अंतर्गत मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन

3.1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) को मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन एवं संवर्धन हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह योजना 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

3.2 इस पहल को सहयोग देने के लिए, मत्स्य पालन विभाग ने कंपनी मॉडल के तहत 50 एफएफपीओ के गठन के लिए 2,100 लाख रुपये और सहकारी मॉडल के तहत 500 एफएफपीओ के गठन के लिए 11,000 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। कंपनी मॉडल के तहत प्रति एफएफपीओ परियोजना लागत 42.00 लाख रुपये और सहकारी मॉडल के तहत 22.00 लाख रुपये है।

3.3 एसएफएसी द्वारा इस योजना को बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा जैसे अंतर्देशीय राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत जलकृषि (एक्वाकल्चर) का विकास, मछली हैचरी की स्थापना, शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) का निर्माण, मछली बीज उत्पादन केंद्र एवं मछली आहार मिल/उत्पादन इकाइयों की स्थापना, जलाशयों में पिंजरा पद्धति (केज कल्चर) से मछली पालन का विस्तार, मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं मछली उत्पादन, उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाना शामिल हैं।

3.4 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के वित्तीय सहायता ढांचे के अंतर्गत, कंपनी मॉडल के तहत गठित प्रत्येक मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफपीपीओ) को इक्विटी अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत के लिए 12 लाख रुपए और संवर्धन एवं इनक्यूबेशन सहायता के लिए 20 लाख रुपये तक प्राप्त करने की पात्रता है। इसी प्रकार, सहकारी मॉडल के अंतर्गत गठित प्रत्येक एफएफपीओ इक्विटी अनुदान के रूप में 10 लाख रुपये, एफपीओ प्रबंधन के लिए 5 लाख रुपये और संवर्धन एवं इनक्यूबेशन के लिए 7 लाख रुपये के लिए पात्र है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एसएफएसी ने कंपनी और सहकारी मॉडल दोनों एफएफपीओ को वित्तीय सहायता के वितरण की सुविधा प्रदान की।

3.5 कंपनी मॉडल के अंतर्गत, 27 एफएफपीओ ने 124.799 लाख रुपये की इक्विटी अनुदान राशि प्राप्त की और 41 एफएफपीओ ने 103.03 लाख रुपये की प्रबंधन लागत का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त, कंपनी मॉडल एफएफपीओ को प्रोत्साहन और इनक्यूबेशन सहायता हेतु 61.52 लाख रुपये जारी किए गए। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 के दौरान कुल रुपए 289.35 लाख की वित्तीय सहायता वितरित की गई।

3.6 सहकारी मॉडल के अंतर्गत, 163 एफएफपीओ सोसाइटियों ने 544.80 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान तथा 243 सोसाइटियों ने 477.67 लाख रुपये की प्रबंधन लागत सहायता के रूप में प्राप्त की। इसके अतिरिक्त,

सहकारी मॉडल एफएफपीओ को संवर्धन और इनक्यूबेशन सहायता के लिए 554.41 लाख रुपये जारी किए गए। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी मॉडल एफएफपीओ को 1,576.88 लाख रुपये की कुल अनुदान राशि वितरित की गई।

3.7 ऋण सुविधा के संदर्भ में, कंपनी मॉडल के अंतर्गत, 5 एफएफपीओ ने 40.00 लाख रुपये का संस्थागत ऋण प्राप्त किया, जबकि सोसाइटी मॉडल के अंतर्गत, 29 एफएफपीओ ने कुल 30.85 रुपये लाख का ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी मॉडल के अंतर्गत राजस्थान में 3 एफएफपीओ को 162.00 लाख रुपये के परियोजना मूल्य वाली 54 केज कल्चर इकाइयों के लिए सहायता प्राप्त हुई। डिजिटल और विनियामक अनुपालन को और मजबूत करते हुए, कंपनी मॉडल के तहत सभी 50 एफएफपीओ ने एफएसएसएआई और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया, जबकि सोसायटी मॉडल के तहत 474 एफएफपीओ ने एफएसएसएआई पंजीकरण और 428 ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया।

3.8 बाजार लिंकेज पहल के तहत, कंपनी मॉडल के तहत 42 एफएफपीओ को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया हैं, जहाँ 139 उत्पाद प्रदर्शित किए गए है। इसी तरह, सोसायटी मॉडल के तत 336 एफएफपीअसे को ओएनडीसी पर पंजीकृत किया गया है, जिनके 251 उत्पाद सूचीबद्ध है। संगठनात्मक भागीदारी के संदर्भ में, कंपनी मॉडल के एफएफपीओ में, 9545 शेयरधारक हैं, जबकि सहकारी मॉडल के एफएफपीओ में 60,973 शेयरधारक शामिल हैं। नेतृत्व विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। कंपनी मॉडल के तहत, 259 सीईओ, 252 लेखाकारों और 384 निदेशकों को तथा सहकारी मॉडल के तहत, 1727 प्रबंधकों और 2250 निदेशकों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

3.9 कंपनी मॉडल के तहत 50 एफएफपीओ के लिए कुल 468 ऑनकैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम- कैंपस और ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3005 प्रतिभागी शामिल हुए। सहकारी मॉडल के तहत 499 एफएफपीओ 1519 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 15931 प्रतिभागी शामिल हुए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय मत्स्य पालन पश्चात प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी), सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (सीआईएफए), विभिन्न मत्स्य पालन कॉलेज, मत्स्य अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) जैसे प्रसिद्ध संसथानों द्वारा आयोजित किए गए।

इसके अतिरिक्त, कंपनी मॉडल के तहत 50 एफएफपीओ और सोसायटी मॉडल के तहत 483 एफएफपीओ और राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया हैं, जिनमें क्रमश: 881 और 9721 शेयरधारक पोर्टल पर पंजीकृत है। पीएमएमएसवाई के तहत एसएफएसी के हस्तक्षेप से एफएफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना जारी है, जिससे वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी अपनाने, उद्यम विकास और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। मछली किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है और भाग लेने वाले राज्यों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बदलाव आ रहा है।

(ख) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के तहत मत्स्य पालन सहकारी समितियों को संगठित एवं मजबूत करना

3.10 प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, मत्स्य पालन विभाग द्वारा पत्र संख्या J-01013/3/2025-FY दिनांक 120.01.2025 के माध्यम से 1651 मत्स्य सहकारी समितियों को चिन्हित करके मॉबिलाइजेशन के लिए मध्यवर्ती एजेंसी के रूप में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को आवंटित किया है। ये सहकारी समितियाँ बिहार (105), मध्य प्रदेश (525) और तेलंगाना (1021) राज्यों में स्थित हैं।

3.11 सभी प्राथमिक मत्स्य पालन सहकारी समितियों (पीएफसीएस) को योजना के लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (एनएफडीपी) पर पंजीकरण करना आवश्यक है, जो क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से होगा।

3.12 एस.एफ.ए.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) की प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(i) अनुदान आवेदन का प्रस्तुतिकरण: प्रत्येक प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति (पीईसीएस) कार्यालय संबंधी आवश्यकताओं- जैसे फर्नीचार, उपकरण और अन्य संबंधित जरूरतों के लिए रुपये 90,000 तक अनुदान के लिए पात्र है।

(ii) प्रत्येक प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति (पीईसीएस) द्वारा अपना गैप विश्लेषण और व्यवसाय योजना तैयार कर उसे राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर (एनएफडीपी) पर अपलोड करना अनिवार्य है।

(iii) प्रशिक्षण एवं क्षमता निमार्ण: प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) की संचालनात्मक और प्रबंधकीय क्षमताओं को मतबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहल आयोजित की जाएगी।

अध्याय-4

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत समर्थित किसान उत्पादक संगठन

4.1 लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड का एक संस्थापक सदस्य है। **राष्ट्रीय मधुपालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)**, 2020 के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार एस.एफ.ए.सी. को मिशन की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

4.2 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को अनुदान देने का मुख्य उद्देश्य उन्हें मधुमक्खी पालन एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन (मार्केटिंग) में संलग्न होने के लिए जागरूक और सक्षम बनाना है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालकों और एफपीओ को

अतिरिक्त आय प्रदान करने सहित विशिष्ट वनस्पतियों (फ्लोरा) के आधार पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है।

4.3 राष्ट्रीय मधुपालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत वर्ष 2024-25 में 10 राज्यों में 32 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मधुपालन मूल्य श्रृंखला से जुड़ी विविध गतिविधियों के लिए एसएफएसी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। इन गतिविधियों में संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्तापूर्ण मधुपालन अवसंरचना का विकास, जैसे कि विभिन्न क्षमताओं वाले शहद प्रसंस्करण संयंत्र, क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक सेंटर, परीक्षण प्रयोगशालाएं, कोल्ड स्टोरेज, और मधुमक्खी-अनुकूल उद्यान शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य मधुमक्खी पालकों की आजीविका को सुदृढ़ करना और राज्य- विशिष्ट शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि बेहतर बाजार पहुंच, मूल्य प्राप्ति और ग्रामीण उद्यमिता का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इन 32 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय मधु बोर्ड (एनबीबी) द्वारा एनबीएचएम के अंतर्गत कुल 1,368.01 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वर्ष 2024-25 के दौरान रुपए 972.88 लाख की राशि जारी की जा चुकी है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1 **एनबीएचएम (2024-25) के अंतर्गत समर्थित एफपीओ और गतिविधियों का राज्य-वार वितरण**

राज्य	एफपीओ की संख्या	गतिविधि विवरण
पश्चिम बंगाल	11	शहद संग्रहण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विपणन एवं अन्य मधुमक्खी उत्पाद (4 एफपीओ) - पैकेजिंग, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज (1 एफपीओ) - संग्रहण, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन (1 एफपीओ) - गुणवत्ता न्यूक्लियस स्टॉक सेंटर (1 एफपीओ) - क्यूएनएससी + मधुमक्खी विष संग्रह (1 एफपीओ) - क्यूएनएससी + मधुमक्खी विष और मोम उत्पादन (2 एफपीओ)
अरूणाचल प्रदेश	1	शहद प्रसंस्करण इकाई (5 मीट्रिक टन) और भंडारण केंद्र
छत्तीसगढ़	1	प्रसंस्करण, परीक्षण प्रयोगशाला, शीत भंडारण, संग्रहण, व्यापार, ब्रांडिंग, विपणन
हिमाचल प्रदेश	1	शहद प्रसंस्करण इकाई (10 मीट्रिक टन)
जम्मू और कश्मीर	3	शहद प्रसंस्करण इकाइयाँ (2 × 5 मीट्रिक टन, 1 × 10 मीट्रिक टन)
उत्तर प्रदेश	3	शहद प्रसंस्करण इकाई और परीक्षण प्रयोगशाला (1 एफपीओ) - शहद प्रसंस्करण इकाइयाँ (2 × 5 मीट्रिक टन)
पंजाब	2	शहद एवं मधुमक्खी उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयाँ)2 × 10 मीट्रिक टन)
राजस्थान	8	क्यूएनएससी + मधुमक्खी-अनुकूल उद्यान + ब्रांडिंग एवं विपणन केंद्र (1 एफपीओ) - क्यूएनएससी + मधुमक्खी-अनुकूल उद्यान (4 एफपीओ) - शहद प्रसंस्करण इकाई (5 मीट्रिक टन) + भंडारण केंद्र (1 एफपीओ) - क्यूएनएससी विकास (1 एफपीओ) - पैकेजिंग, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज (1 एफपीओ)
महाराष्ट्र	1	- शहद एवं मधुमक्खी उत्पाद प्रसंस्करण इकाई + भंडारण केंद्र
ओडिशा	2	- क्यूएनएससी + मधुमक्खी विष और मधुमक्खी मोम उत्पादन
कुल	32	

4.4 प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024-25 तक, राष्ट्रीय के अंतर्गत कुल 30 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने एस.एफ.ए.सी. के माध्यम से अपनी मधुपालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया हैं। ये एफपीओ शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिससे मधुमक्खी पालन मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में योगदान मिल रहा है।

4.5 एफपीओ द्वारा शहद-आधारित नवाचारपूर्ण उत्पादों की एक विविध एवं विशिष्ट श्रृंखला का विकास एवं विपणन किया गया है। इन उत्पादों में बी वैक्स लिप बाम, लीची शहद, हनी सीड मिक्स, हनी रोज़ शरबत, हनी बॉडी वॉश, हनी बादाम साबुन, कच्चा शहद, बी वैक्स ब्लॉक्स, बी पराग (मल्टीफ्लोरा एवं सरसों), बी प्रोपोलिस, वन शहद, तुलसी शहद, जामुन शहद, अंकोल शहद, सहजन (ड्रमस्टिक) शहद, सरसों शहद, सुंदरबन शहद तथा **स्टिंगलेस शहद** आदि शामिल हैं।

4.6 इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, शहद-आधारित गतिविधियों से कुल कारोबार प्रारंभ से अब तक, 232.06 लाख रुपए तक पहुँच गया है। इस उपलब्धि में 30 एफपीओ से जुड़े 9,647 मधुमक्खी पालकों की सक्रिय भागीदारी रही है। यह उपलब्धि ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण, मूल्य संवर्धन एवं मधुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है।

4.7 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय मधुपालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत सहायता प्राप्त छह एफपीओ ने वर्ष 2023-24 में स्वीकृत रुपए 115.00 लाख की शेष अनुदान राशि का लाभ उठाया। इन एफपीओ ने कुल रुपए 294.71 लाख की परियोजना लागत के अंतर्गत अपनी परियोजना गतिविधियाँ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हैं, जिसका विवरण नीचे तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका: 2 **एनबीएचएम (2023-24) के अंतर्गत समर्थित एफपीओ और गतिविधियों का राज्यवार वितरण:**

राज्य	एफपीओ की संख्या	गतिविधि विवरण
हरियाणा	2	शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों का संग्रहण, व्यापार, ब्रांडिंग एवं विपणन
झारखंड	1	शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों का संग्रहण, व्यापार, ब्रांडिंग और विपणन
कर्नाटक	1	शहद एवं मधुमक्खी उत्पादों का प्रसंस्करण, परीक्षण प्रयोगशाला, कोल्ड स्टोरेज, संग्रहण, व्यापार, ब्रांडिंग एवं विपणन
उत्तर प्रदेश	1	शहद एवं मधुमक्खी उत्पादों का प्रसंस्करण
पश्चिम बंगाल	1	शहद पैकिंग, भंडारण सुविधा और मधुमक्खी विष संग्रह इकाई की स्थापना
कुल	**6**	

4.8 25 एफपीओ ने शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया है, जिससे ऑनलाइन बाजार से जुड़ाव और उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच संभव हो गई है, जिससे उनके विपणन चैनलों का विस्तार हुआ है और डिजिटल बाजार में उनकी दृश्यता बढ़ी है।

मीठी सफलता जरेली प्रकृति में छत्तीसगढ़ : एफपीओ की मधुमक्खी पालन क्रांति

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित प्रकृति जरेली किसान उत्पादक कंपनी, पारंपरिक आजीविका को लाभदायक और टिकाऊ उद्यमों में बदलकर मधुमक्खी पालन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। प्रारंभ में, राज्य में कोई शहद उत्पादन या प्रसंस्करण इकाई नहीं थी। किसानों को बिचौलियों को मात्र 120-160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कच्चा शहद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पैकेजिंग, भंडारण और परीक्षण सुविधाओं के अभाव ने गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और बाजार पहुँच को सीमित पहुँच सीमित थी, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था।

राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के समर्थन से, एफपीओ ने बिलासपुर में 10 मीट्रिक टन/दिन क्षमता वाली 126.16 लाख रुपए की लागत से शहद एवं मधुमक्खी उत्पाद प्रसंस्करण इकाई, शीत भंडारण, एक परीक्षण प्रयोगशाला और एक विपणन केंद्र की स्थापना की। इस पहल से बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर ब्रांडिंग सुनिश्चित हुई और किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ।

परिणाम बेहद प्रभावशाली रहे हैं। शहद की खरीद 2022-23 में 300 किलोग्राम से बढ़कर 2024-25 में 5,000 किलोग्राम तक पहुँच गई है, जिसमें 700 से अधिक मधुमक्खी पालक शामिल हो चुके हैं। शहद की कीमत भी बढ़कर 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे किसानों की आय और प्रेरणा में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ। एफपीओ ने 10 से अधिक शहद-आधारित उत्पादों में विविधता लाई है, जिनमें कच्चा शहद, लीची, जामुन, हिमालयन और वन शहद, साथ ही लिप बाम, साबुन, हर्बल पेय और प्राकृतिक बॉडी केयर उत्पाद शामिल हैं।

प्रकृति जरेली एफपीओ ने अपने नवाचारों को आई.आई.टी. दिल्ली, नाबार्ड प्रदर्शनी और यहाँ तक कि दुबई वर्ल्ड एक्सपो जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया है। इसके प्रयासों को जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसान से उपभोक्ता तक सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए सराहा गया है। वित्तीय रूप से, राजस्व 2023-24 में रुपए 3.25 लाख से बढ़कर 2024-25 में 6.50 लाख रुपए हो गया, और अगले वर्ष के लिए 85 लाख रुपए का बिक्री लक्ष्य रखा गया है। सकल लाभ में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दक्षता और बेहतर मूल्य प्राप्ति को दर्शाता है।

यह सफर इस बात को उजागर करता है कि केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, एकीकृत ब्रांडिंग और गुणवत्ता आश्वासन जैसे कदम किसी भी उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और उपभोक्ताओं के विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। पारदर्शिता किसानों की सक्रिय भागीदारी ने इस पहल को सतत और न्यायसंगत मूल्य वितरण प्रणाली में बदल दिया है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिल रहा है।भविष्य को देखते हुए, एफपीओ की योजना खरीद को बढ़ाकर 20 से अधिक उत्पादों तक पहुंचाना तथा परागकरण और मौम से बने उत्पादों की शुरुआत करना है।

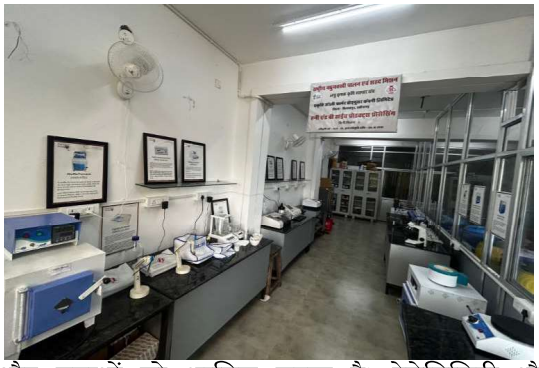

इसका उद्देश्य अधिक मधुमक्खी बक्से वितरित करना, "प्रकृति एफपीसी हनी" को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना और अधिक महिलाओं और युवाओं को शामिल करना है। ट्रेसेबिलिटी और जैविक प्रमाणन के साथ, एफपीओ बड़े बाजारों तक पहुँचने की तैयारी कर रहा है।

इस प्रकार, प्रकृति जरेली एफपीओ की कहानी यह साबित करती है कि संस्थागत समर्थन के साथ, पारंपरिक मधुमक्खी पालन एक स्केलेबल, उच्च-मूल्य और पर्यावरण-अनुकूल कृषि व्यवसाय के रूप में विकसित हो सकता है।

शहद की शक्ति का उपयोग : आर्याही ने एफपीसी मधुमक्खी पालन में सहारनपुर में बदलाव लाया

आर्याही फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2021 में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक शहद उत्पादन वाले ज़िले सहारनपुर में हुई थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी किसान नेतृत्व शहद-प्रसंस्करण इकाइयों में से एक के

रूप में तेज़ी से उभरी है। 40% महिलाओं सहित 670 किसानों और मधुमक्खी पालकों के आधार के साथ, इस एफपीसी की स्थापना शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य-श्रृंखला विकास को एक मंच पर एकीकृत करके क्षेत्र की मधुमक्खी पालन क्षमता को उजागर करने के लिए की गई थी। इसके गठन से पहले, किसानों को मुश्किल से 130-150 रुपये प्रति किलोग्राम की खराब कीमत, अपर्याप्त भंडारण और परीक्षण या ब्रांडिंग सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

राष्ट्रीय मधु एवं शहद (एनबीएचएम) के तहत, आर्याही एफपीसी ने 286.31 लाख रुपए की लागत से एक हनी एवं बीहाइव उत्पाद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की, जिसकी क्षमता 20 मीट्रिक टन प्रति दिन है। इस इकाई में कोल्ड स्टोरेज, एफएसएसएआई-अनुपालित प्रयोगशाला और आधुनिक विपणन व ब्रांडिंग कक्ष जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और सदस्य अंश पूंजी से प्राप्त वित्तीय सहयोग ने कंपनी के ढांचे को और मज़बूत किया, जिसमें एक स्वचालित बॉटलिंग लाइन और 80 केवीए का ट्रांसफार्मर भी शामिल हैं। इस पहल ने मधुमक्खी पालन को एक बिखरी हुई गतिविधि से बदलकर एक संगठित, किसान-स्वामित्व वाली इकाई में परिवर्तित कर दिया, जो गुणवत्ता आश्वासन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बना रही है।

आज, आर्याही फेड हर साल लगभग 10 लाख किलोग्राम शहद का प्रसंस्करण करती है और मल्टीफ्लोरा, सरसों, लीची, यूकलिप्टस, तुलसी, जामुन और बेर के फूलों से प्राप्त शहद जैसी विभिन्न किस्मों का विपणन करती है। इसके साथ ही, कंपनी ने मोमबत्तियाँ, साबुन, पराग और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे हनी पीनट बटर, गुलाब गुलकंद, और हनी मिलेट कुकीज़ के माध्यम से उपभोक्ता वर्ग में विविधता लाई है और बाज़ार का दायरा बढ़ाया है। इसके उत्कृष्ट कार्यों को व्यापक स्तर पर मान्यता मिली है। आर्याही का शहद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी परोसा गया है। साथ ही, एफपीसी की निदेशक श्रीमती उषा रानी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है।

आर्याही फेड ने ओएनडीसी माईस्टोर प्लेटफ़ॉर्म पर एक लाख रुपये की बिक्री सबसे तेज़ी से हासिल करने वाला एफपीओ बनकर डिजिटल माध्यमों को अपनाने में अपनी मज़बूत क्षमता साबित की है। कंपनी का टर्नओवर वर्ष 2023–24 में 1.36 करोड़ रुपए रहा, जो 2024–25 में बढ़कर 2.00 करोड़ रुपए हो गया है। आगामी वर्षों में इसका लक्ष्य 2025–26 में 10.00 करोड़ रुपए और 2026–27 में 15.00 करोड़ रुपए का कारोबार करना है। आज, 3,000 से अधिक किसान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और उनकी औसत वार्षिक आय 40,000 रुपए से बढ़कर 62,000 रुपए तक पहुँच गई है। वर्तमान में खुदरा शहद के दाम रुपए 180–200 प्रति किलोग्राम हैं। साथ ही, अपव्यय और रिसाव में 40% से अधिक की कमी आई है, जिससे प्रक्रिया में दक्षता और मुनाफ़ा दोनों सुनिश्चित हुआ है।

आर्यही की यात्रा से प्राप्त मुख्य सबक यह रेखांकित करते हैं कि केंद्रीकृत प्रसंस्करण और ब्रांडिंग बाजार में शक्ति प्रदान करते हैं, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण से खरीदार का विश्वास बढ़ता है, और शुद्धता से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है। बुनियादी ढाँचे, नवाचार और किसान स्वामित्व के एफपीसी के संयोजन ने इसे एक प्रतिष्ठित सफलता मॉडल में बदल दिया है।

इस प्रकार, आर्याही फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ग्रामीण उद्यमिता और नवाचार का एक प्रतीक बनकर उभरी है। यह साबित करती है कि दूरदृष्टि, सामूहिक शक्ति, और संस्थागत सहयोग के साथ, भारतीय किसान शहद और मधुमक्खी छत्ता (बीहाइव) उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक बाज़ार का नेतृत्व कर सकते हैं।

अध्याय-5

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार

5.1 योजना का अवलोकन

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल हैं, जिसका उद्देश्य देशभर की मौजूदा भौतिक कृषि उपज मंडी समितियों को एक वर्चुअल प्लेटफार्म (एपीएमसी) के माध्यम से आपस में जोड़ना हैं, ताकि कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया जा सके। ई-नाम एक" आभासी "बाजार है, लेकिन इसके पीछे एक भौतिक मंडी है। ई-नाम पोर्टल एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है जिसमें मंडी से संबंधित सभी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा, वस्तुओं की आवक, गुणवत्ता और कीमतें, खरीद-बिक्री के प्रस्ताव, व्यापार प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान और किसानों के खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान शामिल हैं, जबकि कृषि उपज का प्रवाह मंडियों के माध्यम से जारी रहेगा, ऑनलाइन बाज़ार का उद्देश्य लेन-देन की लागत कम करना, सूचना की विषमता को दूर करना और किसानों के लिए बाज़ार पहुँच का विस्तार करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है।

5.2 योजना डिजाइन:

5.2.1 किसानों/विक्रेताओं का एकमुश्त पंजीकरण, प्रवेश द्वार पर लॉट विवरण, तौल, गुणवत्ता परख, नीलामी/व्यापार लेनदेन, क्रेता द्वारा विक्रेताओं और लेनदेन श्रृंखला में शामिल अन्य एजेंसियों को भुगतान, ई-नाम पर ऑनलाइन होता है, जबकि वास्तविक सामग्री प्रवाह बाज़ार के माध्यम से भौतिक रूप से होता है। ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता है।

5.2.2 ई-नाम के लिए एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ने वाली प्रत्येक मंडी को यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक विपणन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक अनुकूलन किया गया है।

5.2.3 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संबंधित उपकरणों/बुनियादी ढांचे के लिए प्रति मंडी 75.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन एकमुश्त निश्चित लागत अनुदान देता है। प्रारंभ में, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट सुविधा, परख उपकरण के लिए प्रति मंडी 30.00 लाख रुपए एकमुश्त निश्चित अनुदान के रूप में आवंटित किए जाते हैं, जबकि छंटाई, ग्रेडिंग, सफाई और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति मंडी 40.00 लाख रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए जाते हैं और जैविक-खाद इकाई के लिए प्रति मंडी 5.00 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं।

5.2.4 इसके अतिरिक्त, मंडी कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्ष का जमीनी समर्थन, रणनीतिक साझेदार द्वारा किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और मंडी अधिकारियों के लाभ के लिए प्रतिवर्ष दो प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

5.2.5 इस योजना के अंतर्गत एक मजबूत साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है और इसे 23 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 1473 विनियमित कृषि बाजारों में लागू किया गया है।

5.3 ई-नाम में शामिल होने के लिए आवश्यक विपणन सुधार:

ई-नाम योजना के तहत राज्यों के एपीएमसी अधिनियम में 3 सुधार अनिवार्य हैं, जिन्हें योजना के अंतर्गत निधि एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए लागू किया जाना आवश्यक है। ये सुधार निम्नलिखित है:-

क) एकल एकीकृत व्यापार लाइसेंस,
ख) ई-ट्रेडिंग एवं
ग) बाजार शुल्क का एकल बिंदु शुल्क

5.4 ई-नाम के उद्देश्य:

ई-नाम के मुख्य उद्देश्य :-

- ई-नाम का विस्तार और सशक्तिकरण करने के लिए अधिक बाज़ारों को जोड़ना और राज्य मंडी तथा राज्यों के भीतर अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को लाभ प्रदान करने के लिए नए मॉड्यूल को सक्रिय रूप से औपचारिक रूप देना;
- ई-नाम मंच को एपीएमसी/आरएमसी मंडियों से आगे खोलना ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके और किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।
- गुणवत्ता परख प्रणालियों को मजबूत करना तथा अंतर-मंडी और अंतर-राज्य ई-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार विश्वसनीय ग्रेड-मानकों को विकसित करना; और
- ई-नाम के माध्यम से वेयरहाउस आधारित बिक्री (डब्ल्यू बी सी) और इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) पर ध्यान केन्द्रित करना।
- बाज़ार में अधिक मांग उत्पन्न करना और किसानों को लाभ पहुँचाना।

5.5 किसानों को लाभ

क) किसान मंडी जाने से पहले ही ई-नाम मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रचलित वस्तु मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ख) किसान अपने उत्पाद की लाइव ऑनलाइन बोली मूल्य मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं।

ग) वस्तु की अंतिम बोली दर का विवरण किसान को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है।

घ) किसानों को बोली राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त होती है।

ङ) पीक सीजन के दौरान, लॉट में शीघ्र प्रवेश की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉट के पूर्व-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

च) किसान अपनी उपज कई बाजारों में बेच सकते हैं।

छ) ई-नाम देश भर में खरीदारों/व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

ज) गुणवत्ता परीक्षित मापदंडों के आधार पर कीमतें।

ई-नाम प्रक्रिया प्रवाह

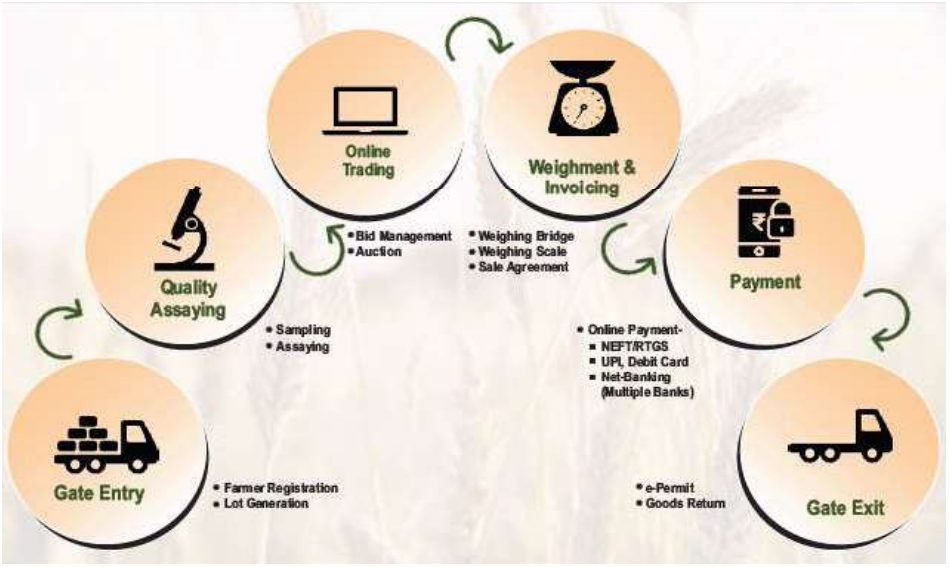

तालिका 5क

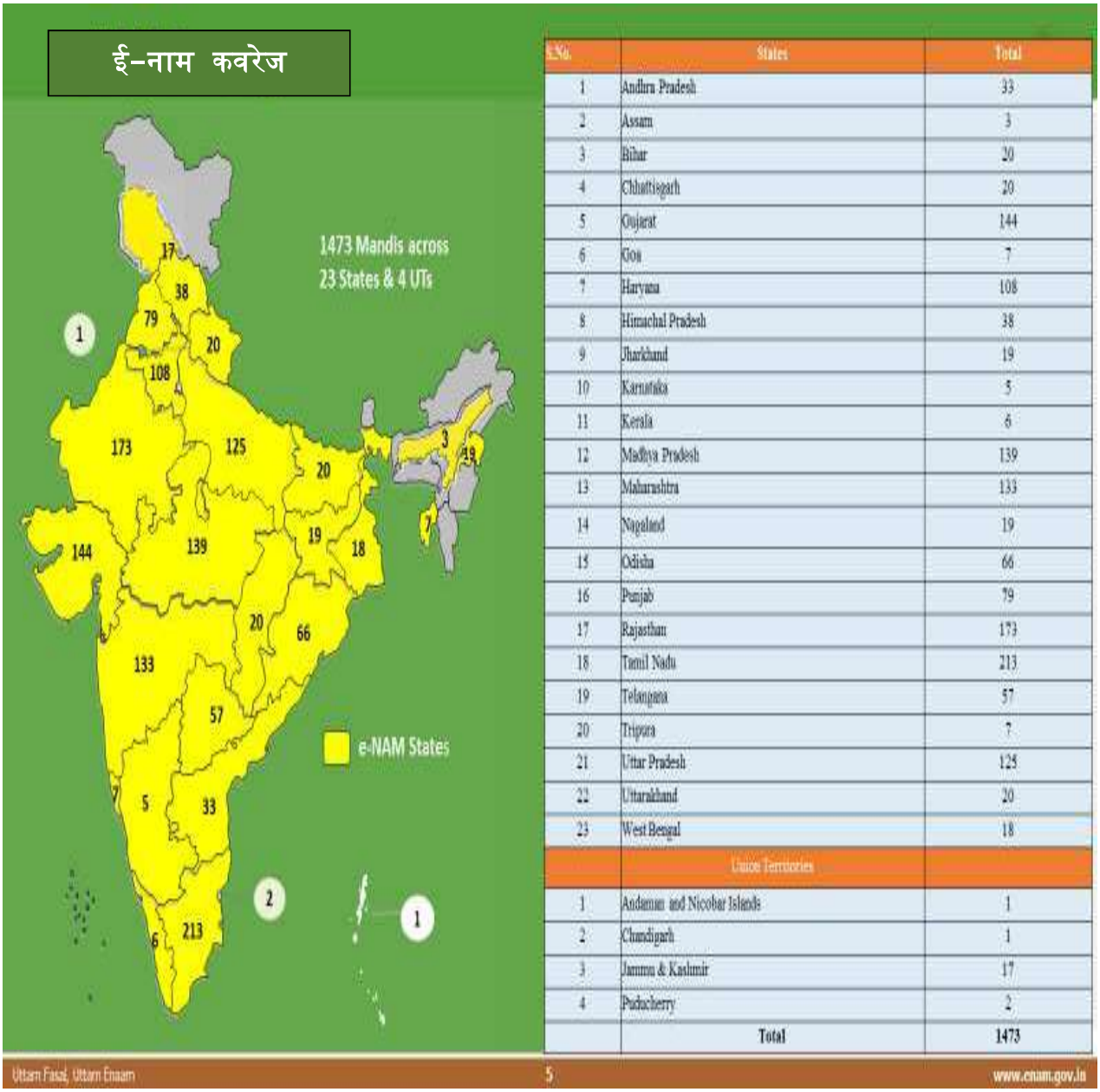

S.No.	States	Total
1	Andhra Pradesh	33
2	Assam	3
3	Bihar	20
4	Chhattisgarh	20
5	Gujarat	144
6	Goa	7
7	Haryana	108
8	Himachal Pradesh	38
9	Jharkhand	19
10	Karnataka	5
11	Kerala	6
12	Madhya Pradesh	139
13	Maharashtra	133
14	Nagaland	19
15	Odisha	66
16	Punjab	79
17	Rajasthan	173
18	Tamil Nadu	213
19	Telangana	57
20	Tripura	7
21	Uttar Pradesh	125
22	Uttarakhand	20
23	West Bengal	18
	Union Territories	
1	Andaman and Nicobar Islands	1
2	Chandigarh	1
3	Jammu & Kashmir	17
4	Puducherry	2
	Total	1473

तालिका 5 ख: प्रदर्शन पर एक नज़र (31 मार्च 2025 तक)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष (2024-25)	स्थापना अवधि से (31.03.25 तक)
क.	**हितधारकों का पंजीकरण**		
	ई-नाम पर पंजीकृत किसानों की संख्या (संख्या में)	1.69 (लाख)	1.78 (करोड़)
	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या (संख्या में)	8194 (संख्या)	2.65 (लाख)
	पंजीकृत आढ़तियों की संख्या (संख्या में)	3,090	1.15 लाख)
	पंजीकृत एफपीओ की संख्या (संख्या में)	719	4404
ख.	**व्यापार रिकॉर्ड किया गया**		
	मात्रा में दर्ज कुल व्यापार (करोड़ मीट्रिक टन)	2.04	11.48
	कुल व्यापार संख्या में दर्ज (करोड़ में)	12.46	46.01
	कुल दर्ज व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये में)	79,950	4,20,153
ग.	अधिसूचित वस्तुओं के व्यापार योग्य मापदंड (संख्या)	10	231

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मासिक व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये) और मात्रा (लाख मीट्रिक टन और लाख संख्या)

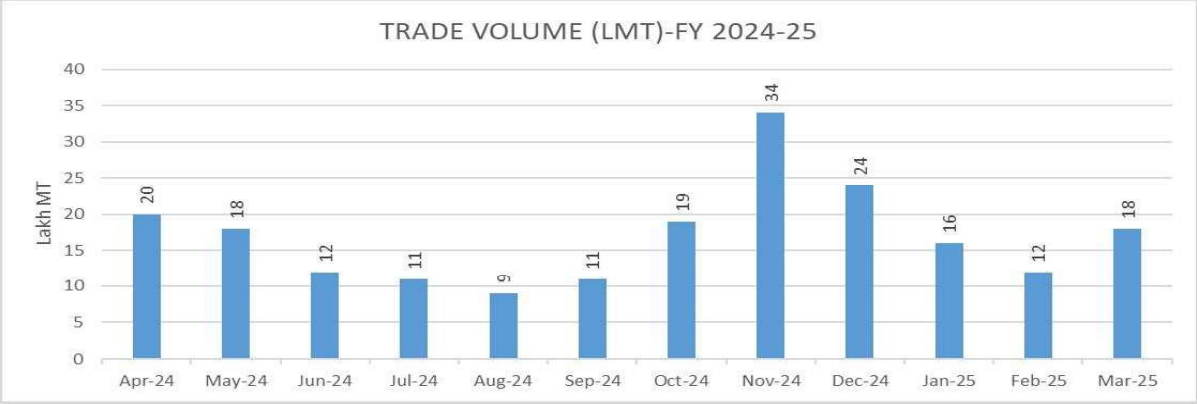

* *बांस, पान, नारियल, नींबू, स्वीट कॉर्न*

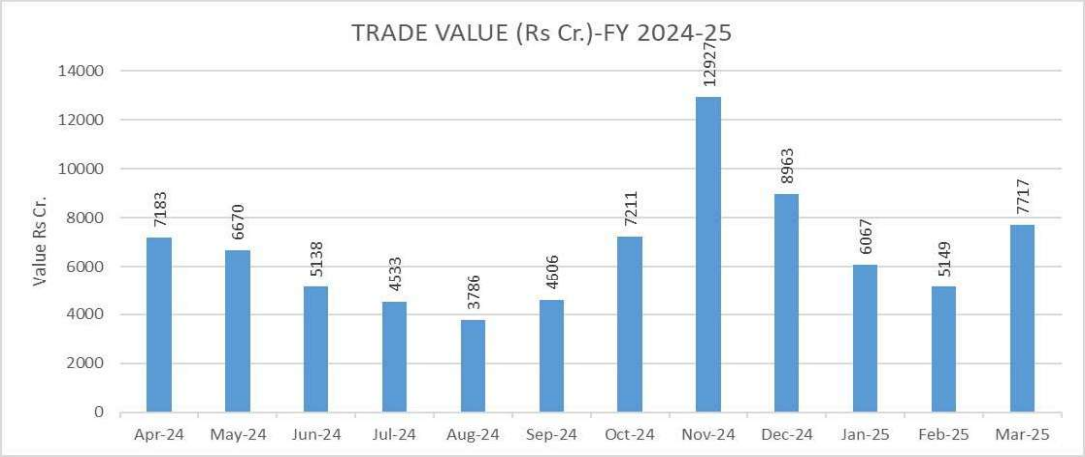

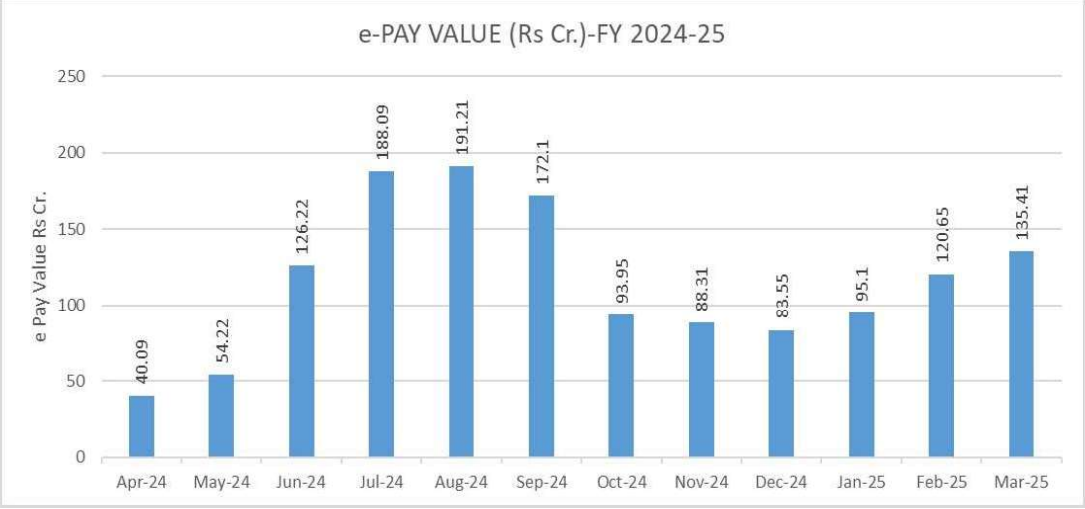

तालिका 5ग : वित्त वर्ष 2024-25 में ई-नाम पर अंतर-राज्यीय व्यापार

क्रेता राज्य	विक्रेता राज्य	बिक्री बिल संख्या की गणना	व्यापार मात्रा का योग (क्विंटल)	कुल व्यापार मूल्य का योग (रु. में)
आन्ध्र प्रदेश	तमिलनाडु	632	3328.0019	22582857.34
झारखंड	जम्मू और कश्मीर	8	553.89	3578003
कर्नाटक	तमिलनाडु	556	2935.096	19799503.93
केरल	महाराष्ट्र	33	45.3367	2563530.96
ओडिशा	झारखंड		20	60000
पुदुचेरी	तमिनाडु	3690	13325.2077	86783572.88
तमिलनाडु	पुदुचेरी	292	1471.55	9883084.21
तमिलाडु	तमिलनाडु	4	115.7	245325.77
तेलंगाना	आन्ध्र प्रदेश	469	2954.4	31668556.85
तेलंगाना	हरियाणा	6	165	469475
उत्तर प्रदेश	हरियाणा	82	1917	9535665
उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	98	446	728380
उत्त राखंड	उत्तर प्रदेश	635	12074.04	22614862
कुल		**6505**	**39351.2223**	**210512816.9**

तालिका 5घ : वित्त वर्ष 2024-25 में ई-नाम पर अंतर-मंडी व्यापार

राज्य	सम्मिलित मंडी	कुल व्यापार मात्रा (मीट्रिक टन में)	कुल व्यापार मात्रा (संख्या में)	कुल व्यापार मूल्य (लाखों रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	12	3930.635		1814.772381
बिहार	8	15965.345		167.3284275
छत्तीसगढ़	7	14312.692	300	3133.4664
हरियाणा	27	90537.574		32310.27211
जम्मू और कश्मीर	8	436.437		327.734976
झारखंड	3	601.3191		118.96366
केरल	2	0.01		0.026
मध्य प्रदेश	2	61.69		8.80603
महाराष्ट्र	2	4425.19		2365.169153
नागालैंड	2	0.7		0.56
ओडिशा	66	18286.272	52119355	4223.669163
पुदुचेरी	2	19.716		3.5918374
राजस्थान	23	339.885		429.8534402
तमिलनाडु	161	393614.4984	574225	123824.7604
तेलंगाना	26	18032.17778		7367.642091
उत्तर प्रदेश	10	722.475		111.238051
उत्तराखंड	19	4335.425		542.71511
पश्चिम बंगाल	18	1792.695		241.840458
कुल	**398**	**567414.7362**	**52693880**	**176992.4097**

$ ओडिशा में पान, नारियल, नींबू, स्वीट कॉर्न का भारी मात्रा में व्यापार हुआ,
# तमिलनाडु में नारियल का व्यापार संख्या में हुआ

5.6 ई-नाम की प्रमुख विशेषताएं

5.6.1 किसान अनुकूल मोबाइल ऐप:

i. बहुभाषी (12 भाषाएँ)
ii. जिओ-टैग की गई ई-नाम मंडियां किसानों को वस्तुओं के पिछले तीन दिनों के कारोबार मूल्य के साथ **100** किमी के दायरे में निकटतम ई-नाम मंडी का पता लगाने में मदद करेंगी।
iii. सर्वर पुश नोटीफिकेशन
iv. एडवांस गेट एंट्री
v. ट्रैक लॉट प्रोग्रेस
vi. नमूनाकरण और परख सुविधा
vii. व्यापारी के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
viii. भुगतान प्राप्त होने पर एसएमएस अलर्ट

5.6.2 अंतरराज्यीय व्यापार के लिए एकीकृत व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली

यह सुविधा व्यापारियों के लिए अपने ई-नाम लॉगिन में अंतरराज्यीय व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए बनाई गई है ताकि वे देश भर में ई-नाम मंडियों में भाग लेने में सक्षम हो सकें।

5.6.3 ई-भुगतान के समय व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट

नगदी-रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, विभिन्न राज्य सरकारों ने डिलिटल लेनदेन पर छूट के प्रोत्साहन दिए हैं। इस प्रकार, ई-नाम को ई-भुगतान पर छूट सुविधाओं के साथ पेश किया गया। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य के आवेदन व्यवस्थापक आवेदन में वांछित छूट प्रतिशत और खरीदार द्वारा चुने गए ई-भुगतान मोड के मामले में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं; ई-भुगतान के दौरान मंडी शुल्क में इस तरह के लाभ उठाने के लिए लेनदेन कॉन्फ़िगर की गई छूट सुविधाएं स्वचालित रूप से लागू होगी।

5.6.4 स्वत: बिक्री समझौता

ई-नाम वर्कफ़्लो निष्पादन समय को कम करने के लिए ऑटो बिक्री अनुबंध सुविधा जोड़ी गई है। इससे किसानों के लेनदेन के लिए प्रतीक्षा समय में काफी कमी आई है।

5.6.5 ई-भुगतान की सुविधा

वर्तमान में ई-नाम पोर्टल किसानों को आरटीजीएस/एनईएफटी, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भीम के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सुविधा ने खरीदारों के खाते से पूल खाते तक भुगतान प्राप्ति के समय को कम करके और बदले में किसानों को भुगतान को कम करके किसानों को भुगतान को आसान बनाने में मदद की।

5.6.6 12 भाषाओं में वेबसाइट और मोबाइल ऐप

ई-नाम का लाभ उठाने के लिए विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों के हितधारकों को सक्षम करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया गया है। भाषाएँ हैं - हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, डोगरी, मलयालम और कन्नड़।

5.6.7 शॉपिंग कार्ट सुविधा

यह सुविधा व्यापारियों को दैनिक नीलामी से कई लॉट चुनने में सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। एक बार चुने जाने पर, एक शॉपिंग कार्ट बनाई जाएगी। इसके बाद, व्यापारी के पास बोली प्रक्रिया में भाग लेने और उसके अनुसार भुगतान करने के लिए शॉपिंग कार्ट में से चुनने का विकल्प होता है।

5.6.8 एकाधिक चालानों का समूहन

यह सुविधा व्यापारी को प्रत्येक चालान का चयन करने और एक-एक करके भुगतान पूरा करने के बजाय, कई चालानों का चयन करने और सभी चालानों की संयुक्त राशि के लिए एकल एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम बनाती है। इससे ऑनलाइन व्यापार समाप्त करने का समय काफी कम हो गया है और हितधारक को सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान किया है।

5.6.9 आंशिक भुगतान सुविधा

यह एक वैकल्पिक मॉड्यूल है. यह किसान/व्यापारी द्वारा चालान के आंशिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें पूर्ण भुगतान, मंडी शुल्क के साथ आंशिक ऑनलाइन भुगतान, मंडी शुल्क के बिना आंशिक ऑनलाइन भुगतान और मंडी शुल्क को छोड़कर पूर्ण ऑनलाइन भुगतान का विकल्प प्राप्त होता है।

5.6.10 किसान प्रोत्साहन सुविधा

यह सुविधा मंडी को सक्षम बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई है ताकि किसानों को उनकी संबंधित मंडी में ई-भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान तंत्र (मंडी शुल्क का%) चुनने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। राजस्थान में मंडावरी और जोधपुर मंडी में सफल पायलट रन किया गया और अब यह राजस्थान की सभी ई-एनएएम मंडियों के लिए उपलब्ध है।

5.6.11 मंडियों के लिए आईएमडी मौसम पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मौसम पूर्वानुमान जानकारी का ई-एनएएम के साथ एकीकरण, ई-एनएएम मंडियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए "वर्तमान दिन" पूर्वानुमान के साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान प्रदान करता है। मौसम की यह जानकारी किसानों को कृषि कार्यों और विपणन निर्णयों की योजना बनाने में मदद करेगी।

5.6.12 वास्तविक समय मूल्य प्रसार प्रणाली

'बाजार सूचना पृष्ठ' को किसानों को संबंधित राज्यों की ई-नाम मंडियों में कारोबार की जा रही वस्तुओं की वर्तमान कीमत प्रदान करने वाली जानकारी के एकल स्रोत के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म - ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म (पीओपी) फ्रेमवर्क ई-नाम इकोसिस्टम के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार, परख, परिवहन, वेयरहाउसिंग, फिनटेक, बाजार सूचना, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, कृषि इनपुट और सलाहकार सेवाओं जैसे विभिन्न सेवा प्रदाता प्लेटफ़ॉर्म को एकीकृत करना

है, जो किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को एक ही विंडो के माध्यम से बड़े बाजार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा।

5.7 ई-नाम की हाल ही में शुरू की गई अन्य विशेषताएं:

- बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो ई-नाम व्यापार जानकारी के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल प्रदान करता है। डैशबोर्ड सेंट्रल, मंडी बोर्ड और मंडी स्तर पर उपलब्ध है।
- क्यूआर कोड एकीकरण का उपयोग करके गेट एंट्री: यह सुविधा क्यूआर कोड एकीकरण के साथ गेट एंट्री की सुविधा प्रदान करती है। यह किसानों को उनकी गेट प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, क्यूआर-कोडित प्रवेश रसीदें स्वयं उत्पन्न करने का अधिकार देता है।
- क्यूआर कोड द्वारा लॉट अंतर्दृष्टि, परख प्रमाणपत्र, तुरंत बोली को अनलॉक करना: यह सुविधा खरीदार को क्यूआर कोड को स्कैन करके लॉट जानकारी, गुणवत्ता परख प्रमाणपत्र और बोली लगाने में मदद करती है। यह सुविधा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और समग्र बाज़ार दक्षता को बढ़ाती है।
- कमीशन एजेंट (सीए) के लिए बिक्री अनुबंध और वजन पर्ची बनाने की सुविधा: यह सुविधा कमीशन एजेंटों को वजन पर्ची और बिक्री समझौते में भाग लेने और तैयार करने में सक्षम बनाती है, जिससे मंडी अधिकारियों और खरीदारों के लिए समय की बचत होती है।
- कमीशन एजेंट (सीए) के लिए ई-भुगतान पहुंच: यह सुविधा कमीशन एजेंट को किसानों/एफपीओ को किसी भी उपलब्ध ई-मोड (यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड और नेटबैंकिंग) के माध्यम से खरीदारों की ओर से भुगतान शुरू करने में सक्षम बनाती है, जिससे त्वरित भुगतान की सुविधा मिलती है।
- कमीशन एजेंट (सीए) के लिए लाइव बोली डैशबोर्ड: कमीशन एजेंटों (सीए) के लिए लाइव बोली डैशबोर्ड वास्तविक समय बोली अपडेट, ऐतिहासिक बोली डेटा तक पहुंच और बाजार के रुझान प्रदान करता है।

5.8 ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एफपीओ को शामिल करना

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की, छोटे विपणन योग्य अधिशेष के विपणन की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि परिकल्पना की गई है, उपज का एकत्रीकरण पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करता है; हालाँकि, उपज की बिक्री में विभिन्न बाधाएँ मौजूद हैं, जिससे किसानों का भरण-पोषण मुश्किल हो गया है। ई-नाम के माध्यम से, अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार संपर्क के लिए एफपीओ के लिए ऑनलाइन व्यापार की तकनीक को सुलभ बनाया गया है।

5.9 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 719 एफपीओ पंजीकृत किए गए थे, राज्यवार गणना नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:-

तालिका 5.ड : पंजीकृत एफपीओ की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत एफपीओ
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
2	आन्ध्र प्रदेश	38
3	असम	32
4	बिहार	134
5	चंडीगढ़	0
6	छत्तीसगढ	0
7	गोआ	0
8	गुजरात	32

9	हरियाणा	3
10	हिमाचल प्रदेश	11
11	जम्मू और कश्मीर	79
12	झारखंड	43
13	कर्नाटक	4
14	केरल	10
15	मध्य प्रदेश	57
16	महाराष्ट्र	12
17	नागालैंड	1
18	ओडिशा	53
19	पुदुचेरी	1
20	पंजाब	1
21	राजस्थान	57
22	तमिलनाडु	41
23	तेलंगाना	11
24	त्रिपुरा	0
25	उत्तर प्रदेश	36
26	उत्तराखंड	14
27	पश्चिम बंगाल	46
कुल		**719**

वित्त वर्ष 24-25 के दौरान, 627 एफपीओ ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर भाग लिया और कुल 90,354.43 मीट्रिक टन और 1.48 करोड़ (पान के पत्ते और नारियल की संख्या) का व्यापार किया, जिसकी कुल व्यापारिक मूल्य 122.86 करोड़ रुपए रही। राज्यवार विवरण नीचे उल्लिखित है:-

तालिका 5च: वित्त वर्ष 2024-25 में ई-नाम पर एफपीओ व्यापार

क्र. सं.	राज्य	सम्मिलित मंडिया	सम्मिलित एफपीओ	व्यापार मात्रा (मीट्रिक टन)	व्यापार मात्रा (संख्या)	व्यापार मूल्य (लाख रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	5	11	103.921	0	19.699
3	असम	0	0	0	0	0
4	बिहार	5	14	444.952	0	120.088
5	चडीगढ़	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	1	1	0.199	0	0.045
7	गोआ	0	0	0	0	0
8	गुजरात	3	4	118.658	0	24.359
9	हरियाणा	0	0	0.004	0	0.0033
10	हिमाचल प्रदेश	4	8	6.57	0	1.818
11	जम्मू और कश्मीर	6	19	316.285	0	199.062
12	झारखंड	4	19	594.643	0	123.429
13	कर्नाटक	0	0	0	0	0

14	केरल	2	18	0.447	0	0.294
15	मध्य प्रदेश	0	0	0.004	0	0.003245
16	महाराष्ट्र	7	10	73.771	0	40.288
17	नागालैंड	1	3	1.38	0	0.4842
18	ओडिशा	54	241	77673.23	14147485	9754.217
19	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
20	पंजाब	1	6	381.515	0	143.865
21	राजस्थान	9	10	9.887	0	2.796
22	तमिलनाडु	54	115	5783.66	675902	908.206
23	तेलंगाना			0	0	0.000366
24	त्रिपुरा	1	2	2.83	0	6.081
25	उत्तर प्रदेश	7	8	42.536	0	8.473
26	उत्तराखंड	2	2	9.628	0	1.491
27	पश्चिम बंगाल	16	136	4908.468	0	955.895
कुल		**182**	**627**	**90,354.43**	**1,48,23,387.00**	**12,286.47**

तालिका 5 छ: समेकित व्यापार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2024-25			स्थापना अवधि से 31 मार्च 2025 तक		
		व्यापार मात्रा (मीट्रिक टन)	व्यापार मात्रा (संख्या)	व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये में)	व्यापार मात्रा (मीट्रिक टन)	व्यापार मात्रा (संख्या)	व्यापार मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00		0.00	0.01		0.00
2	आन्ध्र प्रदेश	1201115.74		10227.76	8603465.00		57318.22
3	असम	0.00		0.00	16.90		0.03
4	बिहार	3307.73	158700	14.53	3330.45	158700.00	13.45
5	चंडीगढ़	119813.57		330.51	763996.20		1559.54
7	छत्तीसगढ़	242343.44		575.71	1248798.00		2615.36
6	गोआ	195.53	40700.00	0.87	326.15	380458.00	1.84
8	गुजरात	414252.42		1700.81	2794712.00		11083.97
9	हरियाणा	4494274.80		15200.32	33748030.00		109364.30
10	हिमाचल प्रदेश	46713.19		218.76	446308.20		1688.08
11	जम्मू और कश्मीर	95113.06	22381.00	596.55	167367.00	26850.00	1046.12
12	झारखंड	3492.33	600.00	9.19	34136.85	5269.00	67.63
13	कर्नाटक	40870.50		369.73	228756.90		1683.66
14	केरल	85.63		0.32	759.42		2.48
15	मध्य प्रदेश	1804211.78		6272.20	10004216.00		33426.05
16	महाराष्ट्र	1165541.47		4788.54	5417112.00		20117.06
17	नागालैंड	278.80		1.14	1096.36		4.80
18	ओडिशा	708250.60	109608257.00	1828.28	2076590.00	421909986.00	5250.94
19	पुदुचेरी	4348.11		22.09	52117.19		194.35
20	पंजाब	457712.08		1396.90	4163874.17		13593.56
21	राजस्थान	6609443.03	4072395.00	28577.64	26643651.61		110238.70
22	तमिलनाडु	796990.03	10755887.00	2522.18	2834257.58	26756760.00	7474.44
23	तेलंगाना	874138.06		3837.17	7342149.21		27474.80

24	त्रिपुरा	19.62		0.46	24.03		0.49
25	उत्तर प्रदेश	1089948.37		2808.83	7381750.73		14253.47
26	उत्तराखंड	271286.83		491.22	839739.37		1339.04
27	पश्चिम बंगाल	32123.55	0.00	71.45	93833.08	97100.00	185.97
कुल		**20475870.35**	**124636539.0**	**79949.99**	**114890415.79**	**460076034.0**	**420153.41**

5.10. ई-नाम: डिजिटल इंडिया पुरस्कार का गौरवशाली प्राप्तकर्ता

ई-नाम ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपती मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किया। यह सम्मान कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल एवं संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ई-नाम के माध्यम से नई कृषि तकनीकी पहल

(ई-नाम मंडियों में एकीकृत पीओएस मशीनों से तौल)

5.11. ई-नाम मीडिया में

16 जून, 2024

MUMBAI
businessline.portfolio
SUNDAY - JUNE 16 - 2024

Building team of 90,000 Krishi Sakhis to help farmers: Shivraj Chouhan

Our Bureau
New Delhi

Shivraj Singh Chouhan has indicated his plan to build synergies between Agriculture and Rural Development Ministries he has taken charge of.

Chouhan announced that work is on to build a team of 90,000 Krishi Sakhis (women farm associates) who will guide farmers with new technologies and modern practices.

"We have trained many sisters so that they can help farmers and agriculture in different works. About 34,000 such Krishi Sakhis have been trained and our target is to build a team of 90,000. Since most are drawn from self-help groups, which is handled by the Rural Development Ministry, the Agriculture Ministry has been closely working with it after signing an MoU," Chouhan said.

Shivraj Singh Chouhan, Minister for Agriculture and Rural Development

EARNING EXTRA

Stressing that this training will be imparted continuously, Chouhan said the members of SHGs do every work sincerely. After completing training, these Krishi Sakhis will be able to earn about ₹60,000-80,000 extra in a year by helping farmers in various works. "This programme has just started; we will continue to take it forward," he added.

The Krishi Sakhi programme has been started in 12 States — Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Odisha, Jharkhand, Andhra Pradesh and Meghalaya.

Officials said these Krishi Sakhis are trained in all aspects so that they can work like consultants for farmers for a fee. If farmers benefit financially from their services, they will not hesitate to pay these Krishi Sakhis, the officials said. Besides, the aim is to make agriculture extension more practical, where local women are engaged to motivate farmers to adopt best farm practices and use modern technology.

Chouhan said that the government has already achieved its goal of making one crore women 'Lakhpati Didis', while another two crore Didis will be added to fulfil the Prime Minister's target of helping three crore women earn more than ₹1 lakh per annum.

19 जून, 2024

दैनिक भास्कर, राजस्थान

कृषि विपणन विभाग नियामक के बजाय फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा

जयपुर | राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों को निजी क्षेत्र की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विपणन विभाग अब नई दिशा में काम कर रहा है। कृषि मंडियों में मार्केट इंटेलिजेन्स, डिजिटलाइजेशन ई-नाम, प्राइवेट ई-मार्केट गुणवत्ता की जांच व्यवस्था, क्लीनिंग ग्रेडिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग, फसलोत्तर क्रेडिट सुविधा हेतु वेयर हाउस रिसिट को बढ़ावा, नवाचार एवं नयी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.12. वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान प्रमुख सफलता की कहानियाँ

(क) कृषि उपज का सर्वोत्तम मूल्य- (इंडिया टुडे के 03-02-2025 अंक में प्रकाशित लेख के अंश)

राष्ट्रीय ऑनलाइन बाज़ार, ई-नाम अपनी उपज की कम कीमतों से परेशान किसानों के लिए एक वरदान है ।

बाज़ार मूल्य, मांग के रुझान और खरीदारों की विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच न होने के कारण किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा और वे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहें, जिससे वे बिचौलियों की दया पर निर्भर हो गए। मामला और भी जटिल हो गया है क्योंकि पारंपरिक एपीएमसी (कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समिति) मंडियों में किसानों को अपनी उपज को भौतिक नीलामी के लिए लाना पड़ता है। इसका मतलब था कि लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती थी और यदि उचित मूल्य नहीं मिलता था तो इससे किसान की फसल भंडारण की क्षमता प्रभावित होती थी।

इन सभी कारकों ने मिलकर आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों/व्यापारियों/मध्यस्थों को प्रमुख बना दिया। वे फसल की कीमत तय करते थे, किसान नहीं। इसका अपरिहार्य परिणाम: कीमतों में हेरफेर, जिसमें मनमाने गुणवत्ता मूल्यांकन जैसे अनुचित व्यवहार भी शामिल थे। किसान भुगतान में देरी होने पर शिकायत भी नहीं कर सकता था। जमीनी हकीकत ऐसी थी कि इसने डिजिटल और आपस में जुड़ी मंडियों की अवधारणा को लगभग मजबूर कर दिया।

ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) पहल ने कई दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान किया है। सबसे पहले, इसने एक अखिल भारतीय ऑनलाइन व्यापार मंच तैयार किया, जिससे किसानों को देश भर के खरीदारों तक पहुँच बनाने और बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद मिली। वर्तमान में, ई-नाम ने 27 राज्यों

की 1,389 मंडियों (देश भर में लगभग 7,000 मंडियों में से) को एकीकृत किया है। अगले पाँच वर्षों में, 1,500 और मंडियों के इस प्रणाली में एकीकृत होने की संभावना है।

ई-नाम के कई फायदे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि किसान अब अपनी स्थानीय मंडियों के बाहर भी बिना किसी भौतिक परिवहन के अपना माल बेच सकते हैं। ऑनलाइन नीलामी में मूल्य निर्धारण पारदर्शी और गुणवत्ता व माँग पर आधारित होता है, जिससे किसानों को बाजार मूल्य प्राप्त करने का उचित अवसर मिलता है। वे ई-नाम पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से वस्तुओं की वास्तविक समय की मूल्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) सीमाएँ मिटाते हुए: ई-नाम पर विश्वास और व्यापार की कहानी

एक गर्म सुबह, **27** मई **2025** की बात है, जब नीमच मंडी, मध्य प्रदेश के सुनहरे खेतों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। एक अनुभवी व्यापारी, मंजुला मेहता, पोर्टल पर ताज़ा वस्तु सूची देख रही थीं। वह एक जरूरी ग्राहक के ऑर्डर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मूँगफली की तलाश में थीं। जैसे ही उन्होंने सूची को फ़िल्टर किया, निम्बाहेरा का लॉट उनकी नजर में आया – साफ़-सुथरी गुणवत्ता, अच्छी मात्रा और वादे भरे दाम।

दूसरी ओर, सैंकड़ों किलोमीटर दूर, राजस्थान के निम्बाहेरा मंडी में, तीन दृढ़संकल्प किसान–अमिक खान, अब्दुल फहीम, और अदीब खान–अपने ताज़ा कटाई किए हुए मूँगफली (नई फसल) के साथ गर्व से खड़े थे। पीढ़ियों का ज्ञान, महीनों की मेहनत, और तपती धूप में बिताए गए घंटे इस क्षण का परिणाम थे। लेकिन इस बार क्या अलग था? वे स्थानीय व्यापारियों के मोल-भाव का इंतजार नहीं कर रहे थे। बल्कि, उन्होंने ई-नाम पोर्टल पर लॉगिन किया था।

कुछ ही मिनटों में, ई-नाम पर एक सौदा तय हो गया–पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और निष्पक्ष। मंजुला मेहता ने 2,34,197 रुपए की विजयी बोली लगाई। पोर्टल ने भुगतान प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण और लॉजिस्टिक्स समन्वय को कुशलता से संभाला।

इस प्लेटफ़ॉर्म ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया था–**राज्यों के बीच की बाधाओं को तोड़ना, किसानों को सशक्त बनाना और व्यापारियों को व्यापक बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना।** अमीक, अब्दुल और अदीब के लिए, यह सिर्फ़ एक बिक्री नहीं थी; यह एक ज़्यादा जुड़े हुए और समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम था। और मंजुला के लिए, यह एक और उदाहरण था कि कैसे स्मार्ट ट्रेडिंग भारत के ज़मीनी स्तर का समर्थन करते हुए समय पर माँग को पूरा कर सकती है।

मध्य प्रदेश के नीमच और **राजस्थान के निम्बाहेड़ा** के बीच **मूंगफली का नया** सौदा महज़ एक लेन-देन नहीं था। यह डिजिटल इंडिया का जश्न था, सहयोग की कहानी थी, और इस बात का सबूत था कि **ई-नाम के साथ, हर फसल को चमकने** का पूरा मौका मिलता है।

(ग) <u>पद्मेश्वर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आनंदपुर, ओडिशा</u>

पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड (पीएफपीसीएल) ने वर्ष 2021 में एक एफपीओ के रूप में पंजीकरण कराया है। पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के 750 सदस्य हैं और यह ओडिशा के क्योंझर जिले के पद्मपुर में स्थित है, पीएफपीसीएल ने आनंदपुर आरएमसी के तहत सलापाड़ा मार्केट यार्ड के माध्यम से नवंबर-2021 में ई-नाम पर खुद को पंजीकृत कराया।

चित्र: पद्मेश्वर एफपीसी की ई-नाम किसान जागरूकता बैठक

ई-नाम पर पंजीकरण के कुछ ही दिनों के भीतर, उन्होंने ई-नाम पर बिक्री शुरू कर दी थी।

पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने ई-नाम के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जैसे कद्दू, बैंगन, तरबूज, गोभी, फूलगोभी, टमाटर, कटहल, आम, भिंडी, परवल, तुरई, करेला, मूली आदि।

पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1.82 करोड़ रुपये मूल्य की 15761.43 क्विंटल सब्ज़ियाँ बेची हैं। ई-नाम से पहले, पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के सदस्य स्थानीय बाज़ार में स्वतंत्र रूप से बिक्री करते थे। हालाँकि, जब उन्होंने ई-नाम के माध्यम से बिक्री शुरू की, तो उन्हें एहसास हुआ कि इसी अवधि में उनकी उपज स्थानीय बाज़ारों की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त कर रही है। वे ई-नाम की सेवाओं से बहुत खुश हैं।

चित्र: पद्मेश्वर एफपीसी कार्यालय

जब ई-नाम की टीम ने पद्मेश्वर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड से ई-नाम पर व्यापार के बारे में प्रतिक्रिया मांगी, तो उनके सीईओ श्री लक्ष्मीधर साहू ने स्वीकार किया कि पीएफपीसीएल को भौतिक बाजारों की तुलना में ई-नाम पर बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे ई-नाम पर व्यापार जारी रखेंगे। उन्होंने आनंदपुर आरएमसी के अंतर्गत सलापाड़ा मार्केट यार्ड और ई-नाम टीम को ई-नाम पर अपनी उपज को शामिल करने और व्यापार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त किया।

चित्र: सलापड़ा मार्केट यार्ड में पद्मेश्वर एफपीसी द्वारा ई-नाम पर व्यापार की गई वस्तुएं।

(घ) महाकौशल प्रगतिशील किसान आत्मनिर्भर उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एमपीएफएसआरपीसीएल), सिवनी, मध्य प्रदेश

एमपीएफएसआरपीसीएल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के चिकला गांव में एफपीओ के रूप में पंजीकृत है। यह सिवनी के 29 गाँवों के 3000 किसानों को सेवा प्रदान करता है। जनवरी 2019 के दौरान

एफपीओ ने सिवनी ई-नाम मंडी के माध्यम से 70 लाख रुपये से अधिक मूल्य का 5000 क्विंटल मक्का बेचा। व्यापार के माध्यम से प्राप्त मूल्य 1325 रुपये से 1510 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा, जबकि प्रचलित बाजार मूल्य 1220 रुपये से 1450 रुपये प्रति क्विंटल था। एफपीओ ने ई-नाम पर लगभग 81 लॉट का कारोबार किया। एमपीएफएसआरपीसीएल को 26 जनवरी 2019 को सिवनी के जिलाधिकारी द्वारा "प्रशंसा पत्र" भी प्राप्त हुआ है।

(ड़) बदलती आजीविका: निराशा से आशा की ओर यात्रा

श्री ओम प्रकाश चौहान, हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) में पंजीकृत किसानों में सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में से एक हैं, जो अपनी कुल उपज का 70-80% ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं। उनके अपने शब्दों में निम्नलिखित कहानी ई-नाम के लाभों का प्रमाण है।

मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की नौराधार तहसील के ताली-चंद्रोणा गाँव का रहने वाला हूँ। 51 साल की उम्र में, मैंने जीवन भर कई चुनौतियों का सामना किया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और खेती के अलावा मेरी आजीविका का कोई स्रोत नहीं था। खेती मेरा आजीवन पेशा बन गई, जिससे नकदी फसलों, खासकर टमाटर, मटर और लहसुन, से आय होती थी। मेरे पास लगभग 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उनमें से केवल 7 एकड़ ही खेती के लिए उपयुक्त है।

बाज़ार में अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया में कई बाधाएँ आईं। परिवहन, बाज़ार की जानकारी न होना और बिक्री भुगतान के लिए बिचौलियों पर निर्भरता जैसी समस्याओं ने मुझे बहुत परेशान किया। ये बिचौलिए अक्सर भुगतान में देरी करते थे, जिससे मुझे बार-बार बाज़ार जाना पड़ता था।

हालाँकि मैंने पहले ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) के बारे में सुना था, लेकिन शुरुआत में मुझे कुछ शंकाएँ थीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए व्यापार करने का विचार मुझे डराने वाला लगा। हालाँकि, सिरमौर जिले के सनौरा में एपीएमसी सोलन द्वारा आयोजित एक किसान प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद मेरी शंकाएँ दूर हो गईं। शिविर ने मेरी चिंताएँ दूर कर दीं, और मैंने अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के विचार को उत्सुकता से अपनाया, और बाद में ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया।

शुरुआत में, मैंने अपनी उपज का केवल एक हिस्सा ही ई-नाम पोर्टल के माध्यम से बेचा और अगले ही दिन सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त कर लिया। परिणाम मुझे रोमांचित और आश्चर्यचकित कर गए। इस अनुभव ने मेरा उत्साह बढ़ाया। अब तक मैंने ई-नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग 350 क्विंटल लहसुन बेचा है, जिससे मुझे लगभग 35 लाख रुपये की आय हुई है।

ई-नाम पोर्टल पर अपनी उपज सूचीबद्ध करने से पहले, मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मंडी समिति के कर्मचारियों से संवाद करता हूँ। यह व्यावसायिक प्रयास बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ है, जिससे मेरी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले, मुझे अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, और फिर भी, भुगतान अक्सर अधूरा ही मिलता था। इस स्थिति में मेरे कृषि व्यवसाय में मुनाफ़े की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। हालाँकि, ई-नाम प्रणाली पूर्ण और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे मेरी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब सारा मुनाफ़ा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा हो जाता है, जिससे मैं आधुनिक कृषि उपकरणों और औज़ारों में निवेश कर पाता हूँ।

(च) हिमाचल प्रदेश में ई-नाम के साथ प्याज व्यापार में बदलाव

हिमालय की गोद में बसा मनमोहक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक आपदाओं से सामना करने का एक समृद्ध इतिहास रहा है। अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कई हिस्सों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएँ हुईं। इन प्राकृतिक आपदाओं का राज्य के किसानों की मौसमी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ा।

इस कठिन अवधि के दौरान, सहकारी प्रमुख नेफेड ने किसी भी मूल्य वृद्धि की जांच करने के लिए रसोई के प्रमुख प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के केंद्र के प्रयासों के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ही दिन में ई-नाम के माध्यम से 325 क्विंटल से अधिक प्याज बेचा।

हिमाचल प्रदेश में सफलता के बाद, नेफेड ने अपने शाखा अधिकारियों से स्थानीय मंडियों से संपर्क करने और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी बिक्री का प्रचार करने को कहा ताकि अधिकतम खरीदार ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकें।

अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक, नेफेड और एनसीसीएफ ने हिमाचल प्रदेश की दो ई-नाम मंडियों में ई-नाम के माध्यम से प्याज का व्यापार किया, जिसका कुल व्यापार मूल्य 3.97 करोड़ रुपये था। 30.09.2023 तक, राज्य की दो ई-नाम मंडियाँ, अर्थात् पूंटा साहिब और सोलन, परवाणू, ई-नाम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्याज के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल हैं, और अधिकांश प्याज व्यापारी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 2188.7 मीट्रिक टन का व्यापार हुआ और 4.08 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 23-24) का व्यापार मूल्य प्राप्त हुआ।

नेफ़ेड ने ई-नाम के माध्यम से प्याज बिक्री की शुरुआत की, संचालन को बढ़ाने के लिए – द हिन्दू बिजनेस लाइन

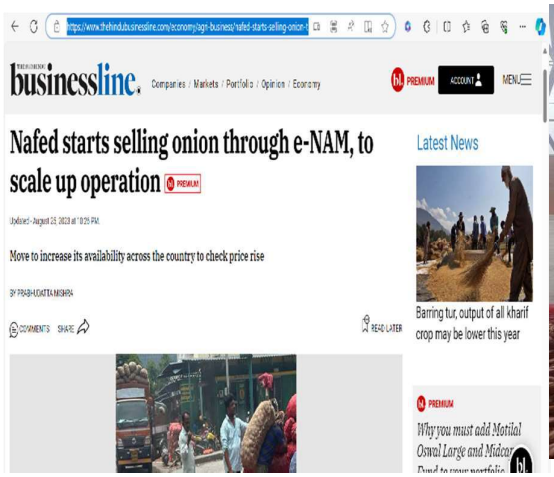

businessline.
Companies / Markets / Portfolio / Opinion / Economy
PREMIUM ACCOUNT MENU

Nafed starts selling onion through e-NAM, to scale up operation PREMIUM

Updated - August 25, 2023 at 10:25 PM.

Move to increase its availability across the country to check price rise

BY PRABHUDATTA MISHRA

COMMENTS SHARE READ LATER

Latest News
Barring tur, output of all kharif crop may be lower this year

PREMIUM
Why you must add Motilal Oswal Large and Midcap

(छ) **<u>ज़ज़ना फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) – डिजिटल व्यापार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना</u>**

जम्मू और कश्मीर के गंदरबल की हरी-भरी घाटियों में स्थित, ज़ज़ना फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) डिजिटल कृषि विपणन में सफलता का एक प्रतीक बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, ज़ज़ना फार्मर्स एफपीओ ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) प्लेटफ़ॉर्म और इसके उन्नत खुदरा संस्करण, ई-नाम 1.2 का लाभ उठाकर कृषि-व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि और दक्षता प्रदर्शित की है।

पिछले व्यापार वर्ष में, ज़ज़ना फार्मर्स एफपीओ ने ई-नाम पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। उनके द्वारा कारोबार की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ थीं:

- सेब
- चेरी
- अखरोट की गिरी
- बादाम की गिरी और
- शहद

ई-नाम पोर्टल का उपयोग करके, ज़ज़ना फार्मर्स एफपीओ ने अपने सदस्य किसानों के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बेहतर लाभ सुनिश्चित किया। उनकी भागीदारी से बिचौलियों का खात्मा हुआ और देश भर के खरीदारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद मिली। ज़ज़ना फार्मर्स एफपीओ, ई-नाम 1.2 रिटेल मॉड्यूल पर व्यापार करने वाले अग्रणी एफपीओ में से एक बन गया, जो किसानों को सीधे उपभोक्ताओं और छोटे खुदरा विक्रेताओं से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव कदम है। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, वे निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम हुए:

- स्थानीय बाजारों और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सूखे मेवे और ताजा उपज की आपूर्ति करना।
- ज़ज़ना नाम के तहत विश्वास और ब्रांड पहचान बनाना।

- अपने सदस्यों के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाना।

ज़ज़ना किसान एफपीओ आज इस क्षेत्र के अन्य एफपीओ के लिए सफलता और प्रेरणा का एक आदर्श बन गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म का उनका प्रभावी उपयोग केवल बेहतर व्यापार की कहानी नहीं है – यह किसान सशक्तिकरण, डिजिटल अपनाने और सतत विकास की कहानी है।

भविष्य की ओर देखते हुए, ज़ज़ना फार्मर्स एफपीओ का लक्ष्य है:

- अधिक सदस्य किसानों को शामिल करना।
- मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना।
- खुदरा बिक्री के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग को मज़बूत करना।
- अखिल भारतीय खुदरा बाज़ारों तक अपनी पहुँच का विस्तार करना।

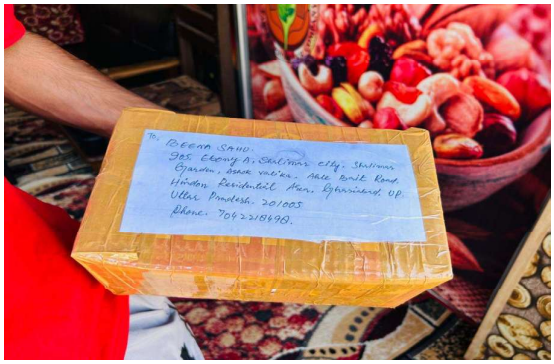

(ज) पुदुक्कोट्टई जिले के अलंगुडी एपीएमसी में एफपीओ के माध्यम से मूंगफली का व्यापार तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जून 2024 के दौरान ई-एनएएम के माध्यम से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया।

मुक्कनीचोलाई एफपीओ जैसे एफपीओ इस बात से खुश हैं कि व्यापारी और एपीएमसी अधिकारी उनके खेतों पर आकर उनकी उपज उचित मूल्य पर खरीद रहे हैं और उन्हें एपीएमसी में उपज बेचने पर होने वाले परिवहन खर्च से बचा रहे हैं। अलंगुडी एपीएमसी के एक व्यापारी ने 800 क्विंटल मूंगफली खरीदी है, जिसकी कीमत 2.00 करोड़ रुपये है।

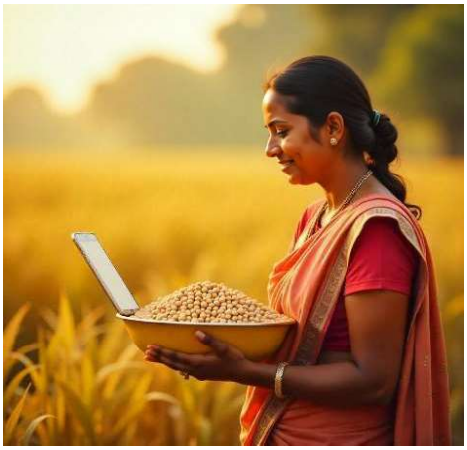

(झ) **<u>किसान के लिए एक अनमोल पल</u>**

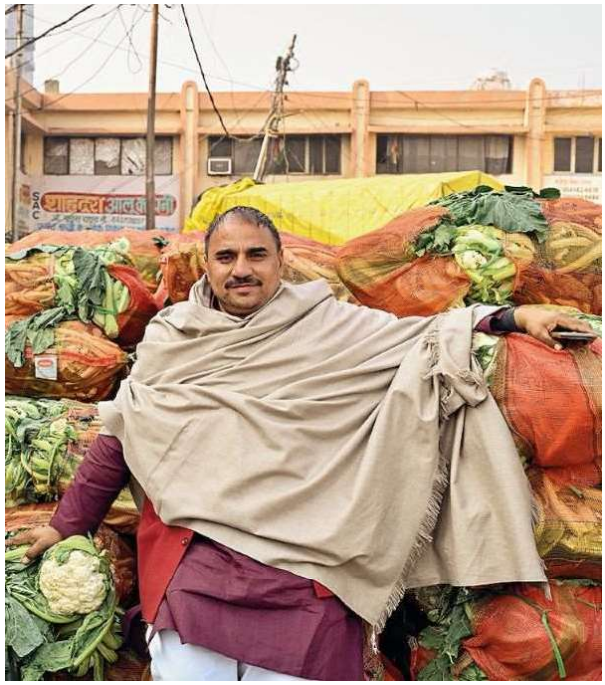

पिछले वर्ष जुलाई में साथी किसान प्रमोद त्यागी के साथ हुई एक आकस्मिक बातचीत के कारण राम निवास यादव ई-नाम अपनाने के लिए प्रेरित हुए। तीन भाइयों में सबसे बड़े, यादव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शाहपुर गाँव में 10 एकड़ ज़मीन पर सामूहिक खेती करते हैं और सब्ज़ियाँ उगाते हैं। अपनी फूलगोभी और गाजर के लिए, वह साहिबाबाद मंडी की ई-नाम सुविधा का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, "अपनी फसल लादने से पहले ही, मैं दूसरी मंडियों में चल रहे दामों के बारे में निश्चिंत हो जाता हूँ। इससे न सिर्फ़ मुझे बेहतर लाभांश प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि मेरी रसद लागत भी कम हो जाती है।" "मेरी स्थानीय थोक मंडी में फूलगोभी 2-3 रुपये किलो मिल रही है, जबकि राजस्थान, कभी-कभी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की मंडियों में, आपको इससे कहीं बेहतर दाम मिलते हैं। मैंने त्यागी और उनके बेटों से ई-नाम के बारे में एक त्वरित पाठ्यक्रम लिया।" वे पहले से ही इसका उपयोग कर रहे थे और इसके माध्यम से अधिक पैसा कमा रहे थे।" यादव कहते हैं कि इससे उनका जीवन आसान हो गया है क्योंकि उन्हें उपज को स्थानीय बाजार में ले जाने या वहां व्यापारियों द्वारा लगाई गई बोलियों पर पूरी तरह निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यादव मुस्कुराते हुए कहते हैं, "धीरे-धीरे यह एहसास घर कर रहा है कि मैं अपनी फसल का मालिक हूँ। एक किसान के लिए इससे बेहतर कोई एहसास नहीं हो सकता।"

अनुलग्नक – I

एसएफएसी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य

क. (I) प्रमोटर सदस्य: भारत सरकार

1.	माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001.	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001	पदेन उपाध्यक्ष
3.	सचिव, आर्थिक मामले विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
4.	प्रधान सलाहकार (कृषि) नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली - 110001	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
5	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
6.	संयुक्त सचिव (एनएचएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
7.	संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
8.	अध्यक्ष, एपीडा एनसीयूआई ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, चौथी मंजिल, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
9.	आर्थिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील मार्ग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य (सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
क (II) प्रमोटर सदस्य: पांच स्थायी निदेशक		
10.	उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001	प्रमोटर सदस्य
11.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पी.बी. संख्या 8121, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051	प्रमोटर सदस्य
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कुफे परेड, मुंबई- 400005	प्रमोटर सदस्य
13.	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021	प्रमोटर सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्लॉट संख्या 04, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075	प्रमोटर सदस्य

ख (अ) प्राथमिक सदस्य- वित्तीय संस्थान, बैंक, विदेशी कंपनियों सहित निजी कंपनियां- चार निर्वाचित निदेशक		
15.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी. रोड, बैंगलोर-560002	निर्वाचित सदस्य
16.	निदेशक, मेसर्स एग्री-नेट सॉल्यूशंस लिमिटेड, रेडी मनी टेरेस, चौथी मंजिल, अन्नी बेसेंट रोड, वर्ली नाका, मुंबई-400018	निर्वाचित सदस्य
17.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, केंद्रीय कार्यालय, पी.ओ. बॉक्स 10046, बैंक ऑफ बड़ौदा, 9वीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट केंद्र, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई-400051	निर्वाचित सदस्य
18.	रिक्त	
ख (आ) प्राथमिक सदस्य संगठन स्वायत्त और वैधानिक -, विकास बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषदें और कृषि एवं कृषिबोर्ड कमोडिटी संबंधित से उद्योग-, बड़ी या बहुसमितियाँ सहकारी राज्य-, कृषि अन्य शामिल में यव्यवसा-संगठन, निर्यातक और प्रवासी भारतीय एवं ओसीबी में साझेदारी लिए के निर्यात के उत्पादों कृषि भारतीय जो) निदेशक निर्वाचित चार : (हैं रखते रुचि		
19.	प्रबंध निदेशक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेफेड हाउस, सिद्धार्थ एन्क्लेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, नई दिल्ली-110014	निर्वाचित सदस्य
20.	रिक्त	
21.	रिक्त	
22.	रिक्त	
सोसायटी के मुख्य कार्यकारी और सदस्य सचिव (प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त)		
23.	प्रबंध निदेशक लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ, 5वीं मंजिल, एनसीयूआई ऑडिटोरियम बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016	सोसायटी के पदेन सदस्य एवं सचिव
स्थायी आमंत्रित व्यक्ति		
1.	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005	सदस्य

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

वार्षिक लेखे

वित्तीय वर्ष 2024-25

स्वतंत्र लेखापरिक्षक रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट तथा आय और व्यय लेखा शामिल हैं, साथ ही वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी करते हुए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे दिए गए राय योग्य के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

योग्य मत का आधार

1. सोसायटी यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रही कि मूल्य स्थिरीकरण निधि 12 प्राप्त अंतर्गत के योजना (पीएसएफ), करोड़ 537रुपये की धनराशि का उपयोग उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन था। गया किया से सख्ती अनुसार के शर्तों की (ओएम)पर्याप्त अभिलेखों के अभाव में, उपयोग के लिए लेखापरीक्षा पथ स्थापित नहीं किया जा सका और रिपोर्ट किए गए उपयोग की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।
2. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, प्रारूप 12-क (पत्र प्रमाण योगिताउप) के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को निम्नलिखित उपबंधों का पालन करना अनिवार्य है।

   खंड (vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि..... (योजना का नाम) के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार रहा है और जिस वर्ष निधि के उपयोग से परिणाम प्राप्त हुए हैं, उस वर्ष के लिए निष्पादन/लक्ष्य प्राप्ति विवरण अनुलग्नक- I में दिया गया है।

   खण्ड (viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप परिणाम प्राप्त हुए, जो अनुलग्नक-II में दिए गए हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशें के अनुसार तैयार किया गया है।

   खंड (ix) - उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से एजेंसी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशें के अनुसार तैयार किया गया है।)

   हालांकि, लेखा परीक्षा के दौरान लघु कृषक कृषि व्यापार संघ निर्धारित योजना दिशानिर्देशों के पालन के सत्यापन हेतु परिशिष्ट-I तथा परिशिष्ट-II प्रदान करने में असमर्थ रहा। इन अनिवार्य संलग्नकों के अभाव में, सहायता अनुदान के उपयोग की पूर्णता और सटीकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, प्रारूप 12-क (उपयोगिता प्रमाण पत्र) का प्रमाणिकरण का एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाना अनिवार्य है। तथापि :
   - कुछ योजनाओं के प्रारूप 12-क (पत्र प्रमाण उपयोगिता)का प्रमाणीकरण एस.एफ.ए.सी. में कार्यरत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया, जिससे स्व-परीक्षण का जोखिम उत्पन्न हुआ तथा प्रमाणीकरण की स्वंतत्रता प्रभावित हुई।
   - राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) योजना के लिए 51 करोड़ रुपये की राशि का फॉर्म 12-क किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।
4. एसएफएसी के उपनियमों के खंड (1)6के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड की बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी आवश्यक हैं। वित्त वर्ष गई की आयोजित बैठक एक केवल दौरान के 25-2024, जो निर्धारित उप अनुपालन-गैर के नियमों- है। दर्शाता को कमियों में शासन आंतरिक और

5. हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि एसएफएसी ने कृषि मंत्रालय आने में नियंत्रण संयुक्त के (सरकार भारत) हालाँकि हैं। किए देन-लेन साथ के पक्षों संबंधित वाले, इन लेन "प्रकटीकरण पक्ष संबंधित" 18 (एएस) मानक लेखा का देनों-नहीं खुलासा में टिप्पणियों लेखा से अलग अनुसार के किया गया है। तदनुसार, वित्तीय विवरण लागू लेखा ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

तदनुसार, उपरोक्त मामलों का रिपोर्ट की गई वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी लेखापरीक्षा राय में योग्यता की आवश्यकता होती है।

अन्य मामला

गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय के खातों की जाँच दिल्ली मुख्यालय से दूरस्थ रूप से की गई है। तदनुसार, सभी शेष राशि और विभिन्न पक्षों के साथ लेन-देन को सोसायटी के अभिलेखों के अनुसार लिया गया है और हमने उन पर भरोसा किया है। इन्हें लेखों में शामिल कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि समिति अपने किसी भी अधिशेष विक्रेता या सेवा प्रदाता के लिए बहीखाता नहीं रखती है। इससे टीडीएस, आयकर और जीएसटी की सीमा की गणना में जोखिम पैदा होता है, जिसका लेखा सॉफ्टवेयर से सीधे पता नहीं लगाया जा सकता। प्रबंधन के अनुसार, समिति नकद-आधारित लेखा प्रणाली का पालन करती है, और कई लेन-देन के कारण, पार्टी-वार बहीखाता रखना संभव नहीं है।

हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 5.43 करोड़ रुपए की मांग की है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, 18-09-2024 को जवाब दाखिल कर दिया गया है। प्रबंधन इस मांग को आकस्मिक प्रकृति का मानता है, और तदनुसार, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उसके संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने की ज़िम्मेदारी सोसायटी के प्रबंधन की है। अन्य जानकारी में समिति की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें समिति की रिपोर्ट के सभी अनुलग्नक शामिल हैं, शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी वित्तीय विवरणों पर राय अन्य जानकारी को नहीं कवर करती है, और उस पर हम कोई भी प्रकार की आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए मानक के संदर्भ में प्रबंधन और संचालन में नियुक्त प्राधिकृत व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

सोसायटी का प्रबंधन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

इस जिम्मेदारी में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, समाज की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

जैसा कि लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए नहीं कि क्या सोसायटी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयक वस्तु-ा मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. हमने अपनी लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया और प्राप्त भी किया, सिवाय उन विषयों के जो "आधार का मत योग्य"पैरा में उल्लिखित हैं।
2. हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक अनुसार समुचित लेखाहैं गई रखी द्वारा सोसाइटी सामान्यतः पुस्तकें-, जैसा कि हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है, निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर।"

   मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग को प्रमाणित करने वाले पर्याप्त अभिलेखों की अनुपलब्धता।

   फॉर्म 12-क (उपयोगिता प्रमाणपत्रों) के स्वतंत्र प्रमाणन से संबंधित सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238(1) का पालन नहीं किया गया है।

   प्रबंधन बोर्ड की बैठकों की आवश्यक आवृत्ति के संबंध में एसएफएसी के उपनियमों के खंड 6(i) का अनुपालन न करना।
3. इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र एवं आय-व्यय खाता, उपर्युक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, लेखापुस्तकों के अनुरूप है।

कृते
एस.एस.आर.ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
(कंपनी पंजीकरण संख्या 844266एन)

लेखा परीक्षक सुरेश गोयल
(साझेदार)

सदस्यता संख्या: 093711
दिनांक:
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 25093711बीएमकेआरवीआई 91734

अनुलग्नक – II

प्रबंधन की टिप्पणियाँ- मैसर्स एसएसआरए एंड कंपनी, वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के विरुद्ध

क्र.सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन की टिप्पणियाँ
1.	सोसायटी यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्रदान करने में असमर्थ रही कि मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत प्राप्त 1,25,37,78,58,021 रुपए की धनराशि का उपयोग उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के नियमों और शर्तों के अनुसार सख्ती से किया गया था। पर्याप्त अभिलेखों के अभाव में, उपयोग का लेखापरीक्षा परीक्षण स्थापित नहीं किया जा सका और रिपोर्ट किए गए उपयोग की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।	आवंटित निधियों का उपयोग उस उद्देश्य हेतु सुनिश्चित करने के लिए, जिसके लिए उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को आवंटित किया गया है, उपभोक्ता मामले विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल सं. Y-17/5/2024-लागत प्रकोष्ठ (E-35575) दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से मेसर्स जैन पारस बिलाल एंड कंपनी को समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, ताकि पीएसएफ योजना के अंतर्गत नेफेड एवं एनसीसीएफ का लेखा परीक्षण किया जा सके। मासिक लेखा रिपोर्ट (जिसमें जारी की गई निधियों के विरुद्ध उपयोग की स्थिति भी सम्मिलित है) सीधे उपभोक्ता मामले विभाग को प्रस्तुत की जा रही है। समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु अनुरोध प्रस्ताव के अंतर्गत संदर्भ की शर्तें (प्रतिलिपि संलग्न) भी लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों के साथ साझा की गई थीं, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि समवर्ती लेखा परीक्षक पीएसएफ संचालन का लेखा परीक्षण करेगा तथा संचालन के खातों की जांच करेगा ताकि निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। संदर्भ की शर्तों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षक को उपभोक्ता मामले विभाग के कॉस्टिंग सेल को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
2.	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, फॉर्म 12-ए (उपयोगिता प्रमाणपत्र) के लिए एसएफएसी को निम्नलिखित खंडों का अनुपालन करना आवश्यक है: खण्ड (vii) - यह सुनिश्चित किया गया है कि ..... (योजना का नाम) के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार रहा है और उस वर्ष के लिए निष्पादन/लक्ष्य प्राप्ति विवरण, जिसके परिणामस्वरूप निधि का उपयोग किया गया, अनुलग्नक-I में दिया गया है। खंड (viii) - निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुलग्नक-II में दिए गए परिणाम प्राप्त हुए, जो विधिवत संलग्न हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने हैं।) खंड (ix) - उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से एजेंसी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का विवरण	अनुलग्नक-I के संबंध में:- पीएसएफ संचालन के अंतर्गत डीओसीए द्वारा तैयार की गई निधि प्रबंधक रिपोर्ट नियमित अंतराल पर डीओसीए को प्रस्तुत की जा रही है। लेखापरीक्षा के दौरान, इसका मूल्यांकन किया गया और लेखापरीक्षा टीम के साथ साझा किया गया तथा ईमेल के माध्यम से भी भेजा गया। डीओसीए द्वारा जारी दिनांक 21.08.2025 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है। इसी प्रकार, 10 हज़ार एफपीओ योजना, पीएमएमएसवाई, ई-नाम आदि जैसी अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार नियमित अंतराल पर भेजी जा रही है।

	अनुलग्नक-II में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा)। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान, एसएफएसी निर्धारित योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के सत्यापन हेतु अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। इन अनिवार्य अनुलग्नकों के अभाव में, सहायता अनुदान के कथित उपयोग की पूर्णता और सटीकता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका।	
3.	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, फॉर्म 12-क (उपयोगिता प्रमाणपत्र) को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। हालाँकि: • कुछ योजनाओं के फॉर्म 12-क को एसएफएसी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिससे स्व-समीक्षा का खतरा पैदा हो गया और प्रमाणन की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। • राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के लिए 51,81,36,626 रुपए की राशि से संबंधित प्रपत्र 12-क किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।	विभिन्न योजनाओं के फॉर्म 12-क (उपयोगिता प्रमाण पत्र) को चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अशोक कुमार द्वारा प्रमाणित किया गया है। उन्हें न तो एसएफएसी द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किया गया है और न ही उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में काम किया है। यह कार्यालय अस्थायी उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुका है, और अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ई-नाम योजना के उपयोग प्रमाण पत्र के लेखा परीक्षा के पश्चात्, वह भी मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।
4.	एसएफएसी के उपनियमों के खंड 6(i) के अनुसार, प्रबंधन बोर्ड की बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी आवश्यक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केवल एक बैठक आयोजित की गई, जो निर्धारित उपनियमों के गैर-अनुपालन और आंतरिक प्रशासन में कमियों को दर्शाता है।	हम यह स्वीकार करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केवल एक कार्यकारी बैठक हुई। भविष्य में यह कार्यालय एसएफएसी के उपनियमों के अनुसार बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेगा।
5.	हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि एसएफएसी ने कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) के संयुक्त नियंत्रण में आने वाले संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किए हैं। हालाँकि, इन लेन-देनों का लेखा मानक (एएस) 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार अलग से लेखा टिप्पणियों में खुलासा नहीं किया गया है। तदनुसार, वित्तीय विवरण लागू लेखा ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।	उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार, एसएफएसी, पीएसएफ योजना के अंतर्गत निधि प्रबंधक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से निधि जारी करने और प्राप्तियों के लिए बैंक खाते का प्रबंधन करता है। यह कार्यालय मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि निधि आवंटन/जारी करने संबंधी निर्णय लेने में एसएफएसी की कोई भागीदारी नहीं है। लेखा मानक (एएस) 18 बिंदु संख्या 9 के अनुसार "9. राज्य-नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।" अतिरिक्त रूप से, "राज्य-नियंत्रित उद्यमों" को इस प्रकार भी परिभाषित किया गया

		है— "10.13 राज्य–नियंत्रित उद्यम – वह उद्यम जो केंद्र सरकार और/या किसी राज्य सरकार(ओं) के नियंत्रण में होता है। अतः स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाया गया यह बिंदु कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सामान्य नियंत्रण में आने वाले संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, लागू नहीं होता है।

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(Amount in Rs)

Particulars	Schedule	As at 31st March, 2025	As at 31st March, 2024
CORPUS / CAPITAL FUND & LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	114,500,000	114,500,000
General Fund (Reserve and surplus)	2	819,389,971	804,632,411
Endowment funds (NET)	3	32,726,456,346	11,724,034,857
Secured loans and borrowings	4	-	-
Current liabilities and provisions	5	32,585,351	47,982,030
Fixed Assets (Contra)	6	46,087,123	46,950,524
Total		**33,739,018,790**	**12,738,099,822**
ASSETS			
Fixed Assets (Contra)	6	46,087,123	46,950,524
Loans & Advances	7	9,772,000	9,772,000
Investments - (FDR's & Interest Accrued)	8	2,572,567,288	3,893,037,325
Current Assets	9	31,110,592,379	8,788,339,973
Total		**33,739,018,790**	**12,738,099,822**
Significant accounting policies	14		
contingent liabilities and notes on accounts	15		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR : SSRA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(REGD NO. 014286N)

SSRA & CO. New Delhi Chartered Accountants

CA Suresh Goyal
PARTNER
(M.NO. 093711)

PLACE : NEW DELHI
DATED :16.09.2025

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Rajbeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM SFAC New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Amount in Rs)

INCOME	Schedule	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Income from sale/services	10	84,894,239.00	72,115,605.00
Interest Earned	11	129,354,437.51	72,831,203.64
Other Income	12	22,960,769.97	14,168,525.19
Total (A)		**237,209,446.48**	**159,115,333.83**
EXPENDITURE			
Establishment & Other Administrative Expenses etc.	13	69,939,103.12	34,830,608.90
Cost of Goods sold (Opening+Purchase-Closing)		47,457,895.07	4,628,077.82
Total (B)		**117,396,998.19**	**39,458,686.72**
BALANCES BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO GENERAL FUND (Reserves & Surplus)		**119,812,448.29**	**119,656,647.11**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

As per our report of even dated

FOR : SSRA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(REGD NO. 014266N)

SSRA & CO. Chartered Accountants New Delhi

CA Suresh Goyal
PARTNER
(M.NO. 093711)

PLACE : NEW DELHI
DATED :16.09.2025

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM SFAC New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '1' : DETAILS OF CORPUS FUND CONTRIBUTION

(Amount in Rs)

List of Members	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Promoter Members		
Government of India (Ministry of Agriculture)	7,500,000.00	7,500,000.00
Reserve Bank of India	15,000,000.00	15,000,000.00
National Bank of Agriculture and Rural Development	15,000,000.00	15,000,000.00
Industrial Development Bank of India	15,000,000.00	15,000,000.00
State Bank of India	15,000,000.00	15,000,000.00
Punjab National Bank	15,000,000.00	15,000,000.00
Primary Members		
Canara Bank	5,000,000.00	5,000,000.00
United Phosphorus Ltd,	5,000,000.00	5,000,000.00
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd,	2,000,000.00	2,000,000.00
Bank of Baroda	5,000,000.00	5,000,000.00
Permanent Invitee		
Export Import Bank of India	15,000,000.00	15,000,000.00
Total	**114,500,000.00**	**114,500,000.00**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '2' : GENERAL FUND

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Opening Balance as per last Balance Sheet HO	423,571,619	439,916,842
Opening Balance as per last Balance Sheet RO	-	-
Opening Balance as per last Balance Sheet HO+RO	423,571,619	439,916,842
Less-: Adjustment	(82,141,687)	(16,549,174)
Less-Income Tax Paid (including interset & demand)	(22,913,202.00)	(23,663,350)
Excess of Income over Expenditure (NET)	119,812,448	119,656,647
Add: Profit and loss opening balance	-	-
Less-: Adjustment	-	-
Add-: Accumulated Income F.Y 2016-17 Onwards	381,060,793.41	285,271,446.41
	819,389,971	**804,632,411**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

FUND UTILIZATION	Schedule	A) Opening balance of the funds :	B) Additions to the Funds:	TOTAL (A+B)	C) Utilization/ Expenditure towards objectives of funds	Venture Capital Utilised(Annexure 'B')	Refund To DAC/MFPI	TOTAL (C)	AS PER BALANCE SHEET (A+B+C)
TECH MISSION		408,199.00	-	408,199.00			-	-	408,199.00
VENTURE CAPITAL	3A&B	1,027,280,354.70	965,788,793.92	1,993,069,148.62	1,302,169,916.59	-	-	1,302,169,916.59	690,899,232.03
Advocacy Campaign Nutri Cereals in India		(511,592.00)	10,511,592.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
BUFFER STOCK (PSF)		740,022,074.81	5,500,017.00	745,522,091.81	164,649.00			164,649.00	745,357,442.81
BUFFER STOCK (PSS)		2,093,788.00		2,093,788.00				-	2,093,788.00
Central Nodal Agency (SFAC)-10000 FPOs		4,443,398.19	10,878,380.32	15,321,778.51	15,321,778.51			15,321,778.51	0.00
EGCG		1,226,332,199.48	74,854,875.00	1,301,187,074.48	445,319.00			445,319.00	1,300,741,755.48
FFPO-DAC		76,200.00	4,706,400.00	4,782,600.00	4,782,600.00			4,782,600.00	
FFPOs- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna		230,212,624.00	283,064,556.00	513,277,180.00	513,053,622.00			513,053,622.00	223,558.00
FMDCP		-		-	-			-	-
General (NVI)		-	-	-	-			-	-
KISAN MANDI		34,068,016.62		34,068,016.62	3,649.63			3,649.63	34,064,366.99
MBDA		1,537,024.00		1,537,024.00	-			-	1,537,024.00
MIDH(DAC)		18,945,760.52	34,073,555.48	53,019,316.00	53,019,316.00			53,019,316.00	
NATIONAL AGRI CULTURE MARKETING		241,372,198.72	276,957,100.00	518,329,298.72	518,136,626.72			518,136,626.72	192,672.00
PFDC		-		-	-			-	-
PM-KISAN		242,214.00	-	242,214.00	242,214.00			242,214.00	-
PRICE STABILIZATION FUND	3C	7,944,570,652.49	155,337,117,131.26	163,281,687,783.75	134,177,537,189.83			134,177,537,189.83	29,104,150,593.92
RKVY		-	1,795,246,570.55	1,795,246,570.55	1,248,695,914.18			1,248,695,914.18	546,550,656.37
RO Guwahati Project	RO	1,780,466.00	-	1,780,466.00	444,000.00			444,000.00	1,336,466.00
SCHEME FOR FORMATION AND PROMOTION OF 10000 FPO's		-	1,548,083,863.00	1,548,083,863.00	1,548,083,863.00			1,548,083,863.00	-
GOI Grant		-	2,191,550.33	2,191,550.33	2,191,550.33			2,191,550.33	-
Asean India Millet Festival 2023		3,347,337.37	19,120,043.57	22,467,380.94	22,467,380.94			22,467,380.94	-
Ekuber RBI TSA CSS 10K FPO		-	4,834,822,147.00	4,834,822,147.00	4,834,822,147.00			4,834,822,147.00	-
National Beekeeping and Honey Mission		-	106,083,905.00	106,083,905.00	106,083,905.00			106,083,905.00	-
Republic Day 2024		1,236,801.00	1,560,927.00	2,797,728.00	2,729,517.00			2,729,517.00	68,211.00
Independence Day 2023		100,487.00	13,277.00	113,764.00	113,764.00			113,764.00	-
Independence Day 2024		-	4,968,664.00	4,968,664.00	4,968,664.00			4,968,664.00	-
Republic day 2025		-	1,844,960.00	1,844,960.00	512,600.00			512,600.00	1,332,360.00
FPO Formation Scheme (before CSS through state & Central Govt.)		246,476,653.00	52,358,406.00	298,835,059.00	1,335,039.00			1,335,039.00	297,500,020.00
Current Year (2024-25)		11,724,034,856.90	165,369,746,714.43	177,093,781,571.33	144,367,325,225.73	-	-	144,367,325,225.73	32,726,456,345.60
Previous Year (2023-24)		64,523,457,723.19	72,477,038,234.16	137,000,496,606.35	125,276,461,749.45	-	-	125,276,461,749.45	11,724,034,856.90

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajput
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM ★ SFAC New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '3-A' : VENTURE CAPITAL

(Amount in Rs.)

Particulars		For the year ended 2025	For the year ended 2024
Venture Capital Assistance Fund			
Opening Balance	1,027,280,354.70		369,069,749.03
Balance of Venture Capital Assistance			
Add: Grants received from DAC	22,211,901.00		1,407,829,629.82
Receive from Administrative expense grant			
Receive from VCA (Admin Exp)			
Receive From Publicity Grants			
Receive from Project Development Fund			
Less: Net Amount transferred to PDF			
Net Amount Transferred to Publicity Grants			
Net Amount Transferred to VCA (Admin Exp)			
Administrative Expense Grant			
Refund to DAC (VCA refunded by Beneficiaries)	(929,451,696.00)		(770,529,545.30)
Venture Capital Assistance Recoverable			
Project Development Fund			
Opening Balance	943,576,892.92		26,290,003.15
Unutilized Project Development			
Add: Net Grants received from VCA			
Less: Expenditure			
Transfer to VCA Assistance			
Publicity Grants			
Opening Balance			
Add: Net Grants received from VCA			
Less: Expenditure			
Transfer to VCA Assistance	(372,718,220.59)		(5,379,482.00)
Administrative Expense Grant			
Opening Balance			
Add : Grant received			
Less: Administrative Expenditure			
Transferred to VC Assistance			
Total	**690,899,232.03**		**1,027,280,354.70**

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '3-B' : VENTURE CAPITAL

(Amount in Rs.)

Particulars	Opening Balance	Transactions		Closing Balance
		Dr.	Cr.	
Before FY 2008-09	200,954,959.00		265,001.00	200,689,958.00
FY 2008-09	56,462,000.00			56,462,000.00
FY 2009-10	66,853,000.00			66,853,000.00
FY 2010-11	58,460,000.00	796,459.00	1,323,459.00	57,933,000.00
FY 2011-12	89,055,950.00	1,359,773.02	9,937,523.02	80,478,200.00
FY 2012-13	97,525,316.00	200,000.00	14,067,015.00	83,658,301.00
FY 2013-14	129,696,657.00	5,094,083.00	20,414,198.00	114,376,542.00
FY 2014-15	195,705,294.02	6,532,759.00	31,265,553.00	170,972,500.02
FY 2015-16	68,503,750.00		5,583,750.00	62,920,000.00
FY 2016-17	213,901,304.36	1,711,724.00	80,423,028.68	135,189,999.68
FY 2017-18	280,698,681.00	733,618.00	98,939,795.00	182,492,504.00
FY 2018-19	726,044,750.00	471,026.00	309,079,276.00	417,436,500.00
FY 2019-20	857,098,250.00	337,431.00	253,746,278.00	603,689,403.00
FY 2020-21	375,972,000.00		40,278,000.00	335,694,000.00
FY 2021-22	421,287,000.00		19,482,000.00	401,805,000.00
FY 2024-25		334,205,000.00	3,479,000.00	330,726,000.00
Total	3,838,218,911.38	351,441,873.02	888,283,876.70	3,301,376,907.70

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '3-C': PRICE STABILIZATION FUND

(Amount in Rs.)

Particulars		For the year ended March 2025		For the year ended March 2024
Opening Balance		7,944,570,652.57		59,331,248,178.21
Add: Grants Received	6,473,029.00	6,473,029.00	5,053,425.00	5,053,425.00
Interest Received Form FDR's (PSF)	575,523,473.00		2,253,566,164.00	
Unspent Proceeds from CIPHET	-		396,610.00	
Received from DOCA	69,709,400,000.00			
Sales Proceeds From M/s BISMPC	14,227.00			
Sales Proceeds From M/s MMTC Ltd	235,440,429.00		92,101,293.00	
Sales Proceeds From M/s Maharashtra State CO-OP Mark. F	4,651,343,815.00			
Sales Proceeds From M/s Kendriya Bhandar	2,527,934,180.00		686,716,676.00	
Sales Proceeds From M/s Gujarat State CMF.	2,384,589,024.00		713,206,080.00	
Sales Proceeds From M/s NCCF	22,787,419,047.61		11,296,745,626.00	
Sales Proceeds From M/s NAFED	47,027,476,144.65	149,899,140,340.18	46,879,359,409.91	61,922,091,858.91
Less: Refund to DOCA				-
Less: Working Capital Advance Paid to Central Agencies				
M/s NAFED	88,777,712,388.29		76,935,089,493.55	
M/s NCCF	24,415,298,719.54		35,745,081,351.00	
M/s Food Corporation of India	15,284,959,110.00		181,533,028.00	
M/s CIPHET	11,676,000.00		22,718,000.00	
M/s Invest India	14,351,931.00		36,849,007.00	
M/s SFAC	22,752,429.00		9,673,030.00	
Agriwatch	1,486,800.00			
Govt of Assam	18,692,268.00			
Govt. of Bihar	684,000.00			
Daman & diu	474,426.00			
HP	3,258,364.00			
Kerala	5,187,130.00			
Mizoram	1,992,500.00			
Madhya Pradesh	8,798,128.00			
Sikkim	164,000.00			
Tamil nadu	11,690,671.00			
Uttar Pradesh	18,807,280.00			
jain Paras Bilala & Company	2,360,000.00			
Jharkahnd	10,611,373.00			
Nicsi	11,851,941.00			
Govt. of Punjab	25,314,713.00			
Supply Valid	69,612,116.00			
Govt of Nagaland	4,224,000.00		375,000,000.00	
Quality Council of India	13,017,760.00			
Tomato Grand Challenges	11,055,380.00			
Other Individual Agencies (Ref S-3C(1))	-		7,878,900.00	
		128,746,033,427.83		113,313,822,809.55
Total		**29,104,150,593.92**		**7,944,570,652.57**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE- 4 SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
	HO	HO
Union Bank of India CC A/c	-	-
Total	-	-

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM SFAC New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025
SCHEDULE- 5 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025			For the year ended 2024		
	H.O.	R.O.	Total	H.O.	R.O.	Total
Audit Fees			-			-
Chattisgarh Govt	-		-	375,000.00		375,000.00
Earnest Money Payable			-	40,000.00		40,000.00
EMD Borah fertilizer NBM RO			-	10,000.00		10,000.00
EMD Uttaran NBM RO			-	-	5,000.00	5,000.00
Expenses Payable (Other)	-		-	11,682,592.00		11,682,592.00
Govt. Dues	103,054.00		103,054.00	96,421.00		96,421.00
Gratuity Due	15,602,771.00		15,602,771.00	15,299,428.00		15,299,428.00
Interest Payable (VCA Interest)	-		-	9,955,742.05		9,955,742.05
Leave Encashment Due	30,801.00		30,801.00	30,801.00		30,801.00
Professional Fee Payable	4,931.00		4,931.00	-		-
Provision for Purchases of Computer &	-		-	107,593.00		107,593.00
Salary Payable	270,000.00		270,000.00	69,775.00		69,775.00
Security Deposit (Creative Offset)	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
Security Deposit (CA Agrawal & Dhandhania)	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
Security Deposit - RP Pandit (PSF-CA)	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
Security Deposit (K. V. Gaurilivlihood)	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
Security Deposit Censer Advertising	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
Security Deposit (Moraine Group)	5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00
Security Deposit Jesco Contractor (Electrical)	-		-	-		-
Security Deposit (Neha Rent A Car) GF	-		-			-
Security Deposit (S.K Patodia)	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
Security Deposit Flat 15-T (APEDA)	15,750.00		15,750.00	15,750.00		15,750.00
Security Deposit M/s Noble engineers (A.C)	-		-	-		-
Security Deposite Jai Kumar	27,978.00		27,978.00	17,980.00		17,980.00
Security Deposits (Flats)	690,542.00		690,542.00	690,542.00		690,542.00
Security Apitco 10K FPO	720,000.00		720,000.00	-		-
Security F2DF 10K FPO	1,680,000.00		1,680,000.00	-		-
Security Milestone Event Management-10K	1,200,000.00		1,200,000.00	-		-
Sundry Creditors (PSF/Pulses)	-		-	6,294.00		6,294.00
Sundry Creditors - KM	-		-	270,000.00		270,000.00
Arvind Rattan & Co	25,000.00		25,000.00	-		-
TDS Payable	3,696,502.00		3,696,502.00	9,215,412.00		9,215,412.00
Provision DOCA TDS	8,425,222.00		8,425,222.00	-		-
Misc Deduction	-		-	900.00		900.00
Round off	0.01	(0.01)	-	-		-
Tender Fees Refundable	11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00
Total	**32,585,351.01**	**(0.01)**	**32,585,351.00**	**47,977,030.05**	**5,000.00**	**47,982,030.05**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE - 6 SUMMARY OF FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	For the year ended 2025	For the year ended 2024
General Fund H.O.	6-A	2,086,722.00	1,084,225.00
General Fund R.O.	6-A	49,815.00	57,313.00
GOI Fund	6-B	41,006,430.37	43,197,982.16
VCA Fund	6-C	1,433,889.30	1,612,019.51
MSG Fund	6-D	52.00	86.00
Kisan Mandi Fund	6-E	-	-
PSF Fund	6-F	177,352.00	260,888.00
NAM Fund	6-G	376,384.00	399,314.00
EGCGC Fund	6-H	274,764.00	338,696.00
Fixed Assets 10K FPO	6-I	681,714.00	575,256.00
Fixed Assets R.O		-	-
Total		**46,087,122.67**	**46,950,523.67**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025
SCHEDULE '6-A' - Fixed Assets (General Fund)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Furniture & Fixtures	10%							
H.O.		267,801.00	315,558.00	35,990.00	-	619,349.00	60,135.00	559,214.00
R.O.		23,905.00		-	-	23,905.00	2,391.00	21,514.00
Water Dispensar	10%	2,981.00	-	-	-	2,981.00	298.00	2,683.00
Photocopier Canon	15%	62,886.00	-	-	-	62,886.00	9,433.00	53,453.00
Refrigerater	15%	34,491.00	-		-	34,491.00	5,174.00	29,317.00
T.V. Set	15%	7,105.00	-	-	-	7,105.00	1,066.00	6,039.00
Air Conditioners (R.O)	15%	16,082.00	-	-	-	16,082.00	2,412.00	13,670.00
Digital Camera (R.O.)	15%	965.00	-	-	-	965.00	145.00	820.00
Mobile Handset (R.O)	15%	3,214.00	-	-	-	3,214.00	482.00	2,732.00
Omini Car (H.O.)	15%	26,754.00	-	-	-	26,754.00	4,013.00	22,741.00
Apple I-Pad	15%	9,451.00	-	-	-	9,451.00	1,418.00	8,033.00
CCTV CAMERA	15%	6,616.00	-	-	-	6,616.00	992.00	5,624.00
Wall / Exhaust	15%	10,720.00	-		-	10,720.00	1,608.00	9,112.00
Office Equipment	15%							
H.O.		72,517.00	-	-	-	72,517.00	10,878.00	61,639.00
Telephone (H.O)	15%	95,700.00	-		-	95,700.00	14,355.00	81,345.00
Electrical Equipments	15%							
H.O.		14,635.00	-	-	-	14,635.00	2,195.00	12,440.00
R.O.		635.00	-	-	-	635.00	95.00	540.00
Computers & Accessories	40%							
H.O.		256.00	1,394,876.00	-	-	1,395,132.00	558,053.00	837,079.00
R.O.		384.00	-	-	-	384.00	154.00	230.00
Laptop	40%	13,850.00	-	-	-	13,850.00	5,540.00	8,310.00
Xerox Machine RO	15%	9,106.00	-	-	-	9,106.00	1,366.00	7,740.00
Car (CIAZ)-HO	15%	458,462.00	-	-	-	458,462.00	68,769.00	389,693.00
Fax Machine RO	15%	1,009.00	-	-	-	1,009.00	151.00	858.00
Inverter RO	15%	1,336.00	-	-	-	1,336.00	200.00	1,136.00
Water Filter Cum-Purifier RO	15%	677.00	-	-	-	677.00	102.00	575.00
TOTAL		1,084,225.00	1,710,434.00	35,990.00	-	2,830,649.00	743,927.00	2,086,722.00
TOTAL RO		57,313.00	-	-	-	57,313.00	7,498.00	49,815.00

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025
SCHEDULE '6-B'Fixed Assets (GOI Fund)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Lease Hold Building	5%	25,974,369.00	-	-	-	25,974,369.00	1,298,718.00	24,675,651.00
Flats	5%	16,716,300.48	-	-	-	16,716,300.48	835,815.67	15,880,484.80
Furniture & Fixture	10%	381,557.74	-	-	-	381,557.74	38,155.37	343,402.37
Airconditioner	15%	34,822.96	-	-	-	34,822.96	5,223.49	29,599.47
Fax Machine	15%	925.71	-	-	-	925.71	138.76	786.95
Office Equipment	15%	45,729.56	-	-	-	45,729.56	6,859.23	38,870.33
Photocopier	15%	5,955.20	-	-	-	5,955.20	893.48	5,061.72
Telephone Instrument	15%	10,849.89	-	-	-	10,849.89	1,627.03	9,222.86
DG Set	15%	21,149.48	-	-	-	21,149.48	3,172.17	17,977.31
Fire Fighting Equipment	15%	6,322.14	-	-	-	6,322.14	948.57	5,373.56
TOTAL		**43,197,982.16**	**-**	**-**	**-**	**43,197,982.16**	**2,191,551.79**	**41,006,430.37**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025
SCHEDULE '6-C' - Fixed Assets (VCA)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Air Conditioner	15%	244,731.00	33,500.00			278,231.00	41,735.00	236,496.00
Furniture & Fixture	10%	667,891.54		-		667,891.54	66,789.05	601,102.49
DG Set	15%	25,192.59				25,192.59	3,778.64	21,413.95
Office Equipment	15%	121,560.44				121,560.44	18,234.17	103,326.27
Camara (VCA)	15%	10,772.00				10,772.00	1,616.00	9,156.00
Cooler/Fan-VCA	15%	10,310.00				10,310.00	1,547.00	8,763.00
Water Purifier (VCA)	15%	7,834.00				7,834.00	1,175.00	6,659.00
Telephone Instruments	15%	48,049.48		-		48,049.48	7,207.82	40,841.66
Bicycle	15%	212.95				212.95	32.04	180.91
Computer	40%	90,142.52	-			90,142.52	36,056.81	54,085.71
Photocopier	8%	346,584.98	-			346,584.98	25,993.67	320,591.31
Printer VCA	40%	212.00				212.00	85.00	127.00
Computer Software (VCA)	40%	6,402.00				6,402.00	2,561.00	3,841.00
Room Heater (VCA)	15%	7,454.00				7,454.00	1,118.00	6,336.00
TV 55 Inch	15%	24,670.00				24,670.00	3,701.00	20,969.00
Total		**1,612,019.51**	**33,500.00**	-	-	**1,645,519.51**	**211,630.21**	**1,433,889.30**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '6-D' - Fixed Assets (MSG)

(Amount Rs)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Computer	40%	86.00	-	-	-	86.00	34.00	52.00
		86.00	**-**	**-**	**-**	**86.00**	**34.00**	**52.00**

SCHEDULE '6-E'- Fixed Assets (Kisan Mandi)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Furniture & Fixture	10%	-	-	-	-	-	-	-
Water Dispenser	10%	-	-	-	-	-	-	-
Office Equipment:-								
Electronic Scale	15%	-	-	-	-	-	-	-
Fan	15%	-	-	-	-	-	-	-
Bag Stiching Machine	15%	-	-	-	-	-	-	-
CCTV Camera	15%	-	-	-	-	-	-	-
Hand Pallot Truck	15%	-	-	-	-	-	-	-
Sorting & Grading Machine	15%	-	-	-	-	-	-	-
Weighing Machine	15%	-	-	-	-	-	-	-
Fire Extinguisher	15%	-	-	-	-	-	-	-
Computer	40%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SCHEDULE '6-F' - Fixed Assets (PSF)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Computer	40%	176,244.00	-		-	176,244.00	70,496.00	105,747.00
Laptop	40%	1,951.00	-	-	-	1,951.00	780.00	1,171.00
Scanner	40%	2,142.00	-	-	-	2,142.00	857.00	1,285.00
Digital Photocopier	15%	66,942.00	-	-	-	66,942.00	10,041.00	56,901.00
Steel Almirah	10%	13,609.00	-	-	-	13,609.00	1,361.00	12,248.00
TOTAL		**260,888.00**	**-**	**-**	**-**	**260,888.00**	**83,535.00**	**177,352.00**

SCHEDULE '6-G' - Fixed Assets (NAM)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Computer	40%	6,232.00	-	-	-	6,232.00	2,493.00	3,739.00
Computer & Accessories	20%	2,634.00	-	-	-	2,634.00	527.00	2,107.00
Printer	40%	3,670.00	-	-	-	3,670.00	1,468.00	2,202.00
Telephone Instruments	15%	23,579.00	-	-	-	23,579.00	3,537.00	20,042.00
Furniture & Fixture	10%	199,724.00	-	-	-	199,724.00	19,972.00	179,752.00
Video Conference Equipment	15%	158,215.00	-	-	-	158,215.00	23,732.00	134,483.00
Water Dispenser	10%	5,260.00	-	-	-	5,260.00	526.00	4,734.00
Air Conditioner	15%		34,500.00			34,500.00	5,175.00	29,325.00
TOTAL		**399,314.00**	**34,500.00**	**-**	**-**	**433,814.00**	**57,430.00**	**376,384.00**

SCHEDULE '6-H' - Fixed Assets (EGCGF)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Printer	40%	60,872.00			-	60,872.00	24,349.00	36,523.00
Printer	40%	4,870.00			-	4,870.00	1,948.00	2,922.00
Electrical Equip.(Fan, etc)	15%	13,727.00			-	13,727.00	2,059.00	11,668.00
Compector Godrej Interio	15%	184,985.00			-	184,985.00	27,748.00	157,237.00
Furniture and Fixture	10%	66,167.00			-	66,167.00	6,617.00	59,550.00
Office Equipment	15%	8,075.00			-	8,075.00	1,211.00	6,864.00
TOTAL		**338,696.00**	**-**	**-**	**-**	**338,696.00**	**63,932.00**	**274,764.00**

SCHEDULE '6-I' - Fixed Assets (10K FPO)

(Amount in Rs.)

Particulars	Block	WDV as at 01/04/2024	Additions upto 30/09/2024	Additions after 30/09/2024	Sales/ Written Off	Total as at 31/03/2025	Depreciation For The Current Year	WDV as at 31/03/2025
Air Conditioners	15%	286,195.00			-	286,195.00	42,929.00	243,266.00
Computer & Accessories	40%	31,920.00	127,500.00	71,128.00	-	230,548.00	77,994.00	152,554.00
Furniture and Fixture	10%	189,720.00		9,600.00	-	199,320.00	19,452.00	179,868.00
Mobile Handset (R.O)	15%		20,000.00	-	-	20,000.00	3,000.00	17,000.00
Office Equipment	15%			34,290.00		34,290.00	2,572.00	31,718.00
Photocopier Canon	15%	36,439.00			-	36,439.00	5,466.00	30,973.00
Telephone Instruments	15%	30,982.00			-	30,982.00	4,647.00	26,335.00
TOTAL		**575,256.00**	**147,500.00**	**115,018.00**	**-**	**837,774.00**	**156,060.00**	**681,714.00**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Deputy Director

Ratnesh Kr Choudhary
Senior Manager (Finance)

Sanjeev Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '7' : LOANS & ADVANCES

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Gomukh Environmental Trust	2,250,000.00	2,250,000.00
Goods Samaritan Social Service Association	4,602,000.00	4,602,000.00
Ladakh Foods Ltd	2,500,000.00	2,500,000.00
Assam Aroma Herbs Ltd	420,000.00	420,000.00
Total	**9,772,000.00**	**9,772,000.00**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS AGRIBUSINESS CONSORTIUM
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE '8' : FIXED DEPOSITS (Investment Others)

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
FDR (Corpus)		
FDR's with SBI	-	114,500,000.00
FDR UBI-HK	114,500,000.00	
	114,500,000.00	114,500,000.00
FDR (General)		
FDR's with Canara Bank	804,247,213.00	80,000,000.00
FDR's with SBI	-	100,000,000.00
FDR's with UBI	40,000,000.00	-
FDR's with PNB	2,988,781.00	302,625,419.00
	847,235,994.00	482,625,419.00
FDR's Credit Guarentee / Equity Grant (Interest)		
FDR's with Union Bank of India	-	10,477,577.00
FDR's with Canara Bank	1,109,094,095.00	-
FDR's with BOM	-	725,000,000.00
FDR's with Corporation Bank	-	10,477,577.00
FDR's with HDFC	46,549,776.40	42,439,950.30
FDR's with PNB	-	-
FDR's with SBI	-	204,361,932.00
	1,155,643,871.40	992,757,036.30
FDR (Price Stabilisation fund)		
FDR's with UBI	-	1,506,566,391.00
	-	1,506,566,391.00
FDR (DDA)		
FDR's with SBI	-	57,700,000.00
FDR (Gratuity)		
FDR's with SBI	-	2,709,000.00
FDR (TM)		
FDR's with SBI	1,464,804.00	1,316,279.00
	1,464,804.00	61,725,279.00
FDR (NYI)		
FDR's with BOB-HK	22,780,182.00	20,000,000.00
FDR's with SBI	-	330,000,000.00
FDR's with Canara Bank	290,580,465.00	-
FDR's with HDFC Bank	2,490,456.00	2,242,237.00
	315,851,103.00	352,242,237.00
FDR (Pulses)		
FDR's with SBI	-	74,725,953.00
	-	74,725,953.00
FDR (Auto Sweep)		
Auto Sweep-10059-BOB-FDR	5,527,056.00	72,253,272.00
Auto Sweep- Corp/UB 3490 (Kisan Mandi)	15,276,204.00	19,976,204.00
Auto Sweep-SBI 3437 (EGCG)	75,913,838.58	76,354,359.58
Auto Sweep- SBI 4017 (DDA Rent)	5,151,327.00	5,884,943.00
Auto Sweep-SBI 4263(Pulse Procurement)	22,433,057.00	19,036,328.00
Auto Sweep- SBI 6007- VCA (Refund)	1,656,143.00	26,133,392.00
Auto Sweep- SBI 7821- Gratuity/Leave Encashment	74,627.00	70,000.00
	126,032,252.58	219,708,498.58
Interest Accrued on FDR's including RO	11,839,263.20	88,186,511.34
Total	**2,572,567,288.18**	**3,893,037,325.22**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE 9- CURRENT ASSETS

(Amount Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) (R.O)		-
Cash in Hand (R O)		
Bank Balances:Current Accounts		
SBI A/C 31225587821	545,356.30	546,005.30
SBI C/A 30054208902	1,894,025.02	1,894,674.02
SBI C/A 30054210172	99,821.00	100,470.00
SBI C/A 3027554017	13,562.75	10,725.47
SBI C/A 30717006007	41,632.01	104,559.01
SBI C/A 31806790060(Veg.initative)	2,136,913.24	25,192.24
SBI C/A 32438354263	10,105.73	14,935.81
SBI C/A 34210564422	-	10,339.83
SBP C/A-00000065175133437	86,135.78	2,133.78
Union Bank of India C/A-1626	308,491.43	2,769,663.79
Union Bank of India C/A-3490	17,144,336.00	9,242,703.46
Saving Accounts		
Axis bank A/c 920010072086429 RO Guwahati	1,297,635.00	1,213,265.00
BoB 22750100010059 FPO's	510,519.30	550,999.30
BoB 22750100027293 FPO's	717,014.00	231,864,938.00
BOB-SB-22750100027890-RKVY-CSNA	546,550,656.37	-
BOM 60383069774 VCA Refund	534,256,617.80	512,280,175.25
Canara Bank S/A 35717	173,252,267.21	540,257,547.21
CNA A/c No. 41066951386-SBI-FPO	1,928,473.00	12,581,167.69
CAN Holding A/c No.41066197176	11,787.00	11,475.00
HDFC 50100258490301 GP	1,501,967.66	1,457,830.66
HDFC 50100258887201 GK	681,740.00	661,706.00
SBI A/C 38271781594 (PM-Kisan)	192,672.00	245,094,813.50
SBI-43150771095-HOLDING-CSNA-ENAM	433,801.00	-
SBI S/A 10429084505	4,056,458.47	6,891,626.63
SBI Saving Bank A/c (R.O.)	498,519.58	482,187.58
SBP S/A 65224687574	29,086,549,130.83	6,414,024,170.29
SBP S/A 41773606878	19,687.00	18,552,207.00
SBP S/A 049422010000882	46,017.63	3,347,337.57
RBI-10673101013-CSS-10K-FPO	(272,871,376.00)	-
Sundry Debtors		
M/s NCDEX (E-Auction)	(190,473.00)	(190,473.00)
M/s NAFED	373,083,743.89	373,083,743.89
M/s Tamil Nadu Civil Supplies Corporation	-	(98,280.00)
Total (A)	**30,474,807,238.00**	**8,376,787,840.28**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

SCHEDULE 9- CURRENT ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Security Deposits		
Security Deposit(Airtel Landline for MD)	1,000.00	1,000.00
Security Deposit(CNG)	15,000.00	15,000.00
Security Deposit DDA Flat(Electric Meter)	107,100.00	107,100.00
Security Deposit DDA Flat (Water Meter)	7,840.00	7,840.00
Security Deposit(Electric Meter)	2,500.00	2,500.00
Security Deposit Flat 36-T IGL Gas Connection	7,000.00	7,000.00
Security Deposit (NCDEX Spot Exchange Ltd)	783,708.00	783,708.00
Security Deposit Office Rent R.O Guwahati	60,000.00	60,000.00
Security Deposit (Rent)	60,000.00	60,000.00
Security Deposit (Telephone)	24,420.00	24,420.00
Security Deposit (Water Meter)	3,750.00	3,750.00
Security Deposit (NSC)	20,000.00	20,000.00
Security Deposit (CST)	10,000.00	10,000.00
Security Deposit (VAT)	10,000.00	10,000.00
Security Deposit - Telephone R.O	2,500.00	2,500.00
Security Deposit Tender	5,000.00	5,000.00
Security Deposit (Bharti Airtel LTD)	5,725.00	5,725.00
Income Tax (Refund)		
Assessment Year 2012-13	743,950.00	743,950.00
Assessment Year 2016-17	8,190,248.00	8,190,248.00
Assessment Year 2019-20	8,166,358.00	8,166,358.00
Assessment Year 2020-21	1,709,514.00	1,709,514.00
Other Advances		
Expenses Receivable (Misc)	34,281.00	-
Loan to Kisan mandi	3,000,000.00	3,000,000.00
Other Advance	377,071.00	72,000.00
PSF (Closing Stock)	-	47,457,895.70
Rent Receivable (NHB)	576,440.60	4,206,478.40
Rent Receivable	-	27,753.00
TDS receviable	8,961,659.70	901,755.45
Advance Tax	26,283,741.00	22,913,202.00
Suspense	-	-
Imprest	-	10,000.00
Minimum Support Price-(Pulses)		
10K FPO Receivable	272,884,239.00	
Receivable Advocacy Campaign Nutri Cereals in India (RKVY)	511,592.00	
IInd Season	1,306.08	1,865.84
FFPGS (West Bengal) Receivable	124,587.00	124,587.00
Impact Assessment Study of VIUC (Receivable)	1,867,873.00	1,867,873.00
Jharkhand Receivable NVI	4,469,099.00	4,469,099.00
Karnataka Pulses Receivable	699,654.00	699,654.00
Uttar Pradesh Receivable Pulses	28,000,000.00	28,000,000.00
Receivable (PSF)	268,057,984.95	277,864,355.95
Total (B)	**635,785,141.33**	**411,552,132.34**
Total (A+B)	**31,110,592,379.33**	**8,788,339,972.62**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Chaudhary
Senior Manager (Finance)

Sarveer Kumar
Accounts Officer

SFAC New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

SCHEDULE 10- INCOME FROM SERVICES

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Income from Services		
Service Charges (PSS/PSF/FPO/OTHER)	84,894,239.00	52,527,031.00
Service Charges (RO)	-	19,537,121.00
Other Income		51,453.00
Total	**84,894,239.00**	**72,115,605.00**

SCHEDULE 11- INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Term Deposits:		
Interest on FDRs	114,978,389.00	44,686,648.64
Savings Accounts:		
With Scheduled Banks	14,311,877.51	28,144,555.00
Bank A/c no:- 10055622468 (R.O.)	-	-
HDFC-GP Bank A/c No. 90301	44,137.00	-
HDFC 7201 GK	20,034.00	-
Other		
Interest on Income Tax Refund	-	-
Total	**129,354,437.51**	**72,831,203.64**

SCHEDULE 12- OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
Miscellaneous Income	4,683,104.18	163,412.00
Write Back	12,553,150.79	-
Tender fee (Non Refundable)	50,000.00	-
Rent Income	5,601,313.00	9,345,446.52
License Fee (DDA Flats)	71,452.00	29,842.00
Stock Adjustment - At Zero Cost	-	4,628,074.67
Medical Contribution (D. Bhuyan-Ex-Director)	1,750.00	1,750.00
Total	**22,960,769.97**	**14,168,525.19**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SFAC New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

SCHEDULE 13- ESTABLISHMENT & OTHER ADMINISTRATIVES EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 2025	For the year ended 2024
General Fund Expenses	69,615,974.12	34,301,258.90
Rental Expenses (DDA Flat-SFAC)	323,129.00	529,350.00
Total	**69,939,103.12**	**34,830,608.90**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM, NEW DELHI
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025

SCHEDULE 13- ESTABLISHMENT & OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.

SCHEDULE-13A "General Fund Expenses"

(Amount Rs.)

Particulars	For the year ended 2025		Total	For the year ended 2024		Total
	H.O.	R.O.		H.O.	R.O.	
Advertisement Expenses	7,661,259.00	-	7,661,259.00	-	-	-
Annual Maintenance	370,727.00		370,727.00			
Bank Charges (1594)			-	2,231.38		2,231.38
Bank Charges (Gen Fund)			-	-		-
Bank Charges	2,238.07		2,238.07			
Contingent/Conveyance Expenses	269,853.16		269,853.16	191,388.20		191,388.20
Due Diligence FPO			-	849,060.00		849,060.00
Demand & liabilities, Penalities	365,444.00		365,444.00			
Fixed Assets FPO			-	620,400.00		620,400.00
Other Indirect Expenses	2,245,782.34		2,245,782.34			
National Information Centre			-	213,844.00		213,844.00
NBB Admin	57,558.00		57,558.00	44,701.00		44,701.00
Electricity & water	2,221,210.00	303,092.00	2,524,302.00	901,009.00		901,009.00
Exp Ser Charge SBI Gen 84505	1,884,520.02		1,884,520.02			
EPF Employer's Contribution	322,031.00		322,031.00	-		-
Fixed Assets Purchased	2,081,092.00		2,081,092.00	-		-
Gratuity	303,343.00		303,343.00	1,748,938.00		1,748,938.00
GSLI Expense	2,789.00		2,789.00			
Lease Rent	136,400.00		136,400.00			
Leave travel Allowances	267,474.00		267,474.00			
Leave Encashment	90,200.00		90,200.00			
Medical	226,734.00		226,734.00	30,411.00		30,411.00
Meeting&seminar Exp	49,505.00		49,505.00	784,914.50		784,914.50
Membership Fee &Subscription	10,030.00		10,030.00	10,030.00		10,030.00
Miscellaneous Expenses	19,824.00		19,824.00	4.72		4.72
Newspapers,Books & Publication			-	169,199.00		169,199.00
Office bldg Expenses	957,236.00		957,236.00	860,012.00		860,012.00
Price stablishment fund (buffer stock)	5,428.00		5,428.00	407.10		407.10
Printing/Publishing/Stationery	532,547.00		532,547.00	273,368.00		273,368.00
Postage & Telegram	210,426.00		210,426.00			
Professional Fee	1,622,025.00		1,622,025.00	3,777,181.00		3,777,181.00
Repairs & Maintenance	399,432.00		399,432.00	118,468.00		118,468.00
Salaries and allowances - fpo	33,873,881.72		33,873,881.72	21,774,814.00		21,774,814.00
Salaries and allowances - Legal Cell	11,275,373.00		11,275,373.00	1,008,662.00		1,008,662.00
Short & Excess	(38,016.00)		(38,016.00)	(159.00)		(159.00)
Staff Welfare	275,876.00		275,876.00	88,192.00		88,192.00
Telephone-Employees&office	257,845.81		257,845.81	46,827.00		46,827.00
Travelling Expenses	602,728.00		602,728.00	593,386.00		593,386.00
Vehicle Hire Charges	750,086.00		750,086.00	193,970.00		193,970.00
Total	**69,312,882.12**	**303,092.00**	**69,615,974.12**	**34,301,258.90**	**-**	**34,301,258.90**

SCHEDULE-13B "Rental Expenses (DDA Flat-SFAC)"

Particulars	For the year ended 2025		Total	For the year ended 2024		Total
	H.O.	R.O.		H.O.	R.O.	
Electricity & Water Charges	5,910.00	-	5,910.00		-	-
Maintenance of flats	206,401.00	-	206,401.00	445,500.00	-	445,500.00
Property Tax (DDA Flats)	110,818.00	-	110,818.00	83,850.00	-	83,850.00
Total	**323,129.00**		**323,129.00**	**529,350.00**	**-**	**529,350.00**
Grand Total	**69,636,011.12**	**303,092.00**	**69,939,103.12**	**34,830,608.90**	**-**	**34,830,608.90**

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

VCA Refund Status as on 31.03.2025								
Year of VCA Sanction	No. of Cases due for Refund	Amount Due	No. of Cases in which Refund Received		Amount Refunded		Pending Cases for Refund	Pending Amount
			Full	Partial	Full	Partial		
2002-03	1	2,500,000.00	0	0	-	-	1	2,500,000.00
2003-04	2	6,852,000.00	0	0	-	-	2	6,852,000.00
2005-06	43	107,684,000.00	26	4	46,108,868.00	15,563,991.00	13	46,011,141.00
2006-07	57	121,593,000.00	35	6	54,904,395.00	4,378,800.00	16	62,309,805.00
2007-08	68	195,072,000.00	44	4	110,093,790.00	2,617,179.00	20	82,361,031.00
2008-09	58	184,284,000.00	41	6	115,492,196.50	3,217,000.00	11	65,574,803.50
2009-10	77	203,410,000.00	64	4	156,595,116.00	665,000.00	9	46,149,884.00
2010-11	85	236,755,000.00	68	2	182,056,513.00	300,000.00	15	54,398,487.00
2011-12	121	378,840,000.00	100	3	321,354,850.28	4,395,800.00	18	53,089,349.72
2012-13	125	403,976,000.00	101	9	309,370,166.11	21,246,327.39	15	73,359,506.50
2013-14	212	797,158,000.00	178	8	656,864,142.08	26,335,510.58	26	113,958,347.34
2014-15	271	815,101,000.00	215	10	664,542,879.48	15,927,304.21	46	134,630,816.31
2015-16	225	585,023,000.00	186	2	489,326,975.22	400,000.00	37	95,296,024.78
2016-17	275	753,953,000.00	237	2	651,861,217.59	3,408,802.00	36	98,682,980.41
2017-18	433	1,209,773,000.00	352	17	989,856,833.97	26,778,138.55	64	193,138,027.48
2018-19	357	1,002,851,000.00	286	13	819,354,835.26	23,144,266.89	58	160,351,897.85
2019-20	124	299,777,000.00	99	3	237,589,312.80	5,631,686.00	22	56,556,001.20
2020-21	44	102,505,000.00	39	0	88,720,000.00	-	5	13,785,000.00
2021-22	1	3,479,000.00	1	0	3,479,000.00	-	0	-
Total	2579	7,410,586,000.00	2072	93	5,897,571,091.29	154,009,805.62	414	1,359,005,103.09
Total Refund						6,051,580,896.91		

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

1. Against the Credit Guarantee Scheme, SFAC has covered 8 proposals (Credit Guarantee Cover of Rs.197.66 Lakh) of Annual Service Charges of Rs.37,088.00 for which liability has been created. As on date no Guarantee has since been invoked as such no payment has been reflected. The details of guarantee issued in favour of FPCs are as under :-

LIST OF CREDIT GUARANTEE COVERED BY SFAC

S.No.	Name of the Bank	Name of FPC	State	C.G. cover Sanctioned (Rs. In lakh)
1	NABKISAN FINANCE LIMITED	Vigneswara Farmers Producer Company Limited	Telangana	9.81
2	NABKISAN FINANCE LIMITED	Banas Farmers Producer Company Limited	Gujarat	21.25
3	NABKISAN FINANCE LIMITED	Chureshawar Farmer Producer Company Limited	Himachal Pradesh	10.2
4	NABKISAN FINANCE LIMITED	Kattangur Farmers Producer Company Limited	Telangana	17
5	NABKISAN FINANCE LIMITED	Sabuja Sathi Farmers Producer Company Limited	Odisha	15.3
6	NABKISAN FINANCE LIMITED	Aindhinai farmers Producer Company Limited	Tamil Nadu	22.1
7	YES Bank	Ajaymeru Kishan Samruddhi Producer Co. Ltd.	Rajasthan	51
8	IDBI Bank	Madhya Bharat Consortium of Farmer Producer Co Ltd	Madhya Pradesh	51
		TOTAL		**197.66**

2. The society is approved under Sec. 10(23C) (iv) vide order F.No DGIT (E) /10(23C) (iv) vide order F. No. DGIT (E)/10 (23C) (iv)/2011 of the Income Tax Act,1961. Amount exceeding 15% of its income is accumlated for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established.

3. In absence of third-party confirmation, the balances of sundry debtors, sundry creditors, security deposits and advances to parties have taken as per records of the society.

4. Previous year figures have been re-arranged & regrouped wherever necessary in order to bring consonance to the format adopted in this Financial Year.

For Small Farmers' Agri - Business Consortium

Sanjeev Gautam
Managing Director (I/C)

Dr. Ranjeet Singh Rajpoot
Deputy Director

Ratnesh Kr. Choudhary
Senior Manager (Finance)

Satveer Kumar
Accounts Officer

SMALL FARMERS' AGRI-BUSINESS CONSORTIUM
SFAC
New Delhi

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली
लेखांकन नीतियाँ और खातों के नोट्स जो खातों का हिस्सा हैं
31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 और 15

लेखांकन नीतियाँ

1. ये खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो लेखांकन की उपार्जित प्रणाली का अनुसरण करते हुए एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में होते हैं, तथा उपार्जित आधार पर आय और व्यय को मान्यता देते हैं, जब तक कि अन्यथा लेखांकन नीति का विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, तथा ये सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं।
2. विन्यास निधि से सृजित सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज आय संबंधित विन्यास निधि में जमा की जाती है और संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को भेजी जाती है। सामान्य निधि से सृजित सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज आय को एसएफएसी की लेखा पुस्तकों में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
3. अनुदान सहायता और एसएफएसी की सामान्य निधि से अर्जित अचल संपत्तियों को राजस्व/व्यय के रूप में माना जाता है और आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।
4. अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर नियम 1962 में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार लगाया जाता है।

मूल्यह्रास दरें नीचे दी गई हैं:

कार्यालय भवन	-10%
आवासीय भवन	-05%
कार्यालय उपकरण	-15%
फर्नीचर और फिक्स्चर	-10%
वाहन	-15%
कंप्यूटर	-40%

तदनुसार, अचल संपत्तियों को उनके ह्रासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर तुलन पत्र के दोनों तरफ "स्थिर संपत्ति (कॉन्ट्रा)" शीर्षक के तहत दर्शाया जाता है, ताकि ऐसी संपत्तियों पर प्रभावी भौतिक और वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

5. निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है और उन्हें उद्धृत नहीं किया गया है।
6. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि को अलग-अलग दर्शाया गया है और आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है। प्रशासनिक शुल्क और अन्य सेवा शुल्क का भुगतान व्यक्तिगत योजना के मानदंडों के अनुसार किया गया है।

एसएसआरए एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण सं. 0142.....)

सीए सुरेश गोयल
पार्टनर
(एम. न. 093711)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16.09.2025

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के लिए

संजीव गौतम
प्रबंध निदेशक (प्रभारी)

रत्नेश कुमार चौधरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

डॉ. रंजीत सिंह राजपूत
(उप-निदेशक)

सतवीर कुमार
(लेखा अधिकारी)

SFAC
लघु कृषक
कृषि व्यापार संघ

Small Farmers' Agribusiness Consortium

(Society sponsored by Dept. of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Govt of India)

5th Floor, NCUI Auditorium Building, August Kranti Marg
Hauz Khas, New Delhi - 110016
Tel: +1-11-41055863, 41055963
Email: sfac@nic.in, Web: www.sfacindia.com